


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(आर्थिक क्षेत्र)

राजस्थान सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 3



विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	(v)
अध्याय I प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षा का खाका	1.2	2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति	1.3	2
कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा	1.4	3
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.6	4
निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रतिउत्तर	1.7	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.8	12
अध्याय II निष्पादन लेखापरीक्षा		
कृषि विभाग राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन	2.1	13
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राष्ट्रीय ई-शासन योजना के लिये बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	43
उद्योग विभाग आयुक्तालय, उद्योग की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	72

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय III अनुपालना लेखापरीक्षा		
नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना	3.1	
कृषि विभाग राजस्थान में कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क का अकार्यान्वयन	3.1.1	107
सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त निधियों का अनाधिकृत उपयोग	3.1.2	115
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से अनाधिकृत भुगतान	3.1.3	116
सड़क निर्माण कार्यों पर अनाधिकृत व्यय	3.1.4	118
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निधियों का अनियमित उपयोग	3.1.5	119
औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले	3.2	
सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क सुधार पर अन्यायोचित व्यय	3.2.1	121
सहकारिता विभाग परिहार्य हानि	3.2.2	122
पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग जर्म प्लाज्मा स्टेशन का अद्योपयोजन	3.2.3	124
नये बायपास प्रोटीन संयंत्र पर निधियों का निष्क्रिय एवं अवरूद्ध रहना।	3.2.4	126
कृषि विभाग निष्फल व्यय	3.2.5	128

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ	3.3	
सार्वजनिक निर्माण विभाग वन भूमि के अधिग्रहण के बिना कायदेशि जारी किया जाना	3.3.1	130
क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता	3.4	
कृषि विभाग अनुभवजन्य अध्ययन पर निष्फल निवेश	3.4.1	131
निष्फल व्यय	3.4.2	134
सार्वजनिक निर्माण विभाग ब्याज और प्रोरेटा चार्जेज का परिहार्य भुगतान	3.4.3	136
सामान्य लेखापरीक्षा आक्षेपों का उत्तर देने का अभाव	3.4.4	137

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट-2.1	परित्याग/निरस्त/शुरू नहीं की गई परियोजनाओं का विवरण	141
परिशिष्ट-2.2	प्लास्टिक लाइन डिगियों के निर्माण पर परिहार्य व्यय	143
परिशिष्ट-2.3	सीकर में बल्क मिल्क कूलर्स के अनुपयोगी रहने का विवरण-पत्र	145
परिशिष्ट-2.4	मिट्टी खुदाई कार्य में उच्च दरों के कारण अनुदान के अधिक भुगतान का विवरण (फार्म पोंड)	146
परिशिष्ट-2.5	ब्याज की हानि दर्शाने वाला विवरण-पत्र	147
परिशिष्ट-2.6	कार्यान्वयन एजेन्सी पर नहीं लगायी गई शास्ति की गणना	148
परिशिष्ट-2.7	मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर्स लिमिटेड से अकार्यशील सामान्य सेवा केन्द्रों के लिए आरोपणीय एवं वसूलनीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का जिलेवार विवरण	150
परिशिष्ट-2.8	मैसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामान्य सेवा केन्द्रों का सृजन नहीं करने पर आरोपणीय एवं वसूलनीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के विवरण को दर्शाने वाला प्रपत्र	151
परिशिष्ट-2.9	2008-09 से 2012-13 के दौरान जारी किये गये अनुपूरक अनुदान परन्तु अभी तक अनुपयोजित रहने के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	158
परिशिष्ट-2.10	अभ्यर्पण से सम्बन्धित प्रकरणों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	159
परिशिष्ट-2.11	वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान कोषालय अधिकारी से प्रेषणों का असत्यापन का विवरण-पत्र	160
परिशिष्ट-2.12	स्टाफ के एक स्थान पर अधिक ठहराव का विवरण-पत्र	161
परिशिष्ट-2.13	क्लस्टरो का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र (मार्च 2013 तक)	162
परिशिष्ट-2.14	बांट एवं माप अनुभाग से सत्यापित टैक्सी मीटर दर्शाने वाला विवरण-पत्र	165
परिशिष्ट-3.1	आवंटित स्थान के अतिरिक्त स्थान पर कम्प्यूटर हार्डवेयर के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण	166
परिशिष्ट-3.2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी गयी अधिक चौड़ाई की सड़कों का विवरण	168
परिशिष्ट-3.3	अधिक मात्रा के निष्पादन पर किये गये अपरिहार्य व्यय को दर्शाने वाला विवरण	170

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. राज्य सरकार के विभागों द्वारा किये गये व्यय की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अन्तर्गत की गई है।
3. यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के व्यय की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।
4. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलें वे हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की नमूना जाँच में ध्यान में आए तथा वे भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सकें। वर्ष 2012-13 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक था, भी शामिल किए गए हैं।
5. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



अध्याय I
प्रस्तावना



अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन, चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों और स्वायत्तशासी निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालना लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बन्धित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालना लेखापरीक्षा करने के अलावा यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के समक्ष लाना होता है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, मात्रा एवं महत्व के अनुसार होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों द्वारा कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु योग्य बनाने एवं साथ ही नीतियां एवं निर्देश बनाने, जो संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु आवश्यक है एवं जो अच्छे शासन में भागीदारी करते हैं, की प्रत्याशा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं आकार की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा उद्योग विभाग के कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षाओं में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा में उजागर हुए आक्षेप शामिल है।

1.2 लेखापरीक्षा का खाका

अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों, जो कि आयुक्तों/उपशासन सचिवों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोग किये जाते हैं, द्वारा नियंत्रित 17 आर्थिक क्षेत्र के विभागों एवं उनके स्वायत्तशासी निकायों की लेखापरीक्षा महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान किये गये व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका 1 में दी गयी है।

तालिका 1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	16,737	18,709	20,496
समाजिक सेवायें	17,895	21,928	25,293
आर्थिक सेवायें	10,220	12,744	17,408
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	21	273	265
योग	44,873	53,654	63,462
पूँजीगत एवं अन्य व्यय			
पूँजीगत परिव्यय	5,251	7,119	10,684
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	262	1,109	2,412
लोक ऋण की अदायगी	3,317	3,490	4,707
आकस्मिकता निधि	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,16,298	1,22,320	1,50,175
योग	1,25,128	1,34,038	1,67,978
कुल योग	1,70,001	1,87,692	2,31,440

स्रोत: संबंधित वर्ष के लिये राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ

एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी है। महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के आर्थिक क्षेत्र के विभागों, स्वायत्तशापी निकायों, प्राधिकरण एवं राज्य निगमों के व्ययों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम की धारा 13¹, 14², 15³, 17⁴, 19⁵ और 20⁶ के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के लिये सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी नियम पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट की गई है।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान का संगठनात्मक ढांचा



सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशापी निकायों को शामिल करते हुये राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा तीन समूहों द्वारा संचालित करता है।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशापी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के आंकलन से होती

- (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबन्धित राज्य के सभी लेनदेन एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।
- (i) राज्य की समेकित निधि में से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान एक वित्तीय वर्ष में ₹ 1 करोड़ से कम नहीं हो, की लेखापरीक्षा।
- भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को संतुष्ट करता है कि उन शर्तों की पूर्ति कर ली गयी है जिनके अंतर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।
- भण्डार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
- राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य विधानसभा के द्वारा बनाये गये नियम के अधीन स्थापित निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा।
- राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तों एवं निबंधनों पर, जो कि सीएजी एवं राज्य सरकार के बीच उठरायी गयी हो।

है। जोखिम आंकलन, व्यय, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियन्त्रणों का आंकलन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित है। इस प्रक्रिया में गत लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। इकाइयों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर किये गये मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों से लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों एवं साथ ही चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता, जो कि कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं विभागों के कार्य को प्रभावित करती है, को प्रतिवेदित किया है। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया जाता है।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय ई-शासन योजना तथा आयुक्तालय, उद्योग की निष्पादन लेखापरीक्षाएँ शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा नीचे की गयी है।

1.6.1.1 राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के दौरान कृषि और संबद्ध सेक्टरों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वृद्धि दर अर्जित करने के उद्देश्य से भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ की गई थी

कृषि विभाग के अभिलेखों की जांच में पता चला कि योजना, शोल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये बिना कार्यान्वित की गई थी। कई परियोजनाओं का परित्याग करना, निरस्त करना या प्रारम्भ नहीं करना, घटिया कार्यप्रणाली व बिना तैयारी के कार्य करने का सूचक है।

कार्यान्वयन एजेन्सीज को विशेष आवंटन के साथ निधियों के लिए अधिकृत नहीं करने तथा परियोजनावार लेखों का संधारण नहीं होने से कुछ परियोजनाओं में निधियों की उपलब्धता/आवश्यकता का आंकलन नहीं किया जा सका।

जमीनी स्तर पर योजना का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए संगठित कदम नहीं उठाना, निम्नस्तरीय मानव संसाधन प्रबन्धन का द्योतक है। किसानों की कम रूचि एवं कम मांग, गोदामों का अनुपयोगी रहना, पौधारोपण सामग्री का कम वितरण व स्टोरेज बिन्स के वितरण के लिये प्रावधित राशि को समर्पित करना, योजना को आरम्भ करने से पूर्व कार्यक्रमों की अपर्याप्त जानकारी के परिणामस्वरूप थे।

गैर सरकारी संगठन की नियुक्ति, उसकी वित्तीय स्थिति व कार्य करने की क्षमता जाने बिना करने के परिणामस्वरूप परियोजना का परित्याग करना पड़ा। मनोनीत एजेन्सी के अलावा अन्य एजेन्सियों द्वारा सिविल कार्यों को करने में निम्न स्तरीय अनुबन्ध प्रबन्धन होने तथा ठेकेदार को निधि जारी नहीं करने से कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित चार प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त नहीं हुई तथा नये व अभिनव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद राज्य सरकार, मानसून पर निर्भरता कम नहीं कर सकी।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.1.2 राष्ट्रीय ई-शासन योजना के लिये बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम नागरिकों को से वार्ये प्रदान करने की निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005 में ई-शासन के क्षेत्र में कदम रखा। स्टेट डाटा सेन्टर के अलावा कोई भी घटक/परियोजना मार्च 2013 तक पूर्ण नहीं की गयी। अनुचित वित्तीय योजना के कारण, राज्य सरकार 2005-12 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ई-शासन योजना के लिये उपलब्ध निधि का 26 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त निधियों को निजी निक्षेप खाते में रखा गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

नियोजन एवं क्रियान्वयन में निरूत्साही दृष्टिकोण के कारण राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना के कार्यान्वयन में आठ साल बर्बाद किये। प्रस्तावों के लिए अनुरोध को अन्तिम रूप देने में बार-बार परिवर्तन एवं कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की प्रबन्धन एवं लेखों की एकीकृत प्रणाली को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ने पर अनिर्णय की स्थिति के परिणामस्वरूप वैधता अवधि की समाप्ति, पुनः निविदाकरण एवं लागत अभिवृद्धि हुई।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे परियोजना के अधीन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई सेवाओं को प्रस्तावों के लिए अनुरोध में शामिल करना भारत सरकार के अनुमोदन का उल्लंघन था। कार्यान्वयन एजेन्सी को अन्तिम रूप देने में 15 माह के विलम्ब के कारण स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के क्रियान्वयन में देरी हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये लक्षित संख्या में सामान्य सेवा केन्द्र निर्धारित अवधि के भीतर संचालित नहीं हुए थे। सामान्य सेवा केन्द्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं की गई जिसके कारण कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

स्टेट ई-मिशन टीम में दीर्घ कालिक क्षमता का सृजन नहीं करने एवं परियोजना ई-मिशन टीम के कार्मिकों की नियुक्ति नहीं करने से क्षमता निर्माण का सुदृढ़ीकरण प्रभावित हुआ।

इस प्रकार, विभाग राष्ट्रीय ई-शासन योजना को लागू करने में विफल रहा है एवं पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर योजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया। स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के संबंध में पूर्ण विफलता थी जैसे कि कार्यान्वयन के 8 वर्षों के बाद भी केवल क्रमशः 12, 6 एवं 16 प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य ही प्राप्त किये गये थे।

(अनुच्छेद 2.2)

1.6.1.3 आयुक्तालय उद्योग की निष्पादन लेखापरीक्षा

आयुक्तालय उद्योग की लेखापरीक्षा में, वित्तीय प्रबंधन तथा चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में कई कमजोरियां प्रकट हुईं। बनाये गये संशोधित अनुमान सही नहीं थे, कार्य योजनाएँ यद्यपि तैयार की गईं परन्तु राज्य की औद्योगिक नीति में निर्दिष्टानुसार लागू नहीं की गईं। विभागीय नियमावली को 1983 के बाद से अद्यतन नहीं किया गया। जिला उद्योग केन्द्रों की आन्तरिक लेखापरीक्षा, निर्धारित अनुसार प्रतिवर्ष नहीं की गई। विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी की कार्यप्रणाली अप्रभावी थी।

विभाग द्वारा क्लस्टर विकास के लिए एक प्रभावी तन्त्र विकसित करना सुनिश्चित नहीं किया गया जैसे कि कार्यक्रम का मध्यवर्ती/अन्तिम मूल्यांकन नहीं किया गया। राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अन्तिम मूल्यांकन तथा प्रभाव आंकलन का अनुमोदन किये बिना ही क्रियान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण प्रतिवेदन, मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना तथा आयुक्तालय द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण में उदासीनता, कमजोर अनुश्रवण को इंगित करता है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन कमजोर था उदाहरणार्थ अयोग्य बुनकरों के आवेदनों को अग्रोषित करना पाया गया था।

आई सी आई सी आई लोम्बार्ड सामान्य बीमा कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं करने तथा बुनकरों के चिकित्सा दावों का देरी से भुगतान करने के प्रकरण ध्यान में आये। आई सी आई सी आई लोम्बार्ड सामान्य बीमा कम्पनी लिमिटेड द्वारा अस्पतालों/नर्सिंग होमस् की सूची अद्यतन नहीं की गई थी। ग्रामीण स्तर पर कोई हाट विकसित नहीं की गयी थी जिससे कि ग्रामीण दस्तकार बेहतर विपणन सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रहे। भारत सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के बिना व्यय किया गया था। मेलों एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए अनुमोदित कैलेंडर का पालन नहीं किया गया था।

राज्य औद्योगिक नीति के गठन के 15 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद खाली लवणीय भूमि का आवंटन खेती के लिए नहीं किया गया था। अन्तिम पट्टा किराया निर्धारित नहीं किया तथा भूमि के अनाधिकृत कब्जे एवं पट्टा किराये की वसूली न करने के प्रकरण भी देखे गये। नमक मजदूर आवास योजना में आधारभूत बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करायी गई जिसके परिणामस्वरूप आवास खाली रहे तथा योजना में निहित उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सके।

एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन नहीं होने के बावजूद राज्य योजना के माध्यम से उपलब्ध करायी गई निधियों की वसूली नहीं की गई। अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाणीकरण शुल्क, परामर्श शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क एवं केलीब्रेशन शुल्क की अधिक/अनियमित पुनर्भरण की अनुमति दी गई। प्रति वर्ष प्रत्येक बाट व माप के मुहरबद्ध के लिए कोई व्यवस्थित तन्त्र विकसित नहीं किया गया था। संशोधित नियमों में बांट एवं माप के उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण हेतु प्रावधान नहीं था जिसके अभाव में बांट एवं माप उपयोगकर्ताओं के आंकड़े रखने का कोई तन्त्र विद्यमान नहीं था।

(अनुच्छेद 2.3)

1.6.2 अनुपालना लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियां उजागर की जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता पर असर डाला था। अनुपालना लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अध्याय III में प्रतिवेदित किया गया है। मुख्य आक्षेप निम्न श्रेणियों से संबन्धित है।

1.6.2.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

अच्छे वित्तीय प्रशासन एवं नियन्त्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हो। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायता करता है तथा अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकता है। लेखापरीक्षा जांच में नियमों और विनियमों की गैर-अनुपालना के ₹ 15.41 करोड़ के उदाहरण शामिल हैं जैसा कि नीचे वर्णित है:

कृषि विभाग की 'कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क' नामक योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग में परियोजना के कार्यान्वयन तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास में उदासीन दृष्टिकोण, प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलम्ब, विभाग की अनिर्णयता की स्थिति के कारण परियोजना के कार्यान्वयन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने में विलम्ब, अनुदानों का अनुपयोग, कम्प्यूटरों की समय से पहले खरीद, मृदा स्वास्थ्य कार्ड एप्लीकेशन पर परिहार्य व्यय, "किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों" की स्थापना नहीं करना, अपर्याप्त क्षमता निर्माण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का अभाव था।

(अनुच्छेद 3.1.1)

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके नगर निगम क्षेत्र, कोटा में सड़कों के निर्माण पर ₹ 2.75 करोड़ की ग्रामीण सड़क निधि का अनाधिकृत उपयोग।

(अनुच्छेद 3.1.2)

रेलवे ट्रेक पर 'सी' श्रेणी के मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग के निर्माण हेतु रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधि से अनाधिकृत भुगतान ₹ 1.64 करोड़।

(अनुच्छेद 3.1.3)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों व ग्रामीण सड़क नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करके 0.75 मीटर अधिक चौड़ाई की सड़क के प्रस्ताव देने, अनुमोदन करने एवं निर्माण करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.28 करोड़ का अनाधिकृत व्यय।

(अनुच्छेद 3.1.4)

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी से पूर्व अनुमोदन के बिना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बचतों की राशि ₹ 9.74 करोड़ का समान पैकेज में अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित उपयोग।

(अनुच्छेद 3.1.5)

1.6.2.2 औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

लोक निधियों से व्यय की प्राधिकृति, सार्वजनिक व्यय करने की औचित्यता एवं दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग-दर्शित होनी चाहिए। प्राधिकारियों, जो कि व्यय करने के लिए प्राधिकृत हैं, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यय करने में वही सतर्कता बरतेंगे जैसा कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि को व्यय करने में बरतता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यता एवं अतिरिक्त व्यय के ₹ 18.89 करोड़ के प्रकरण पाए गये जैसा कि नीचे वर्णित है:

राष्ट्रीय राज्य मार्ग 11-ए विस्तार (दौसा-लालसोट-कौथून सड़क) के किमी 4/0 और 22/0 के बीच सतह सुधार पर ₹ 1.81 करोड़ का अन्यायोचित व्यय।

(अनुच्छेद 3.2.1)

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय एवं भण्डारण सुविधा की उपयुक्त आयोजना के अभाव में, लहसुन को नीचे गिरे मूल्यों पर निस्तारण के लिए विभाग की बाध्यता के परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 3.2.2)

आवश्यक संख्या में सांडों के प्रापण किये बिना एवं जड़ीकृत सीमन अंश की आपूर्ति के लिए ग्राहकों की सुनिश्चितता किए बिना जर्म प्लाज्मा स्टेशन की स्थापना के परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ की लागत के संयंत्र का कम उपयोग।

(अनुच्छेद 3.2.3)

₹ 1.31 करोड़ की लागत से स्थापित नए बायपास प्रोटीन संयंत्र पर निधियाँ निष्क्रिय एवं अवरूद्ध रही।

(अनुच्छेद 3.2.4)

कृषि एवं बागवानी विभाग को वितरण करने के लिए रोग रहित पौधे विकसित करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना पर किया गया ₹ 1.50 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.5)

1.6.2.3 सतत् एवं व्यापक अनियमिततायें

एक अनियमितता यदि वर्ष-दर-वर्ष होती रहती है तो यह सतत् अनियमितता समझी जाती है। यदि यह सम्पूर्ण प्रणाली में विद्यमान रहती है तो यह व्यापक अनियमितता हो जाती है। पिछली लेखापरीक्षा में बताये जाने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होना न केवल कार्यपालक के गम्भीर नहीं होने का सूचक है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण के अभाव का भी द्योतक है। यह नियमों/विनियमों की अनुपालना से जानबूझकर बचने को प्रोत्साहित करती है एवं परिणामतः प्रशासकीय संरचना को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा की जांच में सतत्/व्यापक अनियमितता का एक दृष्टांत निम्न विवरणानुसार पाया गया:

वन भूमि के अन्दर से सड़क बनाने के प्रस्ताव देने तथा कायदेशि देने से सड़क कार्य अभी भी अपूर्ण रहा तथा ₹ 84.26 लाख का व्यय होने के बावजूद भी मन्दिर को सड़क से नहीं जोड़ा जा सका।

(अनुच्छेद 3.3.1)

1.6.2.4 क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचे के विकास एवं उन्नयन, सार्वजनिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बाध्य है। लेखापरीक्षा ने कुछ दृष्टांत सूचित किये, जिनमें अनिर्णयता, प्रशासकीय दृष्टिचूक या विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही की कमी के कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए निर्मोचित की गयी निधियां, अनुपयोगी/अवरोधित रही या निष्फल/अनुत्पादित सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच में ध्यान में आये शासन की विफलता/दृष्टिचूक के राशि ₹ 4.03 करोड़ के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

वर्मीकल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, बायोएजेन्ट परियोजनाओं तथा कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं मूल्य वर्धन पर अनुभवजन्य अध्ययन के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों पर किया गया ₹ 2.50 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.4.1)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला में जैविककारक के गुणन में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.4.2)

अलवर-राजगढ़-महुआ-हिन्डौन-करौली-मण्डरेल सड़क (हिन्डौन बाईपास) के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण पर ब्याज तथा प्रोरेटा चार्जेज का ₹ 73 लाख का परिहार्य भुगतान।

(अनुच्छेद 3.4.3)

1.7 निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रतिउत्तर

वित्त विभाग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर तीन सप्ताह में अपने प्रत्युत्तर देने हेतु सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे (अगस्त 1969)।

तदनुसार, प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं उनका तीन सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने हेतु निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की सम्भावना के मध्यनजर, जो कि राजस्थान विधान सभा में उपस्थापित किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जावे। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें।

प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किये गये प्रारूप अनुच्छेदों एवं प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स, प्रतिवेदन के विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कराकर जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर बकाया एक्शन टेकन नोट्स की समीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2014 तक संबंधित विभाग से एक एक्शन टेकन नोट⁸ बकाया था।

8. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) 2011-12 का अनुच्छेद 2.1

अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा



अध्याय II निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय ई-शासन योजना एवं आयुक्तालय, उद्योग की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है।

कृषि विभाग

2.1 राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन

कार्यकारी सारांश

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के दौरान कृषि और संबद्ध सेक्टरों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि कर के कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वृद्धि दर अर्जित करने के उद्देश्य से भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ की गई थी।

राज्य स्तरीय चयन समिति ने परियोजनाओं की व्यवहार्यता एवं लाभार्थियों को प्रत्याशित लाभ को जाने बिना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये बिना परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।

राज्य के खातों में व्यय को ₹ 112.52 करोड़ कम करके दर्शाया गया जबकि ₹ 116.88 करोड़, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा सीधे प्राप्त किये गये थे, को सरकारी खजाने से बाहर रखा गया था।

परियोजनावार लेखों का संधारण नहीं किया गया जिसके कारण परियोजनावार राशि के आवंटन एवं उनके विरुद्ध व्यय का पता नहीं चला। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राशि को अनियमित तरीके से इक्विटी में निवेश (₹ 2.00 करोड़), भूमि के अधिग्रहण

(₹ 0.68 करोड़) एवं ट्रैक्टरों की खरीद (₹ 0.37 करोड़) हेतु विपथन किया गया। ब्याज से अर्जित आय ₹ 5.33 करोड़, निवेश नीति के अभाव में अनुपयोगी रही।

परियोजना गतिविधियों जैसे फसल प्रदर्शन, किसानों को प्रशिक्षण और उच्च तकनीक कृषि के लिए राशि ₹ 6.34 करोड़ एक गैर-सरकारी संगठन को उसकी वित्तीय स्थिति एवं कार्य करने की क्षमता का आकलन किये बिना दे दी गयी।

जैतून पौधों के आपूर्तिकर्ता को, आपूर्ति किए गये पौधों की जीवितता, कम आपूर्ति एवं दोषपूर्ण पौधों की आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी लिये बिना ₹ 2.29 करोड़ का पूर्ण भुगतान किया गया।

खजूर की खेती एवं पौधारोपण का प्रारम्भ, किसानों की माँग का उचित निर्धारण किये बिना किया, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 12.89 करोड़ के 55,447 खजूर के पौधे जोधपुर नर्सरी में पड़े थे।

अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र, ₹ 19.34 करोड़ के व्यय के उपरान्त भी, संचालन व्यय में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि इसका प्रशासनिक व्यय वर्ष 2008 एवं 2011 के मध्य 376 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2.1.1 परिचय


भारत सरकार द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश और कृषि विकास दर में गिरावट की प्रवृत्ति को बदलने के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई राज्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) आरम्भ की गई (अगस्त 2007)। प्रारम्भ में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित, इसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी बरकरार रखा गया। योजना के तहत निधियां, भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई गयी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के दौरान कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था।

2.1.1.1 योजना के उद्देश्य

- (i) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना;
- (ii) राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन तथा स्वायत्तता प्रदान करना;
- (iii) कृषि-जलवायु स्थितियां, प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिलों एवं राज्यों के लिए कृषि योजनाएं तैयार किया जाना सुनिश्चित करना;
- (iv) महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये चौकन्ना रहना;
- (v) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों की आय को अधिकतम करना;
- (vi) यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय जरूरतों/ फसलों/प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिम्बित किया जाए; तथा
- (vii) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र ढंग से समाधान करके उनके उत्पादन और उत्पादकता में मात्रात्मक परिवर्तन करना।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है:



विशिष्ट परियोजनाओं को स्वीकृत करने और उनके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय चयन समिति प्राधिकृत है। कृषि विभाग, नोडल विभाग है तथा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए 13 क्रियान्वयन अभिकरणों¹ की पहचान की है।

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या:

- आयोजना प्रक्रिया प्रभावी तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप थी;
- वित्तीय प्रबन्धन द्वारा निधियों की पर्याप्तता व समय पर उपलब्धता तथा उनका प्रभावी एवं मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित किया गया था;
- परियोजना नियामक संरचनाओं के अनुसार संचालित की गयी तथा परियोजनाओं के नियत उद्देश्य प्राप्त हुए; तथा
- नियोजित सेवाओं के व्यापक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के मध्य समन्वय तंत्र उपलब्ध था तथा कार्यान्वयन पर कुशल व प्रभावी अनुश्रवण एवं नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिये आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र अस्तित्व में था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

अपनाये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नानुसार थे:

- भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिशा-निर्देशिका;
- व्यापक राज्य कृषि योजना;
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश;
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य/जिला स्तर पर जारी निर्देश एवं आदेश; तथा
- राज्य के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम।

1. पशुपालन, सहकारिता, वन, मत्स्य, बागवानी, उच्चशिक्षा, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान राज्य कृषि विपणन मण्डल, राजस्थान विश्वविद्यालय पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान, बीकानेर, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान राज्य बीज निगम, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा जल संसाधन विभाग।

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

राज्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) में 2.4 प्रतिशत वृद्धि दर के विरुद्ध ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के लिये लक्षित 4 प्रतिशत वार्षिक दर में कमी को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, राजस्थान में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कुल प्लान आवंटन का 30.10 प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद पर आवंटित था। इस योजना के अन्तर्गत 18 क्षेत्रों से सम्बन्धित 282 परियोजनाएँ वर्ष 2007-13 के दौरान कार्यान्वित की गईं। इनमें से 14 क्षेत्रों की 71 परियोजनाओं के अभिलेखों की नमूना जाँच अप्रैल से सितम्बर 2012 में की गई तथा निष्कर्षों को अप्रैल से सितम्बर 2013 तक अद्यतन किया गया। परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा 9 जिलों में की गई जिनका चयन रैण्डम प्रणाली के उपयोग से किया गया। प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग के साथ 4 जुलाई 2012 को प्रारम्भिक बैठक की गई जिसमें कार्य पद्धति, लेखापरीक्षा मानदण्ड और निष्पादन संकेतक⁴ पर चर्चा की गई तथा 20 दिसम्बर 2013 को हुई समापन बैठक में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार-विमर्श किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 नियोजन

दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 3.1 और 3.2 यह प्रावधित करता है कि प्रत्येक जिला कृषि योजना बनाएगा और जिला कृषि योजना को एकीकृत कर, व्यापक राज्य कृषि योजना तैयार करेगा। व्यापक राज्य कृषि योजना को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना था। जिला कृषि योजना, अन्य मौजूदा योजनाओं से उपलब्ध संसाधनों का पता करने और जिलों में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यकता आंकने के उद्देश्य हेतु तैयार की जानी थी। लेखापरीक्षा टिप्पणियों की चर्चा नीचे की गई है:

2. रिसर्च, फसल विकास, डेयरी विकास, विस्तार, खाद एवं आईएनएम, मत्स्य, बागवानी, विपणन तथा फसलेत्तर प्रबन्धन, लघु/सूक्ष्म सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, पशुपालन, एकीकृत कीट प्रबन्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, बीज, सहकारिता तथा सहयोजन, अभिनव कार्यक्रम, जैव खेती जैविक खाद एवं सूचना तकनीक।
3. बाँसवाड़ा, भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, राजसमंद और सीकर।
4. राज्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आवंटन पात्रता, प्रभावी प्रबन्धन सूचना पद्धति, निधियों की निर्मुक्ति एवं कृषकों को निरन्तर फसल लाभ।

2.1.6.1 जिला कृषि योजना और व्यापक राज्य कृषि योजना को तैयार करने में विलम्ब

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 3.3 यह उपबन्धित करता है कि दिशा-निर्देशों के जारी होने की तिथि (अगस्त 2007) से तीन महीने के भीतर जिला कृषि योजना तैयार की जाये, यदि पहले से तैयार नहीं है। यह देखा गया कि 24 जिलों की जिला कृषि योजना को मार्च 2009 में अंतिम रूप दिया गया। 3 जिलों की जिला कृषि योजना को व्यापक राज्य कृषि योजना के एकीकरण के समय तक भी अंतिम रूप नहीं दिया गया जिसके कारण व्यापक राज्य कृषि योजना को अंतिम रूप देने और योजना आयोग को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ (मई 2010)। तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जनवरी 2014) राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में समय लगने और अन्य विभागों के साथ समन्वय को देरी का कारण बताया। यह दर्शाता है कि जिला परियोजनाएं, उचित नियोजन और परियोजनाओं की आवश्यकताओं की सुनिश्चितता के बिना तैयार और क्रियान्वित की गईं।

2.1.6.2 परियोजनाओं का शैल्फ और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं करना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 3.5 विशिष्ट/नई परियोजनाओं के समूह को राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु जिला स्तर पर परियोजनाओं के शैल्फ की तैयारी हेतु प्रावधित करता है। नोडल विभाग प्रत्येक जिले में ऐसी परियोजनाएं संकलित करेगा, उनको प्राथमिकताबद्ध करेगा और राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष रखेगा। अग्रेतर दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 7.1 एक अच्छी परियोजना के सभी अनिवार्य घटक जैसे व्यवहार्यता अध्ययन, क्रियान्वयन एजेन्सियों की दक्षता, प्रत्याशित लाभ जो लाभार्थियों को निश्चित समय में मिलेगा आदि पर समुचित विचार करके प्रत्येक परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुतिकरण का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया कि किसी भी नोडल एजेन्सी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन व परियोजनाओं का शैल्फ तैयार नहीं किया गया। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2013) कि योजना की शुरूआत के समय परियोजनाओं के शैल्फ तैयार नहीं किये गये। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं करने के सम्बन्ध में बताया (सितम्बर 2013) कि निर्माण आदि से सम्बन्धित परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना

5. बून्दी, राजसमन्द तथा जैसलमेर।

प्रतिवेदन तैयार किये गये। आगे सूचित किया गया (जनवरी 2014) कि दिशा-निर्देशों के अनुसार चैकलिस्ट तैयार की गई जिसमें परियोजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अभाव में राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा योजना की व्यवहार्यता, क्रियान्वयन एजेन्सियों की दक्षता तथा लाभार्थियों को मिलने वाला प्रत्याशित लाभ सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह आगे के अनुच्छेदों में वर्णित बड़ी संख्या में परित्याग कर दी गयी परियोजनाओं से स्पष्ट होता है।

2.1.6.3 परित्याग/निरस्त/शुरू नहीं की गई परियोजनाएं

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद संख्या 7.1.3 में यह प्रावधान है कि राज्य स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरान्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत नोडल विभाग/नोडल एजेन्सी को पहली किस्त के रूप में जारी किया जाना चाहिए।

● लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 3 परियोजनाएं ₹ 20.14 करोड़⁶ के व्यय के पश्चात् परित्याग कर दी गई तथा 15 परियोजनाएं (परिशिष्ट 2.1) जो कि 2008-09 से 2012-13 की अवधि में कार्यान्वित की जानी थी, अनुमोदन के बावजूद निरस्त/शुरू नहीं की गई। संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग (योजना), जयपुर ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई अथवा क्रियान्वयन एजेन्सियों/नोडल एजेन्सियों द्वारा इनके क्रियान्वयन हेतु निधियों की मांग नहीं की गई।

● आगे, राज्य स्तरीय चयन समिति ने छोटे पैमाने पर सजावटी मछली प्रजनन मय कल्चर इकाई लागत ₹ 75 लाख की एक परियोजना, जिसके लिये अधिकतम ₹ 25,000 प्रति इकाई सहायता के रूप में अनुदान स्वीकृत किया जाना था, अनुमोदित की (मार्च 2008)। यह देखा गया कि परियोजना को ₹ 5 लाख के व्यय उपरान्त इस आधार पर त्याग दिया गया (2013-14) कि इसी तरह की गतिविधि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत अप्रैल 2007 से चलायी जा रही थी जो कि अधिक लाभदायक थी, जिसमें मत्स्य किसानों को ₹ 1.50 लाख की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जा रही थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि मत्स्य किसानों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना को त्याग दिया गया था।

6. विस्तार तंत्र को बल प्रदान करना: ₹ 0.62 करोड़, हरा चारा खेती ₹ 19.51 करोड़ व चिकपि मूल्यांकन आदि ₹ 0.004 करोड़।

तथ्य यह है कि उचित योजना एवं समन्वय की कमी के कारण परियोजना को ₹ 5 लाख के अपरिहार्य व्यय के उपरान्त त्याग दिया गया।

2.1.7 वित्तीय प्रबन्धन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियाँ राज्य को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा दो अलग स्ट्रीम में प्रदान की गयी। आगे, दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 7.1.6 और 7.2.1 यह प्रावधित करता है कि आवंटित राशि का कम से कम 75 प्रतिशत स्ट्रीम-I के तहत विशिष्ट तथा नई योजनाओं के लिए एवं अधिकतम 25 प्रतिशत स्ट्रीम-II के तहत राज्य क्षेत्र योजनाओं को मजबूत बनाने तथा संसाधन अंतरालों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाना था। सहायता, स्ट्रीम-I के अन्तर्गत तीन किस्तों⁷ में और स्ट्रीम-II के तहत दो समान किस्तों में जारी की जानी थी।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजनाओं को सम्मिलित करते हुए 2007-13 के दौरान ₹ 2,143.91 करोड़ अनुदान के रूप में प्रदान किया, जिसमें से ₹ 2,129.97 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1: प्राप्त अनुदान तथा उसके विरुद्ध किये गये व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	परियोजना प्रस्ताव (संख्या)	कुल परियोजना लागत	आरम्भिक शेष	भारत सरकार से प्राप्त	योग	व्यय	अन्तिम शेष	कम उपयोग की प्रतिशतता
2007-08	22	120.46	-	55.76	55.76	-	55.76	100.00
2008-09	44	503.45	55.76	233.76	289.52	175.78	113.74	39.29
2009-10	46	797.89	113.74	186.12	299.86	248.62	51.24	17.09
2010-11	102	1,082.20	51.24	628.01	679.25	615.28	63.97	9.42
2011-12	18	131.88	63.97	692.08	756.05	650.44	105.61	13.97
2012-13	50	519.32	105.61	348.18	453.79	439.85	13.94	3.07
योग	282	3,155.20	390.32	2,143.91	2,534.23	2,129.91		

स्रोत: संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना), जयपुर

7. पहली किस्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, पहली किस्त के 50 प्रतिशत के उपयोग के पश्चात्, द्वितीय किस्त परियोजना लागत का 40 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त।

अनुदान ₹ 55.76 करोड़, जो कि 2007-08 के दौरान प्राप्त हुआ था, अनुपयोगी रहा क्योंकि यह वित्तीय वर्ष के अन्त में (जनवरी से मार्च 2008) प्राप्त हुआ। 2008-13 के दौरान अनुदान का कम उपयोग 3.07 प्रतिशत और 39.29 प्रतिशत के मध्य विचरित रहा। यह क्रियान्वयन में नियन्त्रण की कमी तथा कार्यकारी संस्था से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के अभाव में निधियां जारी नहीं करने के कारण था।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे बताई गई हैं:

2.1.7.1 लेखा आंकड़ों में व्यय की सही तस्वीर का चित्रण नहीं करना

2007-13 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 1,952.07 करोड़ प्रदर्शित किये जबकि नोडल अधिकारी ने कृषि एवं सहकारिता विभाग को प्रस्तुत किये उपयोगिता प्रमाण-पत्र में ₹ 2,129.97 करोड़ दर्शाये। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा व्यय ₹ 177.90 करोड़ कम करके दर्शाये गये जो कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 2: राज्य सरकार के बजट शीर्ष में दर्शित व्यय तथा नोडल अधिकारी द्वारा दिखाया गया व्यय

क्र.सं.	वर्ष	बजट शीर्ष में व्यय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना*			नोडल अधिकारी द्वारा दिखाया गया व्यय **	अंतर (कम बताया गया)
		राजस्व	पूंजीगत	कुल		
1	2007-08	-	-	-	-	-
2	2008-09	116.87	41.34	158.21	175.78	(-) 17.57
3	2009-10	161.11	24.93	186.04	248.62	(-) 62.58
4	2010-11	479.84	102.82	582.66	615.28	(-) 32.62
5	2011-12	568.30	82.39	650.69	650.44	(+) 0.25
6	2012-13	347.60	26.87	374.47	439.85	(-) 65.38
योग		1,673.72	278.35	1,952.07	2,129.97	(-)177.90

स्त्रोत: * विस्तृत विनियोजन लेखों के अनुसार

** विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना

आगे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा फरवरी 2009 में प्राप्त ₹ 116.88 करोड़⁸ सीधे राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के खातों में जमा किये गये और इस प्रकार यह राशि 2009-10 के राज्य बजट में दर्शित होने से बच गई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2013) कि भारत सरकार द्वारा ₹ 116.88 करोड़ सीधे राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान को जारी किये गये तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र अलग से भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। ₹ 112.52 करोड़ के अंतर के सम्बन्ध में यह सूचित किया गया कि आंकड़ों का मिलान नहीं किया जा सकता क्योंकि ₹ 1,690.12 करोड़ (2011-12 तक) व्यय में ₹ 116.88 करोड़, जो भारत सरकार से सीधे प्राप्त हुए थे, से हुआ व्यय भी शामिल था। यह, इंगित करता है कि राज्य के लेखों में सही तस्वीर नहीं दर्शायी गई तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हुये व्यय को अत्यधिक बढ़ा कर दिखाया गया। 2012-13 के दौरान ₹ 65.38 करोड़ के अन्तर का कारण पूछा गया है।

2.1.7.2 परियोजनावार खातों का संधारण नहीं करना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 7.1.5 यह प्रावधित करता है कि परियोजनावार खातों का संधारण किया जाये।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि यद्यपि, भारत सरकार ने स्ट्रीम- I, स्ट्रीम- II की परियोजनाओं तथा उप-योजनाओं को पृथक-पृथक निधियाँ आवंटित की तथापि, कृषि विभाग ने क्रियान्वयन एजेन्सियों को स्पष्ट रूप से परियोजनावार आवंटन बताये बगैर एक मुश्त निधियाँ जारी की। परिणामस्वरूप क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा परियोजनावार खातों का संधारण नहीं किया गया। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि निधियों के परियोजनावार आवंटन से योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से आवंटित होने वाली निधियों एवं उनके विरुद्ध किये गये व्यय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। राज्य सरकार का उत्तर सही नहीं है क्योंकि परियोजनावार खातों का संधारण नहीं करने से परियोजनावार निधियों का आवंटन और उसके विरुद्ध किये गये व्यय का ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जा सका।

8. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, कृषि एवं सहकारित विभाग द्वारा जारी की गई (स्वीकृत सं. 1-11/2008 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिनांक: 24 फरवरी 2009)।

2.1.7.3 ब्याज से आय का लेखा-जोखा नहीं रखना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिशा-निर्देश ब्याज सहित खातों में रखे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग का प्रावधान नहीं करते।

यह देखा गया कि ₹ 5.33 करोड़ का ब्याज, जो आठ क्रियान्वयन एजेंसियों⁹ द्वारा अर्जित किया गया था, उनके बैंक खातों में स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि ब्याज की राशि का समायोजन वर्तमान में चलने वाली परियोजनाओं के खर्चों के विरुद्ध राज्य स्तरीय चयन समिति की अगली बैठक में अनुमोदन के उपरान्त कर लिया जावेगा। ब्याज के उपयोग से पूर्व भारत सरकार से परामर्श प्राप्त कर लिया जावे।

2.1.7.4 निधियों का विपथन

दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 4 परियोजना आधारित सहायता के लिये योग्य घटकों/ गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है और अन्य घटकों/गतिविधियों को चयन करने की अनुमति राज्य सरकार को इस शर्त के साथ देता है कि यह समुचित रूप से व्यापक राज्य कृषि योजना में परिलक्षित होना चाहिए तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियों का उपयोग व्यापक राज्य कृषि योजना में परिलक्षित किये बिना तथा योजना आयोग के अनुमोदन के बिना अन्य घटकों/गतिविधियों में किया गया।

• राजस्थान बागवानी विकास संस्था ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना “खजूर टिशू कल्चर प्रयोगशाला और नर्सरी” के क्रियान्वयन हेतु ₹ 8 करोड़ के निवेश के साथ एक नई कम्पनी¹⁰ को समाविष्ट किया (नवम्बर 2008) जिसमें ₹ 2 करोड़ के ईक्विटी शेयर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियों से थे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियों को ईक्विटी शेयर में निवेश करना भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत एक गतिविधि नहीं था। इसके अलावा यह अनुमोदित व्यापक राज्य कृषि योजना में परिलक्षित भी नहीं था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियों का विपथन

9. राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन: ₹ 190.59 लाख (जून 2013), राजफेड: ₹ 145.78 लाख (मार्च 2012), कॉलेज शिक्षा: ₹ 3.92 लाख (मार्च 2012), सहकारिता: ₹ 14.76 लाख (मार्च 2012), सियाम दुर्गापुरा: ₹ 111.69 लाख (मार्च 2012), अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गापुरा: ₹ 46.39 लाख (मार्च 2012), राजस्थान बागवानी विकास संस्था: ₹ 14.29 लाख (मार्च 2013) तथा सियाम संस्था: ₹ 6.04 लाख (अगस्त 2011)।

10. मैसर्स अतुल राजस्थान डेटपॉम लिमिटेड।

कर इक्विटी में निवेश करना अनियमित था। राज्य सरकार ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि राज्य में खजूर की खेती के विकास, खजूर के पौधों का आयात रोकने के लिए तथा टिशू कल्चर तकनीक विकसित करने के लिए निजी जन सहभागिता (पीपीपी) के तहत कम्पनी का गठन किया गया। इक्विटी में निवेश के लिये निधियों के उपयोग के कारण, सूचित नहीं किये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह विपथन/निवेश, दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

• यह देखा गया कि आयुक्त, कृषि, जयपुर द्वारा राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड¹¹ को जनवरी 2009 के मासिक खर्च एवं बकाया देनदारियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियों में से राशि ₹ 0.60 करोड़ “विविध व्यय” मद में स्वीकृत किये (मार्च 2009)। उत्तर में सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि निधियों का उपयोग जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिये किया गया। चूंकि भुगतान के लेखों का संधारण नहीं किया गया इसलिए सरकार के कथन का सत्यापन नहीं किया जा सका।

राजस्थान सहकारी डेयरी संघ ने ₹ 0.68 करोड़¹² की भूमि अधिगृहित की। तीन क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा भी चार परियोजनाओं के लिए ₹ 0.37 करोड़¹³ लागत के सात ट्रैक्टर तथा एक मोटर वैन की खरीद की। दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सम्पत्ति अधिग्रहण के प्रावधान नहीं थे इसलिए इन मदों पर किया गया व्यय अनियमित था। तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा जमीन क्रय की गयी, ट्रैक्टर, एंडाप्टिव परीक्षण केन्द्रों में चल रहे फसल प्रदर्शन गतिविधियों और बीज उत्पादन कार्यक्रमों में प्रयोग किये जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था तथा ₹ 1.05 करोड़ का व्यय अनियमित था क्योंकि उक्त क्रय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं था।

11. राज्य में जैतून की खेती के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी

12. चिलिंग संयंत्र का निर्माण: ₹ 35 लाख (हिन्दौन सिटी में भूमि: ₹ 20 लाख एवं चारदीवारी: ₹ 15 लाख (अप्रैल 2009) और जैसलमेर में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना: ₹ 32.81 लाख (2009-12)।

13. अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर ₹ 0.06 करोड़, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ₹ 0.04 करोड़ और स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर: ₹ 0.27 करोड़।

2.1.8 कार्यान्वयन

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अवधि 2007-13 में 18 क्षेत्रों की 282 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं की 31 मार्च 2013 को समग्र स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजना लागत	जारी राशि	किया गया व्यय	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की स्थिति		
						पूर्ण	प्रगतिरत	शुरू नहीं/ निरस्त/ परित्याग
1	फसल विकास	224.29	149.25	126.06	15	4	9	2
2	अनुसंधान (कृषि/बागवानी/पशुपालन आदि)	106.90	33.92	30.81	33	9	22	2
3	डेयरी विकास	282.45	105.69	100.87	13	6	6	1
4	पशु पालन	232.85	69.23	65.85	47	6	37	3
5	विस्तार	159.34	57.37	55.35	19	5	11	2
6	उर्वरक और आई.एन.एम	283.76	145.80	139.07	10	3	6	1
7	मत्स्य	33.13	7.05	5.84	13	4	9	0
8	बागवानी	345.15	239.60	210.41	32	12	19	1
9	विपणन और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन	166.68	53.80	46.96	15	4	10	1
10	सूक्ष्म/लघु सिंचाई	787.58	542.00	441.85	14	6	7	1
11	कृषि यांत्रिकीकरण	97.76	44.55	40.90	13	2	10	1
12	प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन	24.14	17.52	14.34	6	0	5	1
13	एकीकृत कीट प्रबन्धन	3.84	3.30	2.66	4	2	2	0
14	बीज	256.01	191.96	185.20	22	13	9	0
15	सहकारिता एवं सहयोग	80.62	51.54	47.84	11	5	6	0
16	अभिनव कार्यक्रम	26.61	10.49	7.96	10	5	4	1
17	जैविक खेती/बायो फर्टिलाइजर	39.10	7.52	6.57	4	1	3	0
18	सूचना प्रौद्योगिकी	5.00	0.00	0.00	1	0	0	1
योग		3,155.21	1,730.59	1,528.54	282	87	175	18

स्रोत: कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना * 1+1=2 परियोजनाओं की स्थिति उपलब्ध नहीं

परियोजनाओं के सेक्टरवाइज कार्यान्वयन तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

2.1.8.1 सेक्टर- फसल विकास

गोल्डन रेज परियोजना, राजस्थान

“गोल्डन रेज परियोजना, राजस्थान” के तहत पाँच जिलों¹⁴ के गरीब आदिवासी किसानों को मैसर्स मोनसेन्टो इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीफ में हाईब्रिड मक्का बीज उपलब्ध कराये जाने थे। परियोजना की अवधि बढ़ायी गयी तथा 2012-13 तक चालू थी। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियां अगले अनुच्छेदों में समाहित हैं।

- आयुक्त, कृषि, जयपुर द्वारा उदयपुर में 160 तथा बांसवाड़ा में 80 किसानों से सम्पर्क कर “गोल्डन रेज परियोजना” खरीफ 2009 के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन किया (मार्च 2010)। अध्ययन में पाया गया कि उदयपुर में 94 किसानों (59 प्रतिशत) तथा बांसवाड़ा में 80 किसानों (100 प्रतिशत) को बीज पीक सीजन के बाद प्राप्त हुए। फिर भी, मोनसेन्टो के विरुद्ध बीज की आपूर्ति में देरी के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2014) कि मक्का बीजों की आपूर्ति के लिए आदेश जुलाई 2009 में दिये गये थे तथा उन्हें मानसून की शुरुआत में प्राप्त होते ही किसानों को वितरित कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कृषि विभाग के अध्ययन प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों के विपरीत है।

- यद्यपि मोनसेन्टो, परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के बराबर हाईब्रिड मक्का बीजों के निःशुल्क वितरण के लिये सहमत थी (मई 2010), निःशुल्क वितरण का ऐसा कोई परिच्छेद मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग में सम्मिलित नहीं किया गया (मई 2010)। 3917.37 मैट्रिक टन हाईब्रिड मक्का बीजों की आपूर्ति के लिए (₹ 99.38 प्रति किलोग्राम की दर से) राशि ₹ 37.29 करोड़¹⁵ का भुगतान किया गया, जिसमें 165 मैट्रिक टन निःशुल्क वितरित सम्मिलित था। बकाया राशि के अन्तिमीकरण के दौरान, कुल आपूर्ति के 10 प्रतिशत बीजों (391.737 मैट्रिक टन) की सहमती के विरुद्ध केवल 165 मैट्रिक टन का ही समायोजन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप 226.737 मैट्रिक टन बीज का कम समायोजन तथा मोनसेन्टो को ₹ 2.25 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि बारां जिले में 9.575 मैट्रिक टन मक्का बीज, खरीफ 2010 में निःशुल्क वितरण किये गये। आगे, सरकार ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर कम्पनी ने खरीफ 2013 में 216.990 मैट्रिक टन हाईब्रिड मक्का बीज की निःशुल्क आपूर्ति कर दी।

14. उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही।

15. 3917.37 मैट्रिक टन - 165.00 मैट्रिक टन = 3752.37 मैट्रिक टन x ₹ 99.38 प्रति किलोग्राम

2.1.8.2 सेक्टर- सूक्ष्म/लघु सिंचाई

भरतपुर में नलकूपों का कृत्रिम पुनर्भरण

परियोजना के अन्तर्गत 2009-10 के दौरान भरतपुर जिले के 9 खण्डों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए 1,000 नलकूप पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना ₹ 10,000 प्रति इकाई की लागत से की गई थी। प्रति इकाई लागत का 50 प्रतिशत किसानों द्वारा वहन किया जाना था। परियोजना का कार्यान्वयन "मैसर्स ल्यूपिन ह्यूमन वैलफ़ेयर एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन", भरतपुर, एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जाना था।

उप निदेशक, भरतपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 12.50 लाख की लागत से केवल 122 संरचनाओं के निर्माण के बाद परियोजना छोड़ दी गई। ₹ 12.50 लाख की पहली किश्त सितम्बर 2010 में जारी की गई थी और दूसरी किश्त जारी करने के बजाय परियोजना को छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप ₹ 0.30 लाख अधिक जारी होने के साथ-साथ लक्ष्यों की कम उपलब्धी तथा भू-जल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हुई।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि गैर-सरकारी संगठन को द्वितीय किश्त जारी नहीं की गयी क्योंकि वह अन्य विभागों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में व्यस्त था तथा परियोजना को पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि गैर-सरकारी संगठन की सक्षमता का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

नहरी सिंचित क्षेत्रों में डिगियों/प्लास्टिक लाईन्ड डिगियों का निर्माण

राज्य के नहरी सिंचित क्षेत्रों में पानी के समुचित उपयोग तथा जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए डिगियों/प्लास्टिक लाईन्ड डिगियों के निर्माण की परियोजना पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत की गई थी (जून 2009)। वर्ष 2009-10 के दौरान प्रति डिग्गी ₹ 1.50 लाख तथा 2010-11 के दौरान ₹ 2 लाख, वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित, अनुदान किसानों को दिया जाना था।

उप निदेशक, जैसलमेर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जैसलमेर में उच्च तापमान, लगातार धूल भरे तूफान के कारण कम स्थायित्व तथा लाइनिंग को नुकसान के खतरे की वजह से प्लास्टिक लाईन्ड डिगियों का निर्माण नहीं करने के निर्देश जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा जारी किये गये (अप्रैल 2011)। इसी बीच, किसानों द्वारा 21 प्लास्टिक लाईन्ड डिगियों का निर्माण किया गया तथा 2010-11 के दौरान ₹ 42 लाख (परिशिष्ट-2.2) का भुगतान किया गया। यह,

दर्शाता है कि परियोजना को स्वीकृत करते समय इन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा निर्देश जारी करने के पश्चात् निर्माण के मानक बदल दिये गये। प्रारम्भिक विस्तृत अध्ययन नहीं करने तथा मानदण्डों में परिवर्तन, बाद में करने के कारण ₹ 42 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

2.1.8.3 सेक्टर- विस्तार

विस्तार प्रणाली का सुदृढीकरण

परियोजना के तहत 800 कृषि स्नातकों की बहुउद्देशीय विस्तार कार्यकर्ताओं के रूप में जिलों के उपखण्ड स्तर पर ₹ 8,500 प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुबन्ध के आधार पर जून 2009 से पांच साल के लिए नियुक्ति की परिकल्पना की गई थी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य उपखण्ड स्तर पर विशेषज्ञों की नियुक्ति द्वारा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रणाली को मजबूत करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2007-12 के दौरान सहायक कृषि अधिकारी सवर्ग में 50 से 68 प्रतिशत तथा कृषि पर्यवेक्षक सवर्ग में 16 से 23 प्रतिशत के मध्य रिक्तियों के बावजूद 24 जिलों में 354 बहुउद्देशीय विस्तार कार्यकर्ताओं की नियुक्ति (केवल 2 से 3 महीने के लिये) और ₹ 62.55 लाख (2009-10) का खर्चा करने के पश्चात् परियोजना को छोड़ दिया गया (2010-11)।

तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि कम पारिश्रमिक के कारण कृषि स्नातकों की अनुपलब्धता, रेगिस्तानी जिलों की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों और कृषि स्नातकों के दूरस्थ स्थानों पर कार्य करने के इच्छुक नहीं होने के कारण परियोजना को छोड़ा गया। यह, इंगित करता है कि गैर-व्यावहारिक परियोजना का अनुमोदन करके कम समय के लिए उसका क्रियान्वयन किया गया और बाद में उसे छोड़ दिया गया। परियोजना को छोड़ देने से कृषि विस्तार प्रणाली का सुदृढीकरण विफल रहा।

कृषि प्रशिक्षण के बुनियादी ढाँचे का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण

परियोजना के तहत राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के बुनियादी ढाँचे को पांच मंजिला प्रशिक्षण भवन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्प्यूटर हॉल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्टोर, गेस्ट हाउस, केन्टीन तथा छात्रावास का निर्माण कर सुदृढ करना था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित मूल अनुमानों में संकाय अतिथि गृह का नवीनीकरण, उप निदेशक के

निवास के मेस स्पेस में परिवर्तन तथा गार्ड/क्लीनर/चौकीदार का कमरा सम्मिलित नहीं थे जबकि आयुक्त, कृषि द्वारा बिना राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुमति के इन कार्यों पर ₹ 1.39 करोड़ के व्यय स्वीकृत किये (जुलाई 2010)। तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि अतिरिक्त निर्माण कार्य मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए सम्मिलित किये गये। तथापि ₹ 1.39 करोड़ का व्यय अभी तक अनियमित था।

2.1.8.4 सेंक्टर- विपणन और पोस्टहार्वैस्ट प्रबन्धन

ग्रामीण भंडारण योजना

परियोजना का उद्देश्य किसानों की आवश्यकताओं जैसे फार्म उत्पाद का भंडारण, उनके बाजार में सुधार तथा फसल कटाई के तुरन्त बाद मजबूरन बिक्री रोककर ग्रामीण क्षेत्रों में समवर्गी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमताओं की रचना करके पूर्ण करना था। इसके लिये प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को 100 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण के लिए ₹ 8 लाख दिये जाने थे।

नमूना जांच किये गये 6 जिलों¹⁶ के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया (मई से जुलाई 2012) कि ₹ 1.36 करोड़ की लागत से निर्मित 17 गोदामों का उपयोग किसानों द्वारा उनकी फसल भंडारण के लिये नहीं किया जा रहा था।

तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने बताया (फरवरी 2013) कि किसानों को, उनकी कृषि उपज गोदामों में स्टोर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। आगे, यह बताया गया (जनवरी 2014) कि गोदामों का उपयोग उर्वरकों के अग्रिम संग्रहण के लिए किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य विफल हुआ क्योंकि परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व गोदामों के लिए किसानों की मांग का आंकलन नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 1.36 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

किसानों को स्टोरेज बिन्स का वितरण

परियोजना में वर्ष 2008-09 के दौरान सभी जिलों के 57000 किसानों को, प्रति बिन ₹ 500 के अनुदान के साथ, स्टोरेज बिन (तीन क्विंटल क्षमता) वितरित किये जाने की परिकल्पना की गई। परियोजना अवधि 2009-10 तक बढ़ाई गई। परियोजना लागत ₹ 6.20 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.47 करोड़ का व्यय किया गया।

16. बांसवाड़ा (एक): ₹ 8 लाख, भरतपुर (तीन): ₹ 24 लाख, हनुमानगढ़ (एक): ₹ 8 लाख, जयपुर (सात): ₹ 56 लाख, राजसमन्द (तीन): ₹ 24 लाख और सीकर (दो): ₹ 16 लाख।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये नौ जिलों में से छह जिलों¹⁷ में उप निदेशक, कृषि (विस्तार) द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 47.50 लाख को समर्पित कर दिया तथा कोई स्टोरेज बिन वितरित नहीं किया। उत्तर में सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि जैसलमेर जिले के किसानों को स्टोरेज बिन्स की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आगे बताया कि स्टोरेज बिन्स के निर्माता का उद्योग विभाग द्वारा अधिकृत नहीं होना, उपलब्ध अनुदान राशि बहुत कम होना तथा किसानों में इच्छा की कमी से शेष पांच जिलों में स्टोरेज बिन्स का वितरण नहीं किया जा सका। सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 4.47 करोड़, इसी कार्य पर व्यय किये जा चुके थे एवं उपलब्ध अनुदान का स्तर पर्याप्त था तथा किसानों की बिन्स लेने में रूचि थी। राज्य के अन्य जिलों में किसानों को वितरण हेतु बिन्स का निर्माण किया गया जबकि इन पांच जिलों में बिन्स के निर्माताओं को उद्योग विभाग द्वारा अधिकृत क्यों नहीं किया, यह अवगत नहीं कराया।

2.1.8.5 सेक्टर- अभिनव कार्यक्रम

उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रसार के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास

मार्गदर्शिका के अनुच्छेद 7.1.1 में प्रावधान है कि नोडल एजेन्सी द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सी की क्षमताओं तथा परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति से संतुष्टि के उपरान्त कार्यान्वयन एजेन्सी को निधियाँ जारी की जावें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाए बिना कलेक्टर एवं उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जोधपुर की सिफारिशों (मार्च 2011) के आधार पर फसल प्रदर्शन, किसानों को प्रशिक्षण एवं उच्च तकनीकी कृषि के लिए सहायता जैसी परियोजना गतिविधियाँ (₹ 6.34 करोड़) एक गैर-सरकारी संगठन¹⁸ को प्रदान की गई। कार्य, गैर-सरकारी संगठन की वित्तीय स्थिति एवं उपलब्ध कार्यकारी स्टाफ को सुनिश्चित किए बिना दिया गया। परिणामस्वरूप, परियोजना ₹ 41.25 लाख जारी करने (जुलाई 2011) के बाद भी क्रियान्वित नहीं की गई जो कि गैर-सरकारी संगठन को अदेय वित्तीय लाभ था।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि परियोजना का क्रियान्वयन गैर-सरकारी संगठन से कराये जाने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे थे और कार्य निरस्त करने की कार्यवाही उप निदेशक, जोधपुर से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की जावेगी।

17. भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, कोटा और सिरोही।

18. श्री मरूधर बागवानी कृषि उत्पादन विकास समिति, तहसील भोपालगढ़, जोधपुर।

असक्षम गैर-सरकारी संगठन के चयन के परिणामस्वरूप धन की बर्बादी हुई, अतः प्रकरण की जाँच की आवश्यकता है। आगे, परियोजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से किसान वंचित रहे।

मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना

शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से राज्य में मत्स्य पालन और मत्स्य उद्योग के विकास के लिए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधीन उदयपुर में मत्स्य पालन महाविद्यालय की स्थापना का कृषि विभाग द्वारा वार्षिक बजट 2010 में प्रस्ताव रखा। राज्य स्तरीय चयन समिति की कार्योत्तर स्वीकृति अक्टूबर 2010 में प्राप्त की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महाविद्यालय की स्थापना, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उदयपुर के मौजूदा लिमनोलोजी एवं मत्स्य विभाग का उन्नयन कर, की गई। परियोजना के तहत जारी कुल ₹ 4 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 0.51 करोड़ का व्यय किया गया तथा शेष राशि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास पड़ी थी। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की सिफारिशों के अनुसार महाविद्यालय को न्यूनतम 10 संकाय सदस्यों सहित कम से कम पांच विभागों¹⁹ की आवश्यकता थी। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 2012-17 के दौरान महाविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए ₹ 59.79 करोड़ की आवश्यकता प्रस्तुत की (जुलाई 2011)। महाविद्यालय की स्थापना इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की सिफारिशों के अनुसार समुचित शैक्षणिक, अशैक्षणिक, सहायक स्टाफ और निधियाँ उपलब्ध कराए बिना की गयी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के मानदण्डों के अनुसार सभी पांच विभागों के साथ एक सम्पूर्ण महाविद्यालय के निर्माण के लिये प्रावधान किए जा रहे हैं।

2.1.8.6 सेक्टर- सहयोग एवं सहकारिता

सहकारी संस्था का कम्प्यूटरीकरण

परियोजना का मुख्य उद्देश्य 29 जिलों के राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों में ₹ 25 करोड़ की लागत से 1,667 कम्प्यूटरीकृत मिनि बैंकों की स्थापना कर, बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

19. डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलोजी, फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्वाटिक एन्वायरमेंट एण्ड बेसिक साइंसेज।

• 2011-12 के दौरान 1,667 राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों के मिनि बैंको को कम्प्यूटर एवं फर्निचर की खरीद के लिये ₹ 1.50 लाख²⁰ प्रति बैंक प्रदान किये गये। तथापि, 11 जिलों के 468 राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों में कम्प्यूटर्स (कुल लागत ₹ 7.81 करोड़) क्रय नहीं किये गये (मार्च 2013)।

तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि कम्प्यूटरों की खरीद के लिए एक जिला स्तरीय समिति, जिसमें नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, का गठन किया गया (नवम्बर 2011)। कम्प्यूटरों की खरीद में देरी नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर के प्रतिनिधि के मनोनयन में देरी और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत निर्धारित लम्बी प्रक्रिया अपनाने के कारण हुई। तथ्य यह रहे कि कम्प्यूटरों की खरीद में असाधारण देरी के कारण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य शुरू नहीं हो सका था।

• विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा टीम द्वारा राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, खेड़पा (जोधपुर) के संयुक्त निरीक्षण (जुलाई 2012) में देखा गया कि कम्प्यूटर स्थापित किया गया था लेकिन स्टाफ की अनुपलब्धता की वजह से बैंकिंग लेनदेन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई। जोधपुर जिले के अन्य राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों में कम्प्यूटरों के परिचालन का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया (जनवरी 2014)।

2.1.8.7 सेक्टर- डेयरी विकास

दुग्ध प्रोसेसिंग एवं पैकिंग इकाई की स्थापना

परियोजना के तहत भरतपुर एवं करौली में क्रमशः 50 और 25 किलोलीटर क्षमता की दूध प्रोसेसिंग एवं पैकिंग इकाइयों की स्थापना की परिकल्पना की गई। परियोजना लागत ₹ 9.50 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7.24 करोड़ का व्यय किया गया (मार्च 2013)। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

• परियोजना की अवधि, अनुमोदन की तिथि (जुलाई 2008) से चार वर्ष थी। फिर भी, सिविल कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संयंत्र और मशीनरी की स्थापना और कमीशनिंग, आज दिनांक तक नहीं हो सकी (जून 2013)।

• भरतपुर में दूध प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना में देरी के कारण दूध की प्रोसेसिंग और पैकिंग अलवर में की जा रही थी और जनवरी से सितम्बर 2012

20. ₹ 0.90 लाख आधारभूत विकास (फर्निचर) और ₹ 0.60 लाख कम्प्यूटरीकरण के लिये।

तक दूध के परिवहन पर ₹ 27.74 लाख का परिहार्य व्यय, भरतपुर दुग्ध संघ द्वारा किया गया। सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि मशीनरी की स्थापना में देरी के कारण दूध की प्रोसेसिंग एवं पैकिंग अलवर में की गई थी। निर्माण कार्य पूर्ण करने के कदम उठाये जायें जिससे शीघ्रातिशीघ्र इकाइयां कार्यशील की जा सकें।

बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना

परियोजना के तहत एकत्रित दूध की गुणवत्ता बनाये रखने और दूध की छीजत/खट्टा होने के कारण किसानों को हुए आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से 18 जिलों²¹ में बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना की जानी थी। परियोजना राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा 6 साल की अवधि के लिये अनुमोदित की गई (अप्रैल 2011) और ₹ 31.76 करोड़ जारी निधि के विरुद्ध ₹ 31.75 करोड़ का व्यय किया गया (मार्च 2013)।

जांच में पाया कि सीकर जिले में स्थापित 37 बल्क मिल्क कूलर्स में से अक्टूबर 2010 से फरवरी 2012 में स्थापित ₹ 32.51 लाख कीमत के 4 बल्क मिल्क कूलर्स, सहकारी समिति एवं प्रबंधन समिति के मध्य विवाद (दो), बल्क मिल्क कूलर्स की आवश्यकता नहीं होने (एक) तथा सचिव की मृत्यु के कारण (एक) अनुपयोजित पड़े थे (जुलाई 2013)। आगे, सिविल कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ₹ 17.25 लाख कीमत के तीन बल्क मिल्क कूलर्स बेकार पड़े थे (जुलाई 2013)। इस प्रकार, राशि ₹ 49.76 लाख (परिशिष्ट-2.3) के सात बल्क मिल्क कूलर्स के अनुपयोगी होने के परिणामस्वरूप लाभार्थी बल्क मिल्क कूलर्स से वंचित रहे। तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि बदसिंघवाली में एक बल्क मिल्क कूलर्स अब स्थापित किया जा चुका है।

2.1.8.8 सैक्टर- उद्यान

जैतून की खेती परियोजनाएँ

'राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड' एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन 10 अगस्त 2007 को जैतून की खेती के कार्यान्वयन के लिए किया गया जिसमें इन्डोलाइव लिमिटेड, प्लास्ट्रो प्लासन इन्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का एक-तिहाई अंश स्वामित्व के साथ निजी जन सहभागिता (पीपीपी) विधि के अन्तर्गत एक संयुक्त उद्यम कम्पनी समावेशित थी।

21. अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, जालोर, नागौर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर, टोंक, सवाईमाधोपुर और उदयपुर।

वर्ष 2007-12 के दौरान स्वीकृत सात परियोजनाओं में से तीन²² की नमूना जाँच लेखापरीक्षा द्वारा की गयी। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि:

● दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद संख्या 7.1.5 में प्रावधान है कि नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजनावार लेखों का रख-रखाव किया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा परियोजनावार लेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप नोडल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति को प्रतिवेदित (मई 2012) व्यय राशि व राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित राशि में ₹ 3.97 करोड़ का अन्तर था जैसा कि निम्न विवरण में दर्शाया गया है:

सारणी 4: नोडल विभाग व कार्यान्वयन एजेंसी के व्यय के आंकड़ों में अन्तर

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	नोडल विभाग द्वारा प्रतिवेदित व्यय (मार्च 2012)	राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा प्रतिवेदित व्यय (मार्च 2012)	अन्तर
हाईटेक एग्रो-हॉर्टीकल्चर अनुसन्धान एवं प्रदर्शन केन्द्र, बस्सी में सब्जी प्रदर्शन की गतिविधि	3.50	3.35	0.15
बस्सी में हाईटेक एग्रो-हॉर्टीकल्चर एवं प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना	4.40	1.31	3.09
बस्सी में उत्कर्ष केन्द्र	1.82	1.09	0.73
योग	9.72	5.75	3.97

स्त्रोत: संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना), जयपुर व मुख्य प्रचालन अधिकारी, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, जयपुर।

राज्य सरकार ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि कम्पनी द्वारा व्यावसायिक पद्धति के अनुसरण में लेखें अपनाये गये जिससे, सृजन किये गये दायित्व अथवा सृजन किये जाने वाले दायित्वों को उत्तरदायी व्यय माना गया तथा अब अलग से नकदी आधार प्रणाली के अन्तर्गत लेखों का रखरखाव शुरू कर दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजनावार लेखों का संधारण नहीं किया गया था जो कि अन्तर का कारण था।

● परियोजना के अन्तर्गत मैसर्स मिहर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, इजरायल, एक कम्पनी, जिसमें राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डाइरेक्टर स्वयं

22. हाईटेक एग्रो-हॉर्टीकल्चर अनुसन्धान एवं प्रदर्शन केन्द्र बस्सी ₹ 22 करोड़, हाईटेक एग्रो-हॉर्टीकल्चर अनुसन्धान एवं प्रदर्शन केन्द्र बस्सी में सब्जी प्रदर्शन की गतिविधि: ₹ 6.50 करोड़, बस्सी में उत्कर्ष केन्द्र ₹ 5.50 करोड़।

स्वामी था, से जैतून पौधे आयात किये गये। यद्यपि, नोडल एजेन्सी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड को जारी आदेश (मई 2007) में यह उल्लेख था कि, जब तक पौधे कम से कम एक मीटर की ऊँचाई प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आवश्यक अग्रिम का भुगतान न किया जाये फिर भी, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड ने पौधों की हार्डनिंग, अस्तित्व में रहने की स्थिति व वांछित ऊँचाई प्राप्त किये बिना ही मैसर्स मिहर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, इजरायल को 1,12,339 पौधों की आपूर्ति के लिये ₹ 2.29 करोड़ (\$ 4.94 लाख) का भुगतान कर दिया, जिसके विरुद्ध मैसर्स मिहर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, इजरायल द्वारा केवल 90,495 पौधों की आपूर्ति की गयी, जिसमें विशाल संख्या में आपूर्ति पौधे बहुत छोटे, खुली जड़ और बिना जड़ के थे, जो पौधों की हार्डनिंग प्रक्रिया के दौरान मृत पाये गये।

तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2014) कि मैसर्स मिहर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, इजरायल को ₹ 44.45 लाख की कटौती के लिए वैध नोटिस जारी किया जा चुका है (जुलाई 2013) तथा वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। फिर भी, खराब पौधों की आपूर्ति की राशि की वसूली के लिये की गयी कार्यवाही सूचित नहीं की गयी। आगे, यह पाया गया कि मैसर्स मिहर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, इजरायल ने जून 2011 में सरकार को पत्र लिखा कि ₹ 44.45 लाख वसूल की जाने वाली राशि के साथ-साथ राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा रखरखाव पर किये गये व्यय ₹ 5.75 लाख की भी वसूली मैसर्स मिहर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, इजरायल से की जानी है। इसका दावा मैसर्स मिहर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, इजरायल के विरुद्ध दर्ज नहीं किया गया।

खजूर का पौधारोपण व खेती

परियोजना के अन्तर्गत, खजूर रोपण सामग्री का आयात किया जाना था तथा इन पौधों को किसानों के खेतों में आपूर्ति किये जाने से पूर्व उन्हें उद्यान विभाग की जोधपुर नर्सरी में नौ माह के लिए द्वितीयक हार्डनिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत रखना था। लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधि में से आर्थिक सहायता व शेष राशि लाभार्थियों से एकत्रित की जानी थी। परियोजना की अवधि वर्ष 2008 से प्रारम्भ की जाकर आठ वर्ष थी। परियोजना लागत ₹ 88.65 करोड़ के विरुद्ध ₹ 64.40 करोड़ का व्यय हुआ (मार्च 2013)। लेखापरीक्षा टिप्पणी निम्नानुसार थी:

- राज्य स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन (मार्च 2008) के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर जिलों में किया जाना था तथा वर्ष 2007-12 के दौरान कुल 900 हेक्टेयर क्षेत्र के फैलाव में खजूर के पौधों का रोपण किसानों के खेतों में किया जाना था। फिर भी यह पाया गया कि अक्टूबर 2012 तक केवल 443.94 हेक्टेयर (49.33 प्रतिशत) क्षेत्र तक ही फैलाव किया गया। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि फल लगने में बहुत लम्बी अवधि लगने के कारण किसानों (बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर) ने रुचि नहीं ली व स्टाफ की कमी (जैसलमेर) के कारण लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि नहीं मिली। आगे कहा गया (जनवरी 2014) कि नवम्बर 2013 तक खजूर के पौधों का फैलाव किसानों के खेतों में 576 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक किया जा चुका है।

- जोधपुर नर्सरी के लेखों की जाँच में पाया कि वर्ष 2009-11 के दौरान प्राप्त 1,32,912 खजूर पौधों में से केवल 77,076 पौधे ही जुलाई 2013 तक वितरित हुए व 389 पौधे किसानों को बदल दिये गये। शेष ₹ 12.89 करोड़ लागत के 55,447 (41.72 प्रतिशत) खजूर पौधे नर्सरी में पड़े हुए थे। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि खजूर के पौधों के आयात के लिये कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया व भविष्य में दिये जाने वाले सभी आदेश खेतों की मांग के अनुसार सख्ती से नियंत्रित किये जायेंगे। आगे सूचित किया गया (जनवरी 2014) कि 55,447 खजूर पौधों में से 12,784 पौधों का किसानों के खेतों में पौधारोपण नवम्बर 2013 तक कर दिया था। इस प्रकार, 2011 से प्राप्त किये ₹ 9.94 करोड़ कीमत के 42,663 पौधे नर्सरी में पड़े हुये थे। यह दर्शाता है कि परियोजना, मांग का उचित निर्धारण किये बिना प्रारम्भ की गई, जिससे ₹ 9.94 करोड़ की निधियां अवरूद्ध हुईं।

गैर-राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम

योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत चल रही विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन नौ गैर-राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिलों²³ में किया जाना था। परियोजना में पॉली ग्रीन हाउस की स्थापना और सामुदायिक जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी। लेखापरीक्षा टिप्पणी निम्नानुसार है:

23. भरतपुर, बीकानेर, चरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, राजसमन्द व सीकर।

● **पॉली ग्रीन हाउस का निर्माण**

गतिविधि के अन्तर्गत सब्जियों, फूलों व फलों को, नियंत्रित जलवायु वातावरण में उगाने हेतु 560 से 4000 वर्ग मीटर आकार की पॉली ग्रीन हाउस का निर्माण किया जाना था। वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अथवा राजस्थान बागवानी विकास संस्था द्वारा निर्धारित दरों की सीमाओं तक किसानों को भुगतान किया जाना था।

भरतपुर जिले में किसानों के खेतों पर किये गये संयुक्त निरीक्षण (21 जून 2012) के दौरान पाया गया कि पॉली ग्रीन हाउस की दो इकाइयां, जिन पर वर्ष 2009-11 के दौरान ₹ 7.10 लाख का अनुदान भुगतान किया गया, क्षतिग्रस्त व अकार्यशील थी। तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2014) कि प्राकृतिक आपदा के कारण पॉली ग्रीन हाउस नष्ट हुए थे और उन पॉली ग्रीन हाउस की मरम्मत के लिए बीमा कम्पनी से सम्पर्क किया गया है।



चित्र-1



चित्र-2

भरतपुर जिले में क्षतिग्रस्त हुए पॉली ग्रीन हाउस

- हनुमानगढ़ में 2010-13 के दौरान 4000 वर्ग मीटर पॉली ग्रीन हाउस के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 'शून्य' थी। सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि फसल की उच्च मूल्य बिक्री में कठिनाई के कारण किसानों द्वारा कोई रुचि नहीं दर्शायी गयी।

सामुदायिक जल ग्रहण संरचनाओं का निर्माण

सामुदायिक जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण हेतु किसानों को वास्तविक लागत की सीमा तक अथवा 2009-10 के लिये ₹ 10 लाख, वर्ष 2010-11 के लिये ₹ 15 लाख²⁴ व वर्ष 2011-12 के लिये ₹ 7.50 लाख²⁵, जो भी कम हो, अनुदान देय था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि:

हनुमानगढ़ जिले में सामुदायिक जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए वर्ष 2008-09 व 2009-10 के लिए तैयार किये गये प्राक्कलनों में मद “मिट्टी की खुदाई” के लिए ₹ 100 प्रति घन मीटर की दर ली गई जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान उसी कार्य के लिए ₹ 36 प्रति घन मीटर की दर ली गयी। अतः 2008-09 व 2009-10 के दौरान उच्च दर लिये जाने के परिणामस्वरूप 14 मामलों (परिशिष्ट-2.4) में ₹ 25.18 लाख का अधिक व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान खुदाई के लिए जेसीबी/ट्रेक्टर प्रचलन में नहीं होने के कारण खुदाई का कार्य मानव श्रम दर ₹ 100 से कराया गया। वर्ष 2010-11 में जेसीबी/ट्रेक्टर की दर ₹ 36 में खुदाई का कार्य कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खुदाई का कार्य पिछले वर्षों में जेसीबी/ट्रेक्टर से किया जाता रहा है।

भरतपुर व हनुमानगढ़ जिलों में 2008-12 के लिए क्रमशः 12 और 39 सामुदायिक जल ग्रहण संरचनाओं के लक्ष्य निर्धारित किये गये, जिनके विरुद्ध भरतपुर में 7 व हनुमानगढ़ में 10 निर्माण कार्य अपूर्ण थे। हनुमानगढ़ में 5 मामलों में किसानों ने सामुदायिक जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण में असमर्थता व्यक्त किये जाने (जून 2012) के कारण सामुदायिक जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि किसानों से प्रार्थना पत्र देरी से प्राप्त होने व जलमग्न क्षेत्रों का चयन होने के कारण सामुदायिक जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सके। यह कमजोर पर्यवेक्षण एवं दोषपूर्ण स्थल चयन के लक्षण है।

अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

परियोजना में प्रदर्शन कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष, जन उपयोगी भवन, प्रयोगशाला, तकनीकी भवन, फार्म पोण्ड, प्राकृतिक दृश्य स्थल, ग्रीन हाउस व शीत गोदाम का

24. आकार 100×100×3 घन मीटर।

25. आकार 50×50×3 घन मीटर।

निर्माण ₹ 25.71 करोड़ लागत में पाँच वर्ष की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर में परिकल्पित था। लेखापरीक्षा जाँच में निम्नानुसार पाया गया।

- अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (जुलाई 2008), वर्ष 2008-12 की अवधि में परिचालन व्ययों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की शर्त पर की गयी थी। यद्यपि, यह पाया गया कि 2008-11 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र की आय का मुख्य स्रोत, प्रशिक्षण से संग्रहित फीस, परिचालन लागत के 23.25 व 59.89 प्रतिशत के मध्य की सीमा में थी। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र को स्वतंत्र अस्तित्व आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तथा यह उपलब्धि प्राप्त करना दूरस्थ प्रतीत होता है क्योंकि 2008-11 के दौरान प्रशासनिक व्यय 376 प्रतिशत तक बढ़ गये थे। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रस्तुति द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- परियोजना के अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र को मार्च 2012 तक 4500 किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये ₹ 1.81 करोड़ आवंटित किये गये थे, जिसके विरुद्ध 1419 किसानों के प्रशिक्षण के लिये मात्र ₹ 68.42 लाख उपयोग में लिये गये (मार्च 2013)। अतः प्रशिक्षण देने में 68.47 प्रतिशत की अपेक्षित कमी रही। तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने कहा (जनवरी 2014) कि वास्तव में हॉस्टल की क्षमता के अनुसार किसानों को बुलाया गया था परन्तु उनकी उपस्थिति बहुत कम थी।

- दो प्रशिक्षकों, चार सहायक प्रशिक्षकों व एक फसल पर्यवेक्षक ने नीदरलैण्ड में तकनीकी प्रशिक्षण लिया (मार्च-अप्रैल 2009)। दो सहायक प्रशिक्षकों ने संस्था को छोड़ दिया (अप्रैल 2011 व फरवरी 2013)। इन प्रशिक्षकों से जमानती बन्ध राशि ₹ 2.50 लाख प्रत्येक से वसूली नहीं की गयी। तथ्य स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2014) कि प्रशिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

- अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केन्द्र में अतिरिक्त हॉस्टल बिल्डिंग के लिए ₹ 2.25 करोड़ राज्य स्तरीय चयन समिति ने अनुमोदित किये (अक्टूबर 2010)। मार्च 2011 व मार्च 2012 में क्रमशः ₹ 0.50 करोड़ व ₹ 1.75 करोड़ जारी किये गये। जाँच में पाया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण पूरी राशि अनुपयोजित पड़ी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ की

निधियां अवरूद्ध रही। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि अतिरिक्त हॉस्टल बिल्डिंग के निर्माण सम्बन्धी मामला विचाराधीन है।

सब्जी मिनिकिट्स का वितरण

सब्जी मिनिकिट्स के मुफ्त वितरण की परियोजना, राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये अनुमोदित की गयी थी (मई 2010)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया कि जायद-2011 में सभी जिलों को सब्जी मिनिकिट्स की खरीद व वितरण के लिये ₹ 2 करोड़, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग ने अनुमोदित किया (जनवरी 2011)। फिर भी किसानों को मिनिकिट्स का वितरण नहीं हुआ। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान बागवानी विकास संस्था द्वारा अथक प्रयास किये गये परन्तु परियोजना के दिशा-निर्देश देरी से प्राप्त होने व राजस्थान राज्य सीडस् कॉरपोरेशन द्वारा पीक सीजन में मिनिकिट्स की आपूर्ति न किये जाने के कारण कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। किसान, मिनिकिट्स के उपयोग के लाभ से वंचित रहे।

2.1.9 अनुश्रवण व मूल्यांकन

कृषि विभाग योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये नोडल विभाग है जो विभिन्न कार्यकारी विभागों व कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिये प्रभावी समन्वय के लिये उत्तरदायी है। राज्य स्तरीय चयन समिति भी, योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण तथा दिशा-निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी कार्यक्रम कार्यान्वयन किये जा रहे हैं, को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी थी। टिप्पणी निम्नानुसार की गयी।

- दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 6.4 में प्रावधान है कि राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक प्रायः अपेक्षानुसार होगी किन्तु एक तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। राज्य स्तरीय चयन समिति की प्रथम बैठक मार्च 2008 में हुई। 2008-09 से 2012-13 के दौरान कम से कम 20 बैठकें अपेक्षित थीं लेकिन इस अवधि में केवल 7 बैठकें सम्पन्न हुईं। अतः 13 बैठकों की अपेक्षित कमी थी। तथ्यों को स्वीकारते हुए सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि एक वर्ष में चार बार बैठकें सम्भव नहीं थीं। सरकार ने बैठकों का आयोजन क्यों सम्भव नहीं था, के कारण नहीं बताये। निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं होना, योजना के कार्यान्वयन में अनुश्रवण की कमी की पुष्टि करती है।

- दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 6.3 के अनुसार, राज्य स्तरीय चयन समिति समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिये उत्तरदायी थी। राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठकों के मिनिट्स का विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि मूल्यांकन अध्ययन के लिये न तो कोई सुझाव दिये और न ही परियोजनाओं के कार्यान्वयन

की समीक्षा की जिम्मेदारी उठायी। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रभावोत्पादक मूल्यांकन अध्ययन के लिये इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनोमिक चेन्जेज, बैंगलोर को नामित किया था (जुलाई 2013)। तथ्य यह रहे थे कि राज्य स्तरीय चयन समिति ने मूल्यांकन अध्ययन के लिये कोई पहल नहीं की।

2.1.10 कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रभाव

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के उद्देश्य से अमल में लायी गयी। जबकि उक्त योजना में वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत सूचीबद्ध हुई। योजना विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर की 'आर्थिक समीक्षा-2011-12' के आंकड़ों के विश्लेषण से पाया कि वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद²⁶ में वृद्धि 2.5 प्रतिशत दर्शायी गयी थी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2013) कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। उत्तर से पुष्टि होती है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राशि ₹ 2,129.97 करोड़ व्यय के बावजूद वार्षिक कृषि वृद्धि दर बढ़ नहीं सकी व राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि मुख्यतः 2011-12 में अच्छे मानसून का परिणाम थी।

2.1.11 निष्कर्ष

- योजना, शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये बिना कार्यान्वित हुई व योजना के घटकों का पूर्व निर्धारण नहीं किया गया।
- कई परियोजनाओं का परित्याग करना, निरस्त करना व प्रारम्भ नहीं करना, कमजोर आयोजना व बिना तैयारी के कार्य करने का सूचक है।
- कार्यान्वयन एजेन्सियों को बिना विशेष बंटवारे के निधियों की स्वीकृति व परियोजनावार लेखों का संधारण नहीं होने के कारण कुछ परियोजनाओं में उपलब्ध/आवश्यक निधियों का निर्धारण नहीं हो सका जो निधियों का अनिवार्य विपथन व कमजोर वित्तीय प्रबन्धन का सूचक है।
- राज्य में योजना का कार्यान्वयन, पर्याप्त स्टाफ (सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक), जो इसके जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार थे, की उपलब्धता जैसे संगठित कदम उठाये बिना किया गया, जो निम्नस्तरीय मानव संसाधन प्रबन्धन का द्योतक है।

26. स्थिर (2004-05) मूल्यों पर।

- किसानों की कम प्रतिक्रिया एवं मांग, गोदामों का अनुपयोगी रहना, पौधारोपण सामग्री का कम वितरण व स्टोरेज बिन्स के वितरण के लिये प्रावधित राशि को समर्पित करना, योजना को आरम्भ करने से पूर्व कार्यक्रमों की अपर्याप्त जानकारी के परिणामस्वरूप थे।
- गैर-सरकारी संगठन की नियुक्ति, उनकी वित्तीय स्थिति व कार्य करने की क्षमता जाने बिना एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाये बिना करने के परिणामस्वरूप अंततः परियोजना को छोड़ना पड़ा।
- संस्थाओं द्वारा सिविल कार्यों के कार्यान्वयन में निम्नस्तरीय अनुबन्ध प्रबन्धन व मैसर्स ल्यूपिन ह्यूमन वैल्फेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, भरतपुर को निधियां जारी नहीं करने से कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान चार प्रतिशत कृषि वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। नयी व अभिनव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद राज्य सरकार, मानसून पर निर्भरता को कम नहीं कर सकी।

2.1.12 अनुशाषाएं

- राज्य स्तरीय चयन समिति को और प्रभावी बनाना चाहिये। नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व व्यापक एवं उचित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना तथा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का अलग-अलग स्तर पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- परियोजनावार निधियां जारी करना व लेखों का संधारण करना सुनिश्चित करते हुए कार्यान्वयन पर वित्तीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ बनाने चाहिए। इसी तरह कार्यान्वयन पर बेहतर नियन्त्रण तथा निधियों के प्रभावोत्पादक उपयोग के लिए परियोजनावार फीडबैक लेने हेतु तंत्र विकसित किया जाना चाहिये।
- परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति/निष्पादन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

2.2 राष्ट्रीय ई-शासन योजना के लिये बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय ई-शासन योजना में, आम नागरिक तक अपने इलाके में सभी सरकारी सेवाएँ, दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके, वहन करने योग्य लागत पर सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से सहज उपलब्ध कराने की परिकल्पना थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि मुख्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ यथा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डेटा सेन्टर, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे एवं सामान्य सेवा केन्द्र मार्च 2013 तक पूर्ण नहीं हुये थे।

विभाग, स्टेट डेटा सेन्टर (107 प्रतिशत) और क्षमता निर्माण (60 प्रतिशत) को छोड़कर विभिन्न गतिविधियों पर उपलब्ध धनराशि का केवल 6 से 30 प्रतिशत ही उपयोग कर सका। ₹ 25.15 करोड़ की निधि ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में रखने के परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। परियोजना प्रशिक्षण हेतु आवंटित ₹ 42.35 लाख की निधि को अन्य गतिविधियों हेतु विपथन किया गया।

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण ₹ 1.36 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व सृजित हुआ। प्रस्ताव के लिये अनुरोध को अन्तिम रूप देने में बार-बार परिवर्तन एवं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के साथ प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली के एकीकरण के मुद्दों को निर्णित नहीं करने के परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में छः वर्ष का विलम्ब एवं ₹ 18.03 करोड़ की लागत अभिवृद्धि हुई।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाएँ भी प्रस्ताव के लिये अनुरोध में सम्मिलित थीं। स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे के अन्तर्गत ₹ 1.05 करोड़ की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति एवं ₹ 3.06 करोड़ की शास्तियों को आरोपित नहीं किया गया। सामान्य सेवा केन्द्रों को क्रियाशील बनाने में दोष के कारण ₹ 6.23 करोड़ एवं सामान्य सेवा केन्द्र निर्माण नहीं करने के कारण ₹ 22.01 करोड़ की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति सर्विस सेन्टर एजेन्सी पर आरोपित नहीं की गयी।

2.2.1 परिचय

भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय ई-शासन योजना में, आम नागरिक को अपने इलाके में सभी सरकारी सेवाएं, दक्षता, पारदर्शिता, और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके, वहन करने योग्य लागत पर सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से सहज उपलब्ध कराने की परिकल्पना थी।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

राष्ट्रीय ई-शासन योजना, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक बहु एजेन्सी कार्यक्रम है। कार्यक्रम की देखरेख और इसके कार्यान्वयन के लिये नीति और रणनीतिक दिशा प्रदान करने एवं अंतर-मंत्रालयी मुद्दों को हल करने के लिये सदस्य संयोजक के रूप में सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केन्द्र में एक शीर्ष समिति गठित की गई।

राज्य स्तर पर, सचिव-सह-आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजकॉम्प इन्फोसर्विसेज लिमिटेड, एक राज्य मनोनीत एजेन्सी, के माध्यम से विभिन्न योजनाओं/घटकों के क्रियान्वयन के लिये नोडल अधिकारी है। जिला स्तर पर, सामान्य सेवा केन्द्र के संचालन और कार्यशीलता की निगरानी एवं प्रमाणिकता के लिये जिला ई-शासन समिति निकाय है।

2.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांचना था कि क्या:

- आम बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये योजना, समन्वय और तैयार किये गये कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-शासन योजना के उद्देश्यों के अनुरूप थे;
- राष्ट्रीय ई-शासन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिये एक समन्वित तरीके से मूलभूत ढांचे (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डेटा सेन्टर एवं स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे) की योजना बनाई गयी थी;
- राष्ट्रीय ई-शासन योजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने हेतु सहायक बुनियादी ढांचे (सामान्य सेवा केन्द्र एवं क्षमता निर्माण) की योजना बनाई गयी और कार्यान्वित की गयी थी; तथा
- सामान्य सेवा केन्द्रों पर मिशन मोड परियोजनाओं द्वारा दी जा रही सेवाएं, नागरिक केन्द्रित थी तथा उपयोगकर्ता विभागों द्वारा राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत निर्मित आम बुनियादी ढांचे का प्रभावी ढंग से उपयोग करके सेवाएं दी जा रही थी।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय प्रबंधन की प्रभावकारिता की भी जांच करनी थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड अपनाये गये:

- भारत सरकार द्वारा जारी की गयी प्रशासनिक स्वीकृतियाँ;
- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे, सामान्य सेवा केन्द्र, स्टेट डेटा सेन्टर, ई-जिला एवं क्षमता निर्माण के दिशा-निर्देश;
- प्रस्ताव के लिये अनुरोध;
- करार/अनुबन्धों की शर्तें; एवं
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम।

2.2.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में 2006-07 से 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राज्य मनोनीत एजेंसी द्वारा की गयी गतिविधियों को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय ई-शासन योजना के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन की जांच करने के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा सितम्बर 2012 से जनवरी 2013 तक आयोजित की गयी। 2,760 सामान्य सेवा केन्द्रों में से 40 का चयन संयुक्त निरीक्षण हेतु रेन्डम आधार पर किया गया। सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के साथ 7 सितम्बर 2012 को प्रारम्भिक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें उप नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (रक्षा, संचार एवं रेलवे) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड और कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। 3 अक्टूबर 2013 को समापन बैठक आयोजित की गयी जिसमें सभी अनुच्छेदों पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के साथ विचार-विमर्श किया गया।

2.2.6 राष्ट्रीय ई-शासन योजना के घटक

राष्ट्रीय ई-शासन योजना में वृहद् स्तर पर निम्नलिखित तीन प्रमुख घटक/परियोजनाएं/स्कीम शामिल हैं:

- बुनियादी ढांचा (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डेटा सेन्टर एवं स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे);
- सामान्य सेवा केन्द्र; तथा
- ई-जिला एवं क्षमता निर्माण को समाविष्ट करते हुए मिशन मोड परियोजनाएं।

2.2.7 वित्तीय प्रबंधन

2.2.7.1 केंद्रीय सहायता का कम अवशोषण

2005-12 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधियों एवं विभाग द्वारा किये गये व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तलिका 5: प्राप्त निधियां एवं किये गये व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	कुल आउटले	भारत सरकार से प्राप्त निधियां		अनुदान सहायता पर प्राप्त किया गया ब्याज	कुल उपलब्ध धनराशि	किया गया व्यय	शेष	व्यय की प्रतिशतता
		अनुदान सहायता	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता					
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क	189.79 ²⁷	15.80 ²⁸	13.01	8.95	37.76	4.67	33.09	12
स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे	11.51	3.70	3.70	0.68	8.08	0.47	7.61	
स्टेट डेटा सेन्टर	48.92	4.05	6.69	0.74	11.48	12.30	(-) 0.82	107
सामान्य सेवा केन्द्र	105.08	13.39	17.52	7.49	38.40	5.96	32.44	16
ई-जिला	6.42	3.21	-	0.41	3.62	1.08	2.54	30
क्षमता निर्माण	5.15	5.15	-	0.36	5.51	3.22	2.29	58
योग	366.87	45.30	40.92	18.63	104.85	27.70	77.15	26

स्रोत- उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं राज्य मनोनित एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

विभाग, चार परियोजनाओं में उपलब्ध निधियों का केवल 6 से 30 प्रतिशत के बीच ही उपयोग कर सका। स्टेट डेटा सेन्टर और क्षमता निर्माण के अन्तर्गत निधियों का उपयोग क्रमशः 107 प्रतिशत एवं 58 प्रतिशत था। कमजोर उपयोगिता के कारण विभाग, परियोजना के अन्तर्गत अनुमोदित शेष धनराशि ₹ 262.02 करोड़ (71 प्रतिशत) तक पहुँच नहीं सका।

सरकार ने तथ्य स्वीकार किये (अक्टूबर 2013) एवं राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अधीन कम व्यय करने के लिए उत्तरदायी कारण बताये कि (i) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश पूरी समझ से अपनाने एवं विकसित करने हेतु राज्य के लिये काफी नये थे; (ii) बहुविध दृष्टिकोण के साथ ई-शासन/आईटी परियोजनाओं की प्रकृति जटिल थी; (iii) ई-शासन परियोजनाओं में बहु हितधारक थे जैसे भारत सरकार, सीडैक, मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन तथा लाइन विभाग, जिनकी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के साथ बहुत अधिक

27. कुल लागत ₹ 189.79 करोड़ के विरुद्ध भारत सरकार का हिस्सा ₹ 77.37 करोड़ एवं राज्य का हिस्सा ₹ 112.42 करोड़ था।

28. स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के लिये सम्भाव्यता अध्ययन की तैयारी के लिये 2004-05 में प्राप्त ₹ 33 लाख शामिल।

समन्वित प्रयासों की आवश्यकता थी एवं परियोजनाओं में उत्तरवर्ती विलम्ब; तथा (iv) प्रत्येक परियोजना की जरूरतें, विक्रेता प्रबंधन, विनिर्देशन, निगरानी के मामलों में अलग थी और समय लेने वाली थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं चूंकि नोडल एजेंसी द्वारा परियोजनाओं के फायदे और नुकसान का आंकलन सितम्बर 2005 में ही किया जाना चाहिए था। प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली के एकीकरण से संबंधित मुद्दे, प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि (30 सितम्बर 2005) से पांच साल तक निस्तारित नहीं किये यथा सर्वाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय (जुलाई 2009) की अनुपालना में लीज लाइन प्रौद्योगिकी की लागत का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

2.2.7.2 निधियों को ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में रखने के कारण ब्याज की हानि

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक अनुमोदन (सितम्बर 2005) के अनुसार निधियों के हस्तांतरण के लिये राज्य मनोनीत एजेंसी को अनुसूचित बैंक में एक पृथक परियोजना बैंक खाता खोलना था। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अधीन प्राप्त निधियां, बैंक खाते में जमा के स्थान पर ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में रखी गयी। इस खाते में 31 मार्च 2012 को विभिन्न परियोजनाओं के तहत ₹ 25.15 करोड़ का शेष उपलब्ध था, परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ ब्याज की हानि हुई (परिशिष्ट-2.5) जिसे राष्ट्रीय ई-शासन योजना गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता था। राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि एक पृथक परियोजना बैंक खाता खोलने की शर्त, अतिरिक्त केंद्रीय सहायता निधियों पर लागू नहीं थी। उत्तर सही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य सरकार से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत निधियों के हस्तांतरण एवं बजटीय आवंटन के उद्देश्य से विवरण जैसे बैंक का नाम एवं पता, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड मांगा गया था (फरवरी 2008)। यह स्पष्ट संकेत था कि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता निधियां बैंक खाते में जमा की जानी थी।

सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि राज्य को क्षमता निर्माण के लिये नोडल एजेंसी नामित करने की आवश्यकता होगी एवं राज्यों को जारी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता निधियां राज्य सरकार द्वारा धन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर नामित एजेंसी को जारी की जायेगी एवं तदनुसार निधियां राज्य मनोनीत एजेंसी के निजी निक्षेप खाते में रखी गयी।

उत्तर सही नहीं है चूंकि दोनों, नोडल एजेंसी एवं मनोनीत एजेंसी अस्तित्व में थी एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के 2008 के निर्देशन के अनुसार निधियों को राज्य मनोनीत एजेंसी के बैंक खाते में रखा जाना चाहिए था।

2.2.7.3 स्टेट डेटा सेन्टर के अन्तर्गत ₹ 82 लाख का अतिरिक्त व्यय

स्टेट डेटा सेन्टर परियोजना के तहत उपलब्ध राशि ₹ 11.48 करोड़ के विरुद्ध कुल ₹ 12.30 करोड़ व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.82 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि ₹ 12.30 करोड़ का व्यय अक्रूअल आधार पर पुस्तांकित किया गया था और इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 को ₹ 2.48 करोड़ के लेनदार थे। इस प्रकार, स्टेट डेटा सेन्टर परियोजना के अन्तर्गत खर्च को पूरा करने के लिए राज्य मनोनीत एजेन्सी के पास पर्याप्त धन था। उत्तर से स्पष्ट था कि खर्च की निगरानी कमजोर थी क्योंकि उपलब्ध निधि से अधिक खर्च अनुमत्य नहीं था।

सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि लागू लेखा मानकों के अनुसार उपलब्ध कुल निधियां ₹ 11.48 करोड़ के विरुद्ध ₹ 12.30 करोड़ का व्यय अक्रूअल आधार पर पुस्तांकित किया। यद्यपि, नगद आधार पर वास्तविक व्यय, केवल ₹ 9.82 करोड़ किया गया। इस प्रकार, राजकॉम्प इन्फोसर्विसेज लिमिटेड के पास वास्तविक नगद आउटप्लो के लिये पर्याप्त निधियां थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि योजना के अंतर्गत, उपलब्ध निधियों से अधिक दायित्व सृजन नहीं किया जा सकता था।

2.2.7.4 ₹ 42.35 लाख की निधियों का विपथन

क्षमता निर्माण के दिशा-निर्देशों (नवम्बर 2008) के अनुसार, राज्यों को उनकी परियोजना ई-मिशन टीम को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित ओरियेंटेशन कार्यक्रम के लिये मनोनीत करना था।

भारत सरकार ने क्षमता निर्माण के लिये ₹ 4 करोड़ (28 फरवरी एवं 14 मार्च 2008) स्वीकृत किए, इनमें से ₹ 0.45 करोड़ परियोजना ई-मिशन टीम के प्रशिक्षण के लिए आवंटित किए गए। यह ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों के लिए राज्य मनोनीत एजेन्सी ने किसी परियोजना ई-मिशन टीम को मनोनीत नहीं किया। प्राप्त निधियों का अन्य गतिविधियों की ओर विपथन कर दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने स्पष्ट किया (मई 2013) कि इन प्रशिक्षणों पर व्यय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया। उत्तर सही नहीं था चूंकि राज्य प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य क्रियाविधि द्वारा परियोजना ई-मिशन टीम के प्रशिक्षण पर हुए परिचालित व्ययों को, परियोजना ई-मिशन टीम के

दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से बाहर रखा गया था, इसलिये ₹ 42.35 लाख²⁹ की निधियों का अनाधिकृत रूप से विपथन हुआ।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि “राज्यों को क्षमता निर्माण के लिये एक नोडल एजेन्सी नामित करने की आवश्यकता थी और राज्य सरकार को निधियों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, राज्यों को निर्गमित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को नामित एजेन्सी के लिये निर्गमित करना होगा” तदनुसार निधियों को राज्य मनोनीत एजेन्सी के निजी निक्षेप खाते में रखा गया।

उत्तर, लेखापरीक्षा टिप्पणी से सम्बन्धित नहीं था।

2.2.7.5 प्रशासनिक प्रभारों के अन्तर्गत अनाधिकृत व्यय

स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे परियोजना रूपरेखा में स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे निधियों से प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान देय नहीं था। अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि सितम्बर 2009 से मार्च 2012 के मध्य, राज्य मनोनीत एजेन्सी ने प्रशासनिक एवं आकस्मिकता प्रभारों के अंतर्गत ₹ 20.72 लाख का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताये जाने पर (दिसम्बर 2012) सरकार ने तथ्य स्वीकारें एवं सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि राज्य मनोनीत एजेन्सी ने बाद में ₹ 17.11 लाख जर्नल हस्तान्तरण प्रविष्टी द्वारा वापस हस्तान्तरण कर दिए। हालांकि ₹ 3.62 लाख की राशि अभी भी वापस लेना बाकी थी।

2.2.7.6 निधियों का अनुपयोजन एवं अवरोधन

दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना, पायलेट परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति की तिथि से 18 माह में पूर्ण होनी थी।

ई-जिला की पायलेट परियोजना 17 मार्च 2010 को अनुमोदित हुई एवं भारत सरकार ने राशि ₹ 3.21 करोड़ की सहायता निर्गमित की (26 मार्च 2010)। परियोजना 16 सितम्बर 2011 तक पूर्ण की जानी थी। यह ज्ञात हुआ कि परियोजना, 30 माह की अवधि (सितम्बर 2012) के बाद भी तथा परामर्श सेवाओं/प्रशासनिक खर्चों पर ₹ 1.30 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं हुई।

29. ई-शासन परियोजना जीवन एवं परिवर्तन प्रबन्धन प्रशिक्षण ₹ 12.85 लाख, स्मार्ट सरकार प्रशिक्षण ₹ 12.85 लाख, वेब गुणवत्ता आश्वासन प्रशिक्षण ₹ 0.71 लाख एवं राज्य नेतृत्व अधिवेशन ₹ 15.94 लाख।

परियोजना की अपूर्णता के परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ का अवरोधन एवं ₹ 2.32 करोड़ की केन्द्रीय सहायता मय इस राशि पर उपार्जित ब्याज ₹ 41.39 लाख के अनुपयोगी रही।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकारते हुए बताया (मई 2013) कि 27 सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले 12 विभागों के मध्य समन्वय एवं 'कार्यान्वयन समर्थक समिति' का गठन करने में समय लगा।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि ई-शासन परियोजना की प्रकृति जटिल है और इसे पूर्ण करने में समय की आवश्यकता है। इससे इंगित हुआ कि परियोजना के कार्यान्वयन में समन्वय एवं अनुश्रवण कमजोर था।

2.2.8 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना ई-शासन की शुरूआत के समर्थन के लिये प्रमुख आधारभूत ढांचा था। यह लीड लाइन के माध्यम से राज्य मुख्यालयों के साथ सभी जिला और खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया। परियोजना का उद्देश्य, 'सरकार से नागरिक' एवं 'सरकार से सरकार' को सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए एक सुरक्षित सरकारी नेटवर्क तैयार करना था।

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे बतायी गयी हैं।

2.2.8.1 परियोजना कार्यान्वयन समिति के गठन में विलम्ब

प्रशासनिक अनुमोदन (30 सितम्बर 2005) के अनुसार, अनुमोदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के भीतर एक राज्य स्तरीय स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि समिति का गठन केवल 3 मार्च 2006 को हुआ एवं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिये इसकी पहली बैठक 4 अप्रैल 2006 को हुई।

सरकार ने विलम्ब को स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2013) कि दी गई समयावधि में समिति का गठन करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था चूंकि सरकारी प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं के साथ संकलित किया जाना था।

2.2.8.2 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के कार्यान्वयन में असाधारण विलम्ब

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना की स्थापना के लिये 30 सितम्बर 2005 को ₹ 96.62 करोड़³⁰ का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया। पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 2009-10 तक परियोजना पूर्ण करने के लिये ₹ 15.47 करोड़ की पहली किश्त 2005-06 में प्राप्त हुई।

यह ज्ञात हुआ कि परियोजना, लेखापरीक्षा तिथि (मार्च 2013) तक पूर्ण नहीं हुई थी एवं सात वर्षों के विलम्ब के संकेत देते हुए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क संचालक द्वारा राज्य मनोनीत एजेन्सी को भेजी गई सूचना (सितम्बर 2011) के अनुसार इसका अब केवल अगस्त 2017 तक पूर्ण होना अपेक्षित है। कार्यान्वयन में इस असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप न केवल लागत अभिवृद्धि होगी बल्कि 'सरकार से नागरिक' एवं 'सरकार से सरकार' सेवाओं के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के लाभ उठाने से नागरिक वंचित रहे।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि दिसम्बर 2013 तक परीक्षण की अपेक्षा के साथ, संचालक को परियोजना को 5 वर्षों के लिए दिसम्बर 2018 तक परिचालित करना होगा एवं अन्तिम रूप से पूर्ण स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को राजस्थान सरकार को हस्तगत करना होगा। इस प्रकार, विभाग ने परियोजना पूर्ण होने एवं राज्य सरकार को हस्तगत होने में विलम्ब को स्वीकार किया।

इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार विभिन्न कारकों की निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2.8.3 प्रस्ताव के लिये अनुरोध एवं निविदा आमंत्रण सूचना में बार-बार परिवर्तन

सलाहकार द्वारा 5 अप्रैल 2005 को प्रस्तुत प्रथम प्रस्ताव के लिये अनुरोध को नवम्बर 2006 में गठित वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर वर्तमान प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली नेटवर्क को स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के लिए तकनीकी समाधान अनुकूल कर प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए संशोधित किया गया। सिफारिशों के आधार पर संशोधित प्रस्ताव के लिये अनुरोध 26 फरवरी 2007 को परामर्शदाता मैसर्स 3आई-इन्फोटेक लिमिटेड, मुम्बई (पूर्व में मैसर्स आईसीआईसीआई इन्फोटेक लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत की गई।

संशोधित प्रस्ताव के लिये अनुरोध के अनुसार, निविदा आमंत्रण सूचना, 3 अप्रैल 2007 को डाली गई, जिसे प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के एकीकरण के मुद्दों के आधार पर अगस्त 2007 में रद्द कर दिया गया था। तब एक तीसरा 'प्रस्ताव के लिये अनुरोध' तैयार किया गया और 11 सितम्बर 2007 को सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गयी। 28 फरवरी 2008 को टेण्डर जारी किए गए जिसकी वैधता

30. ₹ 96.62 करोड़ के विरुद्ध, भारत सरकार हिस्सा ₹ 77.37 करोड़ था, एवं राज्यांश ₹ 19.25 करोड़ था।

अवधि समाप्त होने तथा नई तकनीकियों के ईजाद हो जाने के कारण अप्रैल 2009 में पुनः निरस्त कर दिये गये। निविदा आमंत्रण की सूचना फिर संशोधित की गई एवं 9 फरवरी 2010 को जारी की गई, जो कि अंततः स्वीकृत की गई तथा 15 अप्रैल 2011 को मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क संचालक) को कार्यदिश जारी किया गया। इस प्रकार, प्रस्ताव के लिये अनुरोध में बार-बार परिवर्तन एवं बोली प्रक्रिया के निरस्तीकरण से परियोजना छः वर्षों से अधिक विलम्बित हुई (5 अप्रैल 2005 से 15 अप्रैल 2011)

राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि प्रस्ताव के लिये अनुरोध में संशोधन, वर्तमान नेटवर्क के साथ एकीकरण होने, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का कुशल उपयोग करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी को आवरित करने के लिए किये गये थे। इन तथ्यों की आगे अक्टूबर 2013 में सरकार द्वारा पुष्टि की गई। तर्क सही नहीं है चूंकि काम देने में छः वर्ष की देरी न्यायोचित नहीं थी एवं यह देखते हुए कि इस क्षेत्र में तेजी से एवं सतत् तकनीकी विकास हो रहे हैं, विशिष्टियों को किसी स्तर पर तो रोका जाना है। आगे, जनवरी 2008 की निविदा को अन्तिम रूप देने में देरी, जिसे वैधता अवधि की समाप्ति के कारण अप्रैल 2009 में रद्द कर दी गई एवं फरवरी 2010 में एक और निविदा जारी करने के साथ अप्रैल 2011 में कार्य आदेश जारी करना, दर्शाता है कि देरी सीधे कार्यान्वयन एजेन्सी के कारण थी।

2.2.8.4 सलाहकार की पुनः नियुक्ति- ₹ 1.36 करोड़ के अतिरिक्त दायित्व का सृजन

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के रूपांकन एवं कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य मैसर्स आईसीआईसीआई इन्फोटेक लिमिटेड (सलाहकार) को प्रदान किया गया (जनवरी 2005)। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, प्रथम चरण के दौरान परियोजना परामर्श की लागत के लिए ₹ 16.76 लाख एवं द्वितीय चरण के दौरान पांच वर्ष में निगरानी शुल्क के लिए ₹ 11.19 लाख का भुगतान किया जाना था।

यह पाया गया कि 5 अप्रैल 2005 को सलाहकार द्वारा प्रस्तुत प्रथम प्रस्ताव के लिये अनुरोध को लगभग पांच साल की देरी के उपरान्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा 9 फरवरी 2010 को अंतिम रूप दिया गया। निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन एवं हस्तांतरण आधार पर प्रस्ताव के लिये अनुरोध के निष्पादन के लिए कार्यदिश मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के पक्ष में जारी किया गया (15 अप्रैल 2011)। इसी बीच परियोजना में असाधारण देरी की वजह से सलाहकार ने मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर अपना काम जारी रखने से मना कर दिया। (29 फरवरी 2012)। तदनुसार प्रतिभूति जमा ₹ 1.67 लाख की जब्ती के बाद राज्य मनोनीत एजेन्सी ने 20 जनवरी 2012 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ अगस्त 2012 में सलाहकार के साथ अनुबन्ध समाप्त कर दिया। इसके बाद ₹ 1.47 करोड़ के लिए

मैसर्स टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेन्ट इण्डिया लिमिटेड को, अनुबन्ध की तिथी से सभी सुपर्दगी को प्रस्तुत करने तक जो कि प्रस्ताव के लिये अनुरोध दस्तावेजों के कार्यक्षेत्र में निर्दिष्ट है, द्वितीय चरण का कार्य जिसमें स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के लिए परियोजना प्रबन्धन, स्वीकृति, परीक्षण एवं परामर्श सेवाएं शामिल है, प्रदान किया (10 दिसम्बर 2012)। इस प्रकार, प्रस्ताव के लिये अनुरोध को अंतिम रूप देने और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के क्रियान्वयन में असाधारण देरी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त दायित्व ₹ 1.36 करोड़ (₹ 1.47 करोड़-₹ 0.11 करोड़) का सृजन हुआ।

तथ्यों को स्वीकार कर राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि राशि में अन्तर, कार्यक्षेत्र एवं धन के समय मूल्य के कारण था। सरकार ने आगे सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि मैसर्स टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेन्ट इण्डिया लिमिटेड के कार्य क्षेत्र में अन्य गतिविधियां शामिल है जो 3आई-इन्फोटेक के कार्य क्षेत्र का भाग नहीं थे एवं प्रभारों में वृद्धि का आरोपण, मैसर्स टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेन्ट इण्डिया लिमिटेड को अतिरिक्त गतिविधियां नियत करना रहा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य मनोनीत एजेन्सी द्वारा योजना के कार्यान्वयन में असाधारण देरी के कारण पूर्व सलाहकार को काम जारी रखने से मना करने हेतु मजबूर किया जिससे अतिरिक्त दायित्व का निर्माण हुआ। उत्तर (अक्टूबर 2013) में दर्शित अतिरिक्त गतिविधियाँ मैसर्स 3आई-इन्फोटेक के साथ निष्पादित अनुबन्ध के तहत पहले से शामिल थी जिसके अनुसार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के कार्यान्वयन की दिशा में निष्पादन किए जाने वाले ऐसे कार्यों की सेवाएं परियोजना परामर्शदाता प्रदान करेगा। प्रस्ताव के लिये अनुरोध के उपबन्ध के अनुसार सलाहकार हार्डवेयर, स्थापन, एकीकरण, परीक्षण और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना का परिचालन प्रस्ताव के लिये अनुरोध/अन्तिम प्रारूप में समग्र समाधान सुझाव के अनुसार पर्यवेक्षण करते हुए करेगा।

2.2.8.5 परियोजना के लिए पुनः निविदा- लागत अभिवृद्धि ₹ 18.03 करोड़

राज्य मनोनीत एजेन्सी ने इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग एवं संचार स्थापित करने के लिए तथा इसके प्रचालन एवं प्रबन्धकीय सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की (28 जनवरी 2008)। वित्तीय बोलियाँ 28 जून 2008 को खोली गयी और न्यूनतम बोली प्रदाता मैसर्स आईटीआई लिमिटेड के साथ ₹ 102.19 करोड़ के लिए बातचीत की गई (18 जुलाई 2008)। तथापि, प्रकरण, निर्णय के लिए वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के मध्य जुलाई 2008 से अप्रैल 2009 तक घूमता रहा। अन्त में वित्त विभाग ने राय दी (अप्रैल 2009) कि तकनीकी बिन्दुओं के सम्मिलित होने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को अपने स्तर पर निर्णय लेना चाहिए। इस निरर्थक कसरत में बोलीदाता की वैधता

अवधि 31 मार्च 2009 को समाप्त हो गई और बोलीदाता ने उसका विस्तार करने से मना कर दिया इसलिए बोली को रद्द कर दिया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने तय किया (जुलाई 2009) कि लीड लाईन कनेक्टिविटी के लिए व्यवहार्यता एवं लाभ लागत विश्लेषण की सत्यता की जांच उपरान्त प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली नेटवर्क प्रौद्योगिकी को स्थानीय कार्यालयों को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के काम में ली जानी है। फिर भी फरवरी 2010 की प्रस्ताव के लिये अनुरोध एवं जुलाई 2010 की अन्तिम प्रस्ताव के लिये अनुरोध में प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली नेटवर्क प्रौद्योगिकी का लागत विश्लेषण नहीं रखा गया। पुनःनिविदा के बाद अंतिमरूप में मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को ₹ 120.22 करोड़ के लिए कार्य प्रदान किया (15 अप्रैल 2011)। इस प्रकार, एकीकरण विषयों का निपटान नहीं करने एवं हिचकिचाहट के कारण बोली के अन्तिमीकरण की प्रक्रिया में दो वर्ष और नौ माह की अवधि बर्बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.03 करोड़ (₹ 120.22 करोड़ - 102.19 करोड़) की लागत अभिवृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (मई 2013) कि प्रस्ताव के लिये अनुरोध में परिवर्तन, कई बदलाव एवं मूल न्यूनतम बोलीदाता द्वारा वैधता अवधि में बढ़ोतरी का अनुमोदन नहीं करने के कारण किया गया। सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि इसमें विनिर्दिष्ट दोनों प्रस्ताव के लिये अनुरोध पूर्णतया भिन्न थी और दोनों अतुलनीय थी एवं विलम्ब के कारणों का सम्बन्ध कमजोर योजना से नहीं है अपितु नई तकनीकी एवं प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली से प्राप्त अनुभवों के साथ परिवर्तन के परिणामों को शामिल किये जाने से है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली परियोजना को दिसम्बर 2005 में शुरू किया गया एवं जुलाई 2008 में प्रथम निविदा आमंत्रित की गई तब राज्य मनोनीत एजेन्सी के पास प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली परियोजना का अनुभव उपलब्ध था एवं जब जुलाई 2008 में निविदा आमंत्रित की गई थी तब उसमें इसका उपयुक्त रूप में सकारात्मक असर किया जाना चाहिए था।

2.2.8.6 अनुबन्ध हस्ताक्षर करने में विलम्ब- अमानत राशि को जब्त न करना

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के कार्यान्वयन के लिये मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रचालक) को 15 दिवसों में अनुबन्ध निष्पादन करने एवं निष्पादन बैंक गारंटी जमा कराने की शर्त के साथ 15 अप्रैल 2011 को कार्यादेश जारी किया। अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि अनुबन्ध 26 अगस्त 2011 को

निष्पादित किया गया एवं निष्पादन बैंक गारंटी 29 सितम्बर 2011 को जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के निष्पादन में पांच माह का विलम्ब हुआ। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रचालक की बयाना राशि ₹ 3.20 करोड़ को जब्त करने के लिये राज्य मनोनीत एजेन्सी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि उर्ध्वकार उपस्थिति के बिन्दुओं की तैयारी, क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुमोदन में विलम्ब एवं मूल उपकरण निर्माता के परिवर्तन संबंधित मुद्दों के समाधान में कमियां थी।

सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि अप्रैल एवं सितम्बर 2011 के मध्य की अवधि का उपयोग, साइटों की तैयारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुमोदन आदि में हुआ। इस प्रकार, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आपरेटर के कारण विलम्ब नहीं हुआ और अमानत राशि की जब्ती और अनुबन्ध हस्ताक्षर नहीं करने के लिये कार्यदेश निरस्त करने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती और परियोजना में आगे विलम्ब होता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करना एवं निष्पादन बैंक गारंटी जमा कराना अलग-अलग कार्यवाही थी। उत्तर यह भी दर्शाता है कि राज्य मनोनीत एजेन्सी तैयार नहीं थी एवं राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क आपरेटर को स्थल सौंपने में देरी, परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना के अभाव को इंगित करती है।

2.2.9 स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे परियोजना, मानक-आधारित संदेश भेजने के स्विच रूप में कार्य करने और सुगमता से अंतर-कार्यान्वयन प्रदान करने और विभागों में डेटा का आदान प्रदान करने के लिये अवधारित थी। गेटवे, सभी बाहरी संस्थाओं के लिये बैंकएण्ड विभागों तक पहुंच के लिये एक बिन्दु के रूप में कार्य करता है।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के कार्यों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

2.2.9.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विचारित नहीं की गई नई सेवाओं का समावेश

राज्य सरकार ने स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में 81 सेवाओं की सूची अनुमोदनार्थ भारत सरकार को भेजी (मई 2009)। भारत सरकार ने 41 सेवाएं अनुमोदित की (जुलाई 2009)। इसके विपरीत राज्य सरकार ने 26 अनुमोदित एवं 16 नई सेवाओं, जो न तो सर्वे की गई थी और न ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विचारित थी, को सम्मिलित करते हुए 42 सेवाओं को अंतिम रूप दिया।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का उद्देश्य विफल नहीं रहा क्योंकि सम्बन्धित विभागों के अनुरोध पर केवल कुछ सेवाएं ही

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परिवर्तित की गयी थी। कार्यालयी आवश्यकता निर्दिष्टीकरण तैयार करते समय इन नई सेवाओं का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था एवं इसलिए इन सेवाओं को प्रस्तावों के लिए अनुरोध में सम्मिलित किया गया। प्रस्ताव के लिये अनुरोध को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कराया गया जिसमें यह परिवर्तित सेवाएं सम्मिलित थी।

राज्य सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में दी गई सेवाओं की सूची केवल सांकेतिक है और यह आशा थी कि कार्यान्वयन के दौरान यह शोधन से गुजरेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि सेवाओं की सूचियां आधारभूत कारक थी, जैसाकि ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पहले सर्वेक्षण के दौरान सम्बन्धित विभागों के परामर्श के साथ प्राथमिकता देने एवं उसके बाद सम्मिलित की जाकर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत थी। सम्मिलित नई सेवाएं, जो मात्रा/उपयोगिता के आधार पर सर्वेक्षित नहीं की गईं एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गईं, के कारण परियोजना के कार्यान्वयन की लागत में वृद्धि होगी।

2.2.9.2 कार्यान्वयन एजेंसी को अन्तिमरूप देने में विलम्ब

प्रशासनिक स्वीकृति (21 जुलाई 2009) के अनुसार स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे द्वारा छः माह के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना था। इस परियोजना के लिये कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये पैनल में सम्मिलित कार्यान्वयन एजेंसियों की एक सूची भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित की (अगस्त 2009)। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने अन्तिम रूप देने एवं कार्यान्वयन एजेंसी (मैसर्स विप्रो लिमिटेड) का चयन करने में 15 माह लगा दिये। अंततः प्रयोजन-पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) 18 दिसम्बर 2010 को जारी किया। इससे न केवल परियोजना में विलम्ब हुआ बल्कि नागरिकों को सुविधा से वंचित भी होना पड़ा।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकारते हुए बताया (मई 2013) कि कार्यालयी आवश्यकता निर्दिष्टीकरण, प्रस्ताव के लिये अनुरोध दस्तावेज की तैयारी एवं नीलामी प्रक्रिया में देरी के कारण, परियोजना में विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार ने बाद में बताया (अक्टूबर 2013) कि कार्यदिश जारी करने के लिए 15 माह का समय, अधिक नहीं था क्योंकि इससे पहले कार्यालयी आवश्यकता निर्दिष्टीकरण बनाने एवं विभिन्न विभागों द्वारा इसका पुनरीक्षण करने, प्रस्तावों के लिए अनुरोध तैयार करने और इसको भारत सरकार से अनुमोदन एवं बोली की प्रक्रिया जैसे कई क्रमबद्ध कदम उठाये जाने थे

उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि आवश्यक सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए छः महीने का समय निर्धारित किया गया था।

2.2.9.3 नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे के साथ स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे का एकीकरण नहीं होना

भारत सरकार ने निर्देश दिए (22 अक्टूबर 2008) कि राज्य पोर्टल अंततः राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किये जाने थे और इसके लिये राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। कार्यान्वयन एजेन्सी को राष्ट्रीय सेवा निर्देशिका एवं राज्य पोर्टल, नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे के साथ स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के एकीकरण सहित परियोजना कार्यान्वयन कार्य किया जाना था।

नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे के साथ एकीकरण का चरण प्राप्त नहीं किया गया। राज्य सरकार ने स्वीकार किया (मई 2013) और बताया कि विकास कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन के समय एकीकरण किया जावेगा।

सरकार ने बाद में बताया (अक्टूबर 2013) कि नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे के साथ स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे का एकीकरण अब कर दिया गया है।

2.2.9.4 परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति ₹ 1.05 करोड़ एवं शास्ति ₹ 3.06 करोड़ नहीं लगाना

प्रस्ताव के लिये अनुरोध के अनुच्छेद 18.2 एवं अनुबन्ध के उपबन्ध 10.1 के अनुसार परियोजना पूर्ण करने की निर्धारित अवधि से तीन चौथाई अवधि से अधिक विलम्ब होने पर 10 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित होनी थी। इसके अलावा अनुबन्ध के उपबन्ध 14.1 के अन्तर्गत शास्ति भी आरोपणीय थी।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे परियोजना का कार्यान्वयन 24 सप्ताह में करने के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी से एक अनुबन्ध ₹ 10.46 करोड़ के लिये हस्ताक्षरित किया गया (21 जनवरी 2011)। तदनुसार, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे कार्य 8 जुलाई 2011 तक पूर्ण किया जाना था। राज्य सरकार ने स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे परियोजना के साथ राजस्थान सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम, 2011, ई-मित्र एवं राजस्थान ऑनलाइन के विलय का निर्णय लेते हुए परियोजना योजना में संशोधन किया। परिणामस्वरूप कार्य का क्षेत्र संशोधित हुआ और परियोजना को 26 सितम्बर 2012 तक पूर्ण किया जाना पुनर्निर्धारित हुआ। सामान्य सेवा केन्द्र/ई-मित्र पोर्टल पहले से ही कार्य कर रहे थे और नागरिकों को सितम्बर 2011 से सेवाएं प्रदान की जा रही थी।

जांच के दौरान यह देखा गया कि स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे परियोजना पुनर्निर्धारित तिथि से 24 सप्ताह से अधिक विलम्ब के पश्चात् भी पूर्ण नहीं हुई थी (मार्च 2013)। तदनुसार, कार्यान्वयन एजेन्सी ₹ 1.05 करोड़ की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति एवं ₹ 3.06 करोड़ की शास्ति, जैसा कि परिशिष्ट-2.6 में दर्शाया गया है, के लिए उत्तरदायी थी।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकारे एवं बताया (मई एवं अक्टूबर 2013) कि क्षतिपूर्ति/शास्ति का लागू करना कार्यान्वयन एजेन्सी को समयवृद्धि की स्वीकृति/भुगतान जारी करने के समय निर्धारित किया जायेगा। तथ्य यह है कि कार्यान्वयन एजेन्सी से राशि की वसूली अभी तक की जानी शेष थी।

2.2.9.5 अन्तिम उपयोगकर्ता लाईसेंस का हस्ताक्षर नहीं होना

कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सी-डैक को राज्य पोर्टल पर ई-फार्म एप्लीकेशन एवं ई-फार्म एप्लीकेशन के बेकएण्ड को स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के साथ एकीकृत करने, कनेक्टर्स के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी को तकनीकी सहायता और स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे साफ्टवेयर उत्पाद प्रदान करना था। सी-डैक द्वारा जारी की गई उपयोगकर्ता पुस्तिका के अनुच्छेद 3.1 में प्रावधान है कि एक अन्तिम उपयोगकर्ता लाईसेंस सी-डैक और राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि, सी-डैक घटक का साफ्ट संस्करण प्राप्त हो गया, राज्य मनोनीत एजेन्सी ने सी-डैक के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया। राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि सी-डैक को कार्य, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया था। सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि सी-डैक के लिए उपयोगकर्ता लाईसेंस स्वतः हितधारक लाईसेंस अनुबन्ध स्थापना प्रक्रिया का भाग होने के रूप में स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे की स्थापना के समय में हस्ताक्षरित हो जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक अन्तिम उपयोगकर्ता लाईसेंस, कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सी-डैक और राज्य सरकार के मध्य हस्ताक्षरित होना चाहिए। यहां तक कि अक्टूबर 2013 तक प्रस्ताव के लिये अनुरोध हेतु अन्तिम रूप दी गई 42 में से 5 सेवाएं विकसित की जा चुकी हैं लेकिन कार्यान्वित नहीं की गयीं। सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि सभी 42 सेवाएं जल्द से जल्द प्रदान की जाएं।

2.2.10 सामान्य सेवा केन्द्र

सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना एकीकृत रूप में, भारत के ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के लिए अन्त वितरण बिन्दुओं के रूप में परिकल्पित की गई। परियोजना, राज्य मनोनीत एजेन्सी, सर्विस सेन्टर एजेन्सियों और विलेज लेवल एन्टरप्रोनर को शामिल करते हुए एक तीन स्तरीय कार्यान्वयन संरचना की थी। इन वितरण बिन्दुओं के परिचालन में देखी गई विसंगतियों की नीचे चर्चा की गई है।

2.2.10.1 अनुबन्ध में लेन-देन के लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया जाना

आम नागरिकों को राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत 'सरकार से नागरिक' सेवाएं प्रदान करने के लिए, सामान्य सेवा केन्द्रों को बनाने, परिचालन एवं प्रबंधन का कार्य दो सर्विस सेन्टर एजेन्सियों, नामित मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर्स लिमिटेड (15 जुलाई 2008) को जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर के चार खण्डों (4054 सामान्य सेवा केन्द्रों) के लिये एवं मैसर्स जूम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (23 जनवरी 2009) को भरतपुर, बीकानेर एवं जोधपुर के तीन खण्डों (2572 सामान्य सेवा केन्द्रों) के लिये प्रदान किया।

इन सर्विस सेन्टर एजेन्सियों के साथ निष्पादित मास्टर सर्विस एग्रीमन्ट की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सामान्य सेवा केन्द्रों पर न्यूनतम लेन-देन के सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। इसके अभाव में 'सरकार से नागरिक' सेवाएं प्रदान करने में सर्विस सेन्टर एजेन्सियों और विलेज लेवल एन्टरप्रानर्स की प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा एवं बताया (मई 2013) कि सेवाओं की बढ़ती संख्या के साथ न्यूनतम 30 लेन-देन प्रति सामान्य सेवा केन्द्र/माह का उपबन्ध (क्लोज) बाद में जोड़ा गया और राजस्व सहायता केवल उन्हीं सामान्य सेवा केन्द्रों को जारी की गई जिन्होंने 'सरकार से नागरिक' सेवाओं के लेन-देन पूरे किए।

2.2.10.2 लक्षित सामान्य सेवा केन्द्रों का निर्माण एवं परिचालन नहीं किया जाना

दिशा-निर्देशों (अगस्त 2006) का अनुलग्नक-अ, प्रस्ताव के लिये अनुरोध की तिथि से 19 माह के भीतर 100 प्रतिशत सामान्य सेवा केन्द्रों का रॉल-आउट एवं संचालन पूर्ण करना प्रतिपादित करता है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया (सितम्बर 2012) कि यद्यपि, प्रस्ताव के लिये अनुरोध में अप्रैल 2008 में 6626 सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना का अनुमोदन था, मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर्स लिमिटेड द्वारा नवम्बर 2009 (अनुमोदन के 19 माह बाद) तक केवल एक सामान्य सेवा केन्द्र बनाया गया, तथापि, लक्षित 6626 सामान्य सेवा केन्द्रों के विरुद्ध मार्च 2013 को 5012³¹ सामान्य सेवा केन्द्र बनाये और संचालित किये गये। यह संकेत करता है कि समय अनुसूची के अनुसार सामान्य सेवा केन्द्र बनाने पर विभाग ने निगरानी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप एक तरफ लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई एवं दूसरी तरफ ग्रामीण जनसंख्या को सेवाएं प्रदान नहीं जा सकी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2013) कि जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर, राज्य स्तरीय सक्षम प्राधिकारियों और भारत सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति

31. जिला ई-शासन समिति: 28, मै. वक्रांगी सॉफ्टवेयर लिमिटेड 2212 एवं मै. सीएमएस कम्प्यूटर्स लिमिटेड 2772

द्वारा सिफारिश करने पर (6 जुलाई 2012), परियोजना समयावधि 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा निर्धारित अवधि (अप्रैल 2008 से नवम्बर 2009) में सामान्य सेवा केन्द्र बनाने थे जबकि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सुझाव सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा 6 जुलाई 2012 के बाद प्रस्तुत समय विस्तार के मामलों में लागू होते हैं।

सरकार ने पुनः बताया (अक्टूबर 2013) कि वस्तुतः देरी का कारण था कि सामान्य सेवा केन्द्र योजना का पूर्णरूपेण निजी जन सहभागिता (पीपीपी) मॉडल के आधार पर एक नई अवधारणा थी और प्रस्ताव के लिये अनुरोध को अंतिम रूप देने में समय लगा। इसके आगे बताया कि सामान्य सेवा केन्द्रों का रॉल-आऊट सभी राज्यों में देरी से हुआ और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से चर्चा की। इसलिए, भारत सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति और राज्य स्तरीय सक्षम अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर मैसर्स वक्रांगी सॉफ्टवेयर लिमिटेड को सामान्य सेवा केन्द्र रॉल-आऊट करने के लिए समयावृद्धि प्रदान की गयी। मैसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संविदा फरवरी 2011 से प्रभाव के साथ समाप्त किया गया एवं मैसर्स वक्रांगी सॉफ्टवेयर को 30 सितम्बर 2013 एवं मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर्स को 31 दिसम्बर 2013 तक काम सौंपा गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के दिशा-निर्देशों में बल दिया गया था कि राज्य मनोनीत एजेन्सी को राज्य के भीतर योजना के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाना था और सर्विस सेन्टर एजेन्सियों को अपेक्षित नीति, सामग्री और अन्य सहायता प्रदान करना था। राज्य में विभिन्न सरकारी एजेंसियों/विभागों में मौजूदा भौतिक, डिजिटल और संस्थागत बुनियादी सुविधाओं का सामान्य सेवा केन्द्र योजना के साथ एकीकरण की रीति और अवस्था पर राज्य सरकार को उचित निर्णय लेना था और मौजूदा सरकारी योजनाओं के विस्तार और तौर-तरीकों का सामान्य सेवा केन्द्र योजना के साथ एकीकरण तय करना था। राज्य सरकार को राज्य में सामान्य सेवा केन्द्र सम्बन्धित गतिविधियों के साथ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कार्यान्वयन योजना (अक्टूबर 2013 तक प्रभाव में नहीं आई) को औपचारिक रूप जल्द से जल्द देना चाहिए था।

2.2.10.3 परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं किया जाना

- सामान्य सेवा केन्द्रों के गैर-संचालन के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं किया जाना

प्रस्ताव के लिये अनुरोध के परिचालन दिशा-निर्देशों (वोल्यूम-1) के पैरा 5 एवं 5.2(जी) के अनुसार सामान्य सेवा केन्द्र को बैंक छुट्टियों के अलावा प्रत्येक दिन पूर्वान्ह नौ बजे और अपरान्ह छः बजे के मध्य कार्यरत रहना चाहिए। प्रस्ताव के लिये अनुरोध की अनुसूची प्रथम के क्रम संख्या 2 में परिकल्पित है कि एक सामान्य सेवा केन्द्र, गैर-प्रचालित माना जाएगा यदि वह लगातार सात दिन की

अवधि या एक माह में 10 दिन की कुल अवधि तक उपलब्ध सरकारी सेवाओं को प्रस्तावित नहीं करता है। ऐसे मामले में, जब कोई सामान्य सेवा केन्द्र गैर-प्रचालित पाया जाता है, तब कोई मासिक राजस्व सहायता³² प्रदान नहीं करने के अलावा सर्विस सेन्टर एजेन्सी पर इसके मासिक राजस्व सहायता का 20 प्रतिशत प्रति सामान्य सेवा केन्द्र/प्रति सप्ताह या ₹ 1,000 प्रति सामान्य सेवा केन्द्र/प्रति सप्ताह, जो भी ज्यादा हो, की शास्ति लागू होगी।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया (सितम्बर 2012) कि नवम्बर 2009 और जून 2012 के बीच में मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर्स (सर्विस सेन्टर एजेन्सी) द्वारा 1795 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित और रॉल-आऊट किये गये थे, जिसके लिए सर्विस सेन्टर एजेन्सी 28,848 माह की अवधि के लिए राजस्व सहायता के योग्य थी यदि सामान्य सेवा केन्द्र कार्यशील रहते हैं। इसके विरुद्ध सर्विस सेन्टर एजेन्सी ने केवल 13,278 माह के राजस्व सहायता का दावा किया। यह दर्शाता है कि 15,570 माह की अवधि के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों का प्रचालन नहीं था एवं इस प्रकार परिशिष्ट-2.7 में वर्णित सामान्य सेवा केन्द्रों के गैर-प्रचालन के लिए सर्विस सेन्टर एजेन्सी ₹ 6.23 करोड़³³ की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि राज्य मनोनीत एजेन्सी या उसकी अधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही एक कियोस्क को प्रचालन में माना जाएगा। ऑनलाइन मोनिटरिंग टूल (ओएमटी) के अभाव में, जिलों से प्राप्त शिकायतें, किसी कियोस्क को गैर-प्रचालन के रूप में गिनती करने का केवल एक मात्र स्रोत थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य मनोनीत एजेन्सी या उसकी अधिकृत एजेन्सी के प्रमाणीकरण द्वारा सामान्य सेवा केन्द्र का परिचालन प्रमाणित हो सकता है लेकिन सामान्य सेवा केन्द्र की चल/परिचालन की स्थिति पर निगरानी नहीं रखी जा सकी चूंकि ऑनलाइन मोनिटरिंग टूल का अभाव था।

सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि परियोजना केवल पानी एवं बिजली बिलों की बुनियादी उपयोगिता सेवाओं के साथ शुरू की गई थी। बिजली बिलों को तैयार करने का चक्र द्विमासिक है जो सामान्य सेवा केन्द्र नेटवर्क के द्वारा कुछ सेवाओं को द्विमासिक तर्ज पद प्रदान करना चाहता था। इसलिए सामान्य सेवा केन्द्र कियोस्क से प्रतिदिन आधार पर सेवाएं प्रदान करना कठिन था यद्यपि, कियोस्क लगातार प्रचालन में था।

32. राजस्व सहायता: प्रचालित सामान्य सेवा केन्द्र के लिये ₹ 1,000 प्रति माह या टेन्डर मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी ज्यादा है।

33. सामान्य सेवा केन्द्र के गैर-प्रचालन माह × 4,000 (चार सप्ताह यथा एक माह के लिये ₹ 1000 प्रति सप्ताह की दर = आरोपित की जाने वाली क्षतिपूर्ति यथा 15,570 × 4,000 = ₹ 6,22,80,000 यथा ₹ 6.23 करोड़)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सर्विस सेन्टर एजेन्सी के साथ निष्पादित अनुबन्ध (अगस्त 2008) के अनुसार आवेदन-पत्र/शिकायत प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित सेवा, उपयोगिता बिल एवं अन्य सरकारी देयता सहित सूचना सेवाएं सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा प्रदान की जानी थी। केवल उपयोगिता बिल की सेवाएं प्रदान करना ही स्वीकार्य नहीं है राजस्व समर्थन का दावा अन्य सेवाओं को शामिल करने के रूप में था। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये कि सभी सेवाएं जल्द से जल्द सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाये।

- **सामान्य सेवा केन्द्र नहीं बनाने/रॉल-आऊट नहीं करने पर परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति ₹ 22.01 करोड़ आरोपित नहीं किया जाना**

मास्टर सर्विस एग्रीमेन्ट (अगस्त 2008) की अनुसूची-1 के अनुसार सर्विस सेन्टर एजेन्सी को समय-सूची के अनुसार चरणों में यानि मास्टर सर्विस एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित की तिथि से पांच माह में 25 प्रतिशत, सात माह में 50 प्रतिशत, नौ माह में 75 प्रतिशत एवं 12 माह में 100 प्रतिशत सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं प्रचालन आवश्यक था, जिसमें असफल होने पर देरी की अवधि के दौरान राजस्व सहायता देय नहीं थी। निर्धारित तिथि से क्षतिपूर्ति ₹ 200 प्रतिदिन/प्रति सामान्य सेवा केन्द्र या चार साल की कुल राजस्व सहायता (प्रति सामान्य सेवा केन्द्र) का अधिकतम 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, उस सामान्य सेवा केन्द्र के लिए प्रभारित किया जाएगा जिसको बनाने/रॉल-आऊट में देरी हुई है।

मैसर्स जूम डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सर्विस सेन्टर एजेन्सी) को, तीन खण्डों भरतपुर, बीकानेर एवं जोधपुर में 2572 सामान्य सेवा केन्द्र बनाने के लिए लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया गया (जनवरी 2009)। मास्टर सर्विस एग्रीमेन्ट, 2 मार्च 2009 को निष्पादित किया गया और कार्य 1 मार्च 2010 (मास्टर सर्विस एग्रीमेन्ट से 12 माह के अन्दर) को या इससे पहले पूर्ण होना था। यह पाया गया कि सर्विस सेन्टर एजेन्सी 13 दिसम्बर 2009 तक एक भी सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित नहीं कर सका। केवल 488 सामान्य सेवा केन्द्र 14 दिसम्बर 2009 और 22 फरवरी 2011 के मध्य बनाये और प्रचालित किए गए। इस प्रकार, सर्विस सेन्टर एजेन्सी, सामान्य सेवा केन्द्रों को बनाने और प्रचालित रखने में चूककर्ता रही। वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर 23 फरवरी 2011 को संविदा का समापन किया गया और निष्पादन बैंक गारन्टी ₹ 1.26 करोड़ जब्त कर ली। यद्यपि निर्धारित समय में अपेक्षित संख्या में सामान्य सेवा केन्द्रों को नहीं बनाने के लिए ₹ 22.01 करोड़ (परिशिष्ट 2.8) की क्षतिपूर्ति आरोपित किए जाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। आगे, वसूली की संभावना बहुत कम है क्योंकि अनुबन्ध पहले ही समाप्त कर दिया गया।

राज्य सरकार ने अन्तिम उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, शीर्ष समिति ने मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर द्वारा सामान्य सेवा केन्द्रों की लक्षित संख्या की स्थापना के लिये समयावधि, बिना परिनिर्धारित

क्षतिपूर्ति, 31 मार्च 2012 तक बढ़ायी (दिसम्बर 2011)। इस समिति ने यह भी अवगत कराया कि मैसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबन्ध की समाप्ति, निष्पादन नहीं होने के कारण था न कि रॉल-आउट में विलम्ब के कारण। सरकार ने आगे बताया कि दोनों सर्विस सेन्टर एजेन्सियों के लिए रॉल-आउट का मामला समान था। इसलिए परियोजना समयावधि विस्तार के लिए मामले को सक्षम अधिकारियों के आगे रखा गया और सामान्य सेवा केन्द्रों के रॉल-आउट में समरूप आधारित कठिनाईयों के कारण मैसर्स सीएमएस को बिना क्षतिपूर्ति के मार्च 2012 तक समयवृद्धि दी गयी। इसलिए समरूप आधार पर मैसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर क्षतिपूर्ति लागू नहीं होती थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मैसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुबन्ध 23 फरवरी 2011 को समाप्त किया गया और शीर्ष समिति की बैठक (दिसम्बर 2011) में मैसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की माफी के मुद्दे पर चर्चा नहीं की थी। सक्षम समिति ने भी सलाह दी (जुलाई 2012) कि राज्य सरकार को सामान्य सेवा केन्द्रों के रॉल-आउट में विलम्ब के लिए संचित शास्तियों की माफी को एक बार उपचार के रूप माना जाये, यदि यह वास्तविक कारणों पर आधारित हो, लेकिन मैसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में, चूंकि अनुबन्ध बहुत पहले फरवरी 2011 में समाप्त होने से यह सलाह लागू नहीं थी।

2.2.10.4 कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता के बावजूद भी सामान्य सेवा केन्द्रों का प्रचालन में दर्शाना

चार साल के लिए 4054 सामान्य सेवा केन्द्रों को बनाने, चालू रखने और प्रबन्ध करने के लिए मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर्स लिमिटेड को लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया (जुलाई 2008)। सामान्य सेवा केन्द्रों की सूची में से यह पाया गया कि सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा 2 जून 2012 तक 1739 सामान्य सेवा केन्द्र बनाये गये। सर्विस सेन्टर एजेन्सी ने 4 जून 2012 को राज्य मनोनीत एजेन्सी को सूचित किया कि केवल 1485 स्थानों पर भारत संचार निगम लिमिटेड की कनेक्टिविटी उपलब्ध थी तथा ब्रॉडबैंड के बिना कनेक्टिविटी प्रदान करना संभव नहीं था। इससे यह संकेत होता था कि ब्रॉडबैंड सुविधा की अनुपलब्धता के मद्देनजर 254 सामान्य सेवा केन्द्र गैर-परिचालन में थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मई 2013) कि भारत संचार निगम लिमिटेड की कनेक्टिविटी के अलावा, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के डेटा कार्डों का प्रयोग, सामान्य सेवा केन्द्रों से सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा था। यह भी बताया गया कि कुछ 'सरकार से नागरिक' सेवाओं जैसे रेलवे टिकट बुकिंग, पुनर्भरण सेवाएं आदि को प्रदान करने लिए बहुत कम इंटरनेट बैंडविड्थ ही आवश्यक था, वहां ये डेटा कार्ड सहायक है।

सरकार ने आगे सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि उस समय वहां अन्य सेवा प्रदाता/प्रणाली इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपलब्ध थी एवं इस प्रकार 1739 सामान्य सेवा केन्द्र जुड़े हुए थे।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के उत्तर में राज्य मनोनीत एजेन्सी द्वारा दिए गए विवरण (दिसम्बर 2012) के विश्लेषण में पाया गया कि केवल 1293 सामान्य सेवा केन्द्रों³⁴ को कनेक्टिविटी प्रदान की थी।

2.2.10.5 सामान्य सेवा केन्द्रों का संयुक्त निरीक्षण

सर्विस सेन्टर एजेन्सी और जिला ई-शासन समिति के प्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण दल द्वारा 40 सामान्य सेवा केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण (जनवरी 2013) में निम्नलिखित पता चला:

● सामान्य सेवा केन्द्र, जाहोता (आमेर) पिछले दो माह से बंद था। देलारी (दौसा) पर सामान्य सेवा केन्द्र बंद पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सामान्य सेवा केन्द्र का परिचालन दो/तीन दिनों में किया गया था। सामान्य सेवा केन्द्र, पाली (दौसा) अस्तित्व में नहीं था। सामान्य सेवा केन्द्र, सत्तासर (बीकानेर) बन्द पाया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2013) कि ये सभी सामान्य सेवा केन्द्र बाद में वापस ले लिये गये थे और सम्बन्धित जिला ई-शासन समिति को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया और सर्विस सेन्टर एजेन्सी को उन्हीं स्थानों पर सामान्य सेवा केन्द्र खोलने के लिए अधिसूचित किया गया।

सरकार ने आगे बताया (अक्टूबर 2013) कि सामान्य सेवा केन्द्र, देलाड़ी, जो कि 26 अप्रैल 2013 से बंद पाया गया था, के अलावा नये सामान्य सेवा केन्द्र बनाये गये।

● प्रस्ताव के लिये अनुरोध (मई 2008) की वोल्यूम-1 के अनुच्छेद 5.2(ब)(2) में प्रावधान है कि सर्विस सेन्टर एजेन्सी, विलेज लेवल एन्टरप्रोनर को पूर्ण परियोजना अवधि के लिए न्यूनतम राजस्व सहायता उपलब्ध करायेगी। संयुक्त निरीक्षण में पाया कि निम्नलिखित विलेज लेवल एन्टरप्रोनर को राजस्व सहायता का

34. एयरसेल: 4; एयरटेल: 258; भारत संचार निगम लिमिटेड ब्रॉडबैंड: 533; भारत संचार निगम लिमिटेड डायल अप: 127; डाटा कार्ड- भारत संचार निगम लिमिटेड: 75; आइडिया: 17; एमटीएस: 52; रिलायंस: 72; टाटा: 23 और वोडोफोन: 132

भुगतान नहीं किया गया था, यद्यपि, सर्विस सेन्टर एजेन्सी ने विलेज लेवल एन्टरप्रोनर को भुगतान हेतु राशि का आहरण कर लिया था:

तालिका 6: राजस्व सहायता का वितरण न होना

क्रम संख्या	राजस्व सहायता सर्विस सेन्टर एजेन्सी को उपलब्ध कराई गई और विलेज लेवल एन्टरप्रोनर्स को वितरण का विवरण				राशि (₹ में)	सर्विस सेन्टर एजेन्सी के पास रखी अतिरिक्त राशि (₹ में)
	सर्विस सेन्टर एजेन्सी का नाम	सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा सरकार से प्राप्त की गई राजस्व सहायता (₹ में)	विलेज लेवल एन्टरप्रोनर की संख्या, जिसके लिए राजस्व सहायता की जा चुकी है	विलेज लेवल एन्टरप्रोनर की संख्या, जिनको सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा राजस्व सहायता दी गयी		
1	2	3	4	5	6	7. (3-6)
1	जिला ई-शासन समिति	1,98,220	16 ³⁵	5 ³⁶	78,984	1,19,236
2	जूम	8,100	1 ³⁷	0	0	8,100
3	सीएमएस	11,000	8 ³⁸	2 ³⁹	8,700	2,300

यह, दर्शाता है कि राशि का वितरण सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा नहीं किया जा रहा था और अनाधिकृत रूप से रोका गया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा दावा की गई राशि की तुलना में विलेज लेवल एन्टरप्रोनर को वितरित की गई राजस्व सहायता की राशि का, विभाग, पुनः सत्यापन कर रहा है एवं सर्विस सेन्टर एजेन्सी की ओर से की गई किसी भी चूक के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेगा।

● प्रस्ताव के लिये अनुरोध (मई 2008) वोल्यूम-1 के पैरा 1.9 में प्रावधान है कि सरकारी सेवाओं को प्रदान करना यथा भू-अभिलेख, वाहन पंजीकरण, प्रमाण-पत्रों का जारी करना, रोजगार कार्यालय, राशन कार्ड, चुनावी सेवाओं, पेंशन योजनाओं, सड़क परिवहन, लोक शिकायतें और उपयोगिता/टेलीफोन बिल, सामान्य सेवा केन्द्र के लिये अनिवार्य होगा। नमूना जांच किये गये सभी 40 सामान्य सेवा केन्द्र केवल दो सेवाएं यथा प्रमाण-पत्रों (मूल निवास और जाति) को जारी करना और उपयोगिता बिलों के भुगतान को स्वीकारना, प्रदान कर रहे थे।

35. करौली: रामपुर, सहर, कोटा; जोधपुर: असोप-भोपालगढ़, सालवा खुर्द-भोपालगढ़, चेराई-ओसियां; धोलपुर: बसई खारे, हिनोता, बडारिका; बीकानेर: वी-2केडब्ल्यूएम-खाजुवाला, बाना, गजनेर-कोलायत; सवाईमाधोपुर: बौली, तलावड़ा, मलारना चोड़ पीपलवाड़ा।
36. जोधपुर: आसोप-भोपालगढ़, चेराई-ओसियां; सवाईमाधोपुर: वजीरपुर, बौली, मलारना चोड़।
37. सवाईमाधोपुर: वजीरपुर।
38. अलवर: सकट, काहनावास, सपना एन.जी.ओ: जयपुर: माधोराजपुरा, जयसिंगपुरा, हस्तेड़ा और दौसा: सेंथल, गोलाड़ा।
39. दौसा में केवल दो सामान्य सेवा केन्द्र (सेंथल, गोलाड़ा) में राजस्व सहायता की प्राप्ति स्वीकार की।

राज्य सरकार ने सूचित किया (मई 2013) कि सेवा एकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। बिजली व पानी के बिलों की बुनियादी उपयोगिता सेवाओं के साथ परियोजना शुरू की गई और आज 40 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आगे उल्लेख किया कि अप्रैल 2013 में सामान्य सेवा केन्द्र तंत्र द्वारा 8 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सेवाएँ प्रदान की गईं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य मनोनीत एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची (फरवरी 2013) दर्शाती है कि केवल सात सेवाएं⁴⁰ चयनित क्षेत्रों में प्रस्तावित/चालू थी।

● प्रस्ताव के लिये अनुरोध (मई 2008) वोल्यूम-1 के पैरा 5.9(बी) के अनुसार विलेज लेवल एन्टरप्रोनर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होनी चाहिए। हालांकि, बौली (सवाईमाधोपुर) पर विलेज लेवल एन्टरप्रोनर की योग्यता केवल नवमी पास थी। इस प्रकार, उस विलेज लेवल एन्टरप्रोनर का चयन नियमानुसार नहीं था।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि जिला ई-शासन समिति ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की है और नये कियोस्क की स्थापना प्रक्रिया में है।

● कोटा गांव (करौली) में एक व्यक्ति को स्वीकृत सामान्य सेवा केन्द्र प्रचालन में नहीं पाया गया। विलेज लेवल एन्टरप्रोनर ने सूचित किया कि केन्द्र दूसरे गांव करसाई पर चलाया जा रहा था। करसाई गांव पर भी सामान्य सेवा केन्द्र को चलाए जाने का संकेत नहीं था।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि कियोस्क करसाई पर चालू है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा दल के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2013) के दौरान कोटा गांव में केन्द्र का प्रचालन नहीं पाया गया और गांव के निवासियों ने इस तथ्य की पुष्टि की। विलेज लेवल एन्टरप्रोनर के प्रतिनिधि ने सर्विस सेन्टर एजेन्सी के प्रतिनिधि को सूचित किया कि उक्त केन्द्र करसाई गांव में प्रचालन में था। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर करसाई गांव का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया, जहाँ एक बैनर दुकान पर रस्सी के साथ अस्थायी रूप से बंधा हुआ पाया गया। करसाई गांव के कियोस्क पर डिस्प्ले बोर्ड या उपलब्ध सेवाओं की दर/सूची प्रदर्शित नहीं थी। विलेज लेवल एन्टरप्रोनर ने स्वयं स्वीकार किया कि केन्द्र, जुलाई-अगस्त 2012 के दौरान बन्द था।

40. (i) आर.एस.आर टी.सी. ओन लाइन से आर एस आर टी सी की बस टिकटिंग (ii) नगर निगमों की विभिन्न देयताओं/शुल्कों का भुगतान (iii) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिये नंबरों के पुनः मूल्यांकन (iv) राजस्थान आवासन मंडल की विभिन्न देयताओं/शुल्क का भुगतान (v) राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिये प्रार्थना पत्र (vi) भूमि एवं राजस्व रिकार्ड तक पहुँच और (vi) स्टाम्प पेपर, रेवेन्यू टिकट की बिक्री, डीड राइटिंग।

● प्रस्ताव के लिये अनुरोध (मई 2008) वोल्यूम-1 के पैरा 5.4(डी) के अनुसार विलेज लेवल एन्टरप्रोनर को सभी नागरिकों को रसीद जारी करना चाहिए। सभी लेन-देन की कम्प्यूटरीकृत रसीद की एक प्रति ग्राहक को जारी करना चाहिए जबकि दूसरी प्रति सामान्य सेवा केन्द्र पर रखनी चाहिए और विलेज लेवल एन्टरप्रोनर को कम से कम 3 वर्ष के लिए इन रसीद पुस्तकों को लेखापरीक्षा के लिए रखना चाहिए। नमूना जांच किये गये 24 सामान्य सेवा केन्द्रों⁴¹ में से कोई भी इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर रहा था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा के आक्षेपों के अनुसार, सभी जिला प्रशासन और सर्विस सेन्टर एजेन्सियों को प्रस्ताव के लिये अनुरोध के निबन्धन और शर्तों तथा परियोजना के दिशा-निर्देशों की अनुपालना के लिए पुनः सख्त निर्देश जारी किए गये हैं।

● त्रिपक्षीय अनुबन्ध (नवम्बर 2009) के पैरा 4.2.4 में प्रावधान है कि सर्विस सेन्टर एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कियोस्क के प्रमुख स्थान पर एक शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखी गई है। पुस्तिका को प्रत्येक माह जिला ई-शासन समिति पर संबन्धित नोडल अधिकारी को अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाएगा। सर्विस सेन्टर एजेन्सी को कियोस्क से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही के लिए आनॅलाइन शिकायत निगरानी प्रणाली प्रदान करना चाहिए। 26 विलेज लेवल एन्टरप्रोनर्स⁴² द्वारा ऐसी कोई शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखी/संधारित नहीं की जा रही थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा आक्षेपों के अनुसार प्रस्ताव के लिये अनुरोध के नियम और शर्तों और परियोजना के दिशा-निर्देशों की आगे अनुपालना के लिए सभी कियोस्क पर नियमित रूप से नजर रखने के लिए सभी जिला प्रशासन और सर्विस सेन्टर एजेन्सी को पुनः सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

2.2.10.6 सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराना

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सर्विस सेन्टर एजेन्सी मैसर्स जूम डवलपर्स (प्रा.), मैसर्स वक्रांगी सॉफ्टवेयर और मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर्स को राज्य में सामान्य सेवा केन्द्र योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया।

41. करौली: रामपुर शहर, केमरी और करसाई सवाईमाधोपुर: बौली अलवर: सकट, कान्हावास, मोहालारियां, कडूकी और गाडूवास, धौलपुर: सिंधवाली, खेड़ा, बसई खारे, हिनोटा और बदारिका, जयपुर: माधोराजपुरा और हस्तेड़ा, बीकानेर: वी-2के डब्ल्यू एम खानूवाला, काकड़ा और गजनेर-कोलायत जोधपुर: चेराई दौसा: गोलाड़ा, बसवा और सैथल।

42. करौली: रामपुर, सहर,केमरी,गुदाचंद्र जी, करसाई; सवाई माधोपुर: पीपलवाड़ा; अलवर: सकट, कान्हावास, मोहालारियां, सपना एन.जी.ओ, गडूवास; धौलपुर: सिंधवाली, खेरा, बसईखारे, हिनोटा, बदारिका; जयपुर: माधोराजपुरा; बीकानेर: काकड़ा, बाना, गजनेर-कोलायत; जोधपुर: डोली, साल्वा खुर्द, संगारिया, चेराई और दौसा: गोलारा, सैथल।

उपरोक्त सर्विस सेन्टर एजेन्सियों के अभिलेखों को राज्य मनोनीत एजेन्सी के माध्यम से मांगा गया लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि विभाग द्वारा सर्विस सेन्टर एजेन्सियों को लेखापरीक्षा टिप्पणी की अनुपालना और लेखापरीक्षा दल को अपेक्षित दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि सर्विस सेन्टर एजेन्सियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दस्तावेजों का एक सेट उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया था। अतिरिक्त दस्तावेज, यदि लेखापरीक्षा द्वारा विनिर्दिष्ट किया है, दुबारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा के दौरान सर्विस सेन्टर एजेन्सी द्वारा प्रारम्भिक विस्तृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

2.2.11 क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण परियोजना के कार्यान्वयन के लिये दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 1.3 एवं 2.2 के अनुसार एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान सहायता के उपयोग के लिये, क्षमता निर्माण परियोजना, मुख्य रूप से राज्य स्तर की नीति एवं निर्णय लेने वाले निकायों को तकनीकी एवं पेशेवर सहायता प्रदान करने तथा ई-शासन के लिये विशेष कौशल विकसित करने के लिये है।

क्षमता निर्माण के कामकाज पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दर्शायी गई हैं:

2.2.11.1 दीर्घकालिक क्षमता निर्माण का सृजन नहीं करना

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 2.3.3.4 के अनुसार, सरकार के भीतर ज्ञान को बनाए रखने के उद्देश्य से, स्टेट ई-मिशन टीम की दीर्घकालिक क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिये, क्षमता निर्माण योजना बनाई गई थी। स्टेट ई-मिशन टीम हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये तीन सुझाव स्रोत थे: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकार के भीतर से प्रतिनियुक्ति, सीधी भर्ती एवं प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से अस्थायी कर्मचारी।

लेखापरीक्षा जांच में दृष्टिगत हुआ कि यद्यपि, परियोजना तीन वर्ष की अवधि के लिये फरवरी 2008 में स्वीकृत की गई थी, जनवरी 2011 तक कर्मियों को भर्ती नहीं किया। इसके बाद, केन्द्र सरकार की एजेन्सी द्वारा जनशक्ति को किराये पर लेकर अस्थायी व्यवस्था की गई एवं उन्हें राज्य ई-मिशन टीम में लगाया गया। हालांकि, दिशा-निर्देशों में इस तरह की अस्थायी व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि दीर्घकालिक क्षमता निर्माण के लिए स्थायी आईटी कैंडर बनाने के माध्यम से उपाय किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि परियोजना तीन वर्ष की अवधि के लिये फरवरी 2008 में स्वीकृत की गयी थी किन्तु कर्मियों को उस अवधि के भीतर भर्ती नहीं किया गया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि राज्य सरकार, नियमित रूप से नई भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से तथा राष्ट्रीय ई-शासन डिविजन के सलाहकारों का उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार उपयोग करके आवश्यक जनशक्ति क्षमता निर्माण कर रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नई भर्ती की सेवाओं का लाभ, 2008 में प्रारम्भ की गई योजना के अवधि पार होने के बाद उपलब्ध होगा।

2.2.12 अनुश्रवण

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (मार्च 2005) के अन्तर्गत ई-शासन के लिये संस्थागत रूपरेखा एवं क्षमता निर्माण के दिशा-निर्देशों के पैरा 14 के अनुसार रणनीति दिशा-निर्देश प्रदान करने, राष्ट्रीय ई-शासन योजना की देखरेख करने एवं अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिये अगस्त 2006 तक एक शीर्ष समिति स्थापित की जानी थी।

यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2004 में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का नाम, 15 फरवरी 2007 से राज्य स्तरीय शीर्ष समिति कर दिया गया। यद्यपि राज्य स्तरीय शीर्ष समिति ने दिसम्बर 2012 तक 18 बैठकें आयोजित की, इसने अभी तक कोई अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय ई-शासन योजना की देखरेख एवं रणनीति दिशा-निर्देश प्रदान नहीं की। अधिकांश परियोजनाओं के पूरा न होना (मार्च 2013) एवं योजना का कमजोर प्रदर्शन जैसा कि पूर्वगामी पैराग्राफ में बताया गया, से यह स्पष्ट था।

● प्रशासनिक अनुमोदन (जुलाई 2009) के अनुसार, अनुदानित संस्थान द्वारा केवल या मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुदान से अधिग्रहित स्थायी/अर्द्ध स्थायी सम्पत्ति के लिये एक पंजिका संधारित करना चाहिए।

यह देखा गया कि राज्य मनोनीत एजेन्सी द्वारा सम्पत्ति पंजिका संधारित नहीं की गयी। राज्य सरकार ने बताया (मई 2013) कि राज्य मनोनीत एजेन्सी ने एक सम्पत्ति पंजिका खोल दी है जिसमें सम्पत्ति का इंड्राज, बीजक रसीदों और हार्डवेयर स्थापना प्रतिवेदन की प्राप्ति पर किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि सम्पत्ति जैसे और जब अधिग्रहित/खरीदी जाये तभी उसका इंड्राज पंजिका में दर्ज किया जाना आवश्यक था।

2.2.13 निष्कर्ष

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005 में ई-शासन के क्षेत्र में कदम रखा। सिवाय स्टेट डेटा सेन्टर के, कोई भी परियोजना मार्च 2013 तक पूरी नहीं की गयी। अनुचित वित्तीय योजना के कारण, राज्य सरकार 2005-12 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ई-शासन योजना के लिये उपलब्ध निधियों का 26 प्रतिशत ही उपयोग कर सकी। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त निधियों को निजी निक्षेप खाते में रखा गया परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

नियोजन एवं क्रियान्वयन में निरूत्साही अभिगम के कारण राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना के कार्यान्वयन में सात साल बर्बाद किये। प्रस्ताव के लिये अनुरोध के अंतिमीकरण में लगातार परिवर्तन एवं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के साथ प्रबन्धन और लेखों की कम्प्यूटरीकरण स्वचालन शोधन की एकीकृत प्रणाली के एकीकरण पर अनिर्णय की स्थिति के परिणामस्वरूप वैधता अवधि का व्यपगमन, पुनः निविदा एवं लागत अभिवृद्धि हुई।

भारत सरकार के अनुमोदन का उल्लंघन करते हुए स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे परियोजना के अधीन, उन नई सेवाओं को, प्रस्ताव के लिये अनुरोध में शामिल किया गया, जो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल नहीं थी। स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे के क्रियान्वयन में देरी, कार्यान्वयन एजेंसी के अन्तिमीकरण में 15 माह के विलम्ब के कारण से हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में 'सरकार से नागरिक' सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये लक्षित संख्या में सामान्य सेवा केन्द्र निर्धारित अवधि के भीतर संचालित नहीं हुए, सामान्य सेवा केन्द्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं की गई जिससे कनेक्टिविटी का उद्देश्य अधूरा ही रह गया।

स्टेट ई-मिशन टीम में दीर्घकालिक क्षमता का सृजन नहीं करने से क्षमता निर्माण का सुदृढीकरण प्रभावित हुआ।

इस प्रकार, विभाग पांच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय ई-शासन योजना को लागू करने में विफल रहा है एवं उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। कार्यान्वयन के 8 वर्षों के उपरान्त भी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे एवं सामान्य सेवा केन्द्र के संदर्भ में पूर्ण विफलता थी।

2.2.14 अनुशंषाएं

- राज्य सरकार को अपने नागरिकों के लिये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डेटा सेन्टरस्, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।
- राज्य सरकार को योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक उचित अनुश्रवण तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- राज्य सरकार को, इस योजना का कार्यान्वयन कर रही सभी एजेन्सियों के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लक्षित जनसंख्या को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभ अर्जित हो।
- राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं और लाभ के बारे में हितधारकों को शिक्षित और अवगत कराने के लिये जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
- राज्य सरकार को इच्छित लाभार्थियों को योजना के लाभ से सक्षम करने के लिये विभिन्न स्तरों पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित आईटी कर्मियों से सुदृढ़ आधार का तुरन्त सृजन करना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये जल्द से जल्द एक स्वतंत्र मान्यता प्राप्त एजेन्सी बनानी चाहिए।

उद्योग विभाग

2.3 आयुक्तालय, उद्योग की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

उद्योग क्षेत्र, राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है जिससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। राज्य औद्योगिक नीति 1994 में अपनायी गयी थी, जिसे राज्य के औद्योगिक विकास की समग्र गति को तेज करने और राज्य में लघु उद्योग व कुटीर उद्योग को मजबूत करने के उद्देश्य से 1998 में संशोधित किया गया। आयुक्तालय राज्य में औद्योगिकीकरण में तेजी के लिए घरेलू, हाथकरघा, हस्तशिल्प आदि की लघु औद्योगिक इकाइयों एवं कारीगरों को प्रोत्साहन, सहायता एवं संरक्षण के लिए और केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से काम कर रहा है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

उद्योग विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण दो सचिवों⁴³ में निहित है। आयुक्त, आयुक्तालय का प्रमुख है व दोनों सचिवों को रिपोर्ट करता है। अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार आयुक्त की सहायता करते हैं। क्षेत्र स्तर पर महाप्रबन्धकों की अध्यक्षता में 35 जिला उद्योग केन्द्र एवं सात उप केन्द्र हैं जो क्षेत्र के लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

आयुक्तालय, उद्योग, राजस्थान, जयपुर की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या वहां पर ये विद्यमान हैं:

- आवंटित प्राथमिकताओं और संसाधनों के समुचित उपयोग के सन्दर्भ में कुशल वित्तीय प्रशासन;
- योजनाओं/कार्यक्रमों के नियोजन एवं लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रभावी परियोजना प्रबन्धन

43. अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) एवं प्रमुख शासन सचिव (लघु उद्योग)।

- कार्मिकों के स्वीकृत पदों एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में कुशल मानव संसाधन प्रबन्धन; तथा
- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र सहित पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रणाली।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये मानदण्डों को ध्यान में रखकर लेखापरीक्षा की गई थी:

- राज्य औद्योगिक नीति, 1998;
- राज्य बजट नियमावली, विभागीय नियमावली/नीतियां/नियम एवं विनियम;
- योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जारी सरकारी निर्देश एवं अधिसूचनाएं;
- राज्य वित्तीय नियम एवं सहायक कोषागार नियम;
- योजनाओं/कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रक्रियाएं; तथा
- कार्यक्रमों एवं योजनाओं के दिशानिर्देश।

2.3.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में आयुक्तालय, उद्योग की कार्यपद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं की जाँच एवं मूल्यांकन के साथ-साथ इसके उद्देश्यों के सन्दर्भ में इसके निष्पादन का आंकलन किया गया है। लेखापरीक्षा 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए की गई थी।

आयुक्तालय और 35 में से 10 जिला उद्योग केन्द्रों⁴⁴ के क्रियाकलापों की लेखापरीक्षा की गई थी। आयुक्तालय द्वारा 2008-09 से 2012-13 के दौरान 26 वृहद् योजनाएं/कार्यक्रम चलाये गये, जिनमें से 10 योजनाओं/कार्यक्रमों यथा राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी हाट, ग्रामीण हाट, नमक उद्योग, एकीकृत हाथकरघा विकास योजना, हाथकरघा उत्पादों की बिक्री पर छूट का पुनर्भरण, बांट एवं माप तथा राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास सहायता योजना का विस्तृत अध्ययन करने हेतु चयन किया गया था। 2008-09 के बाद हाथकरघा उत्पादों की बिक्री पर छूट की पुनर्भरण योजना बंद हो जाने के मद्देनजर केवल नौ योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा का कार्य

44. अजमेर, अलवर, बासंवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

सितम्बर 2010 से जनवरी 2011 में तथा इसे अद्यतन करने का कार्य जुलाई-अगस्त 2012 एवं मई-जून 2013 में किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित कर रहे चयनित गैर सरकारी संगठनों के अभिलेखों की भी लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच की गयी थी।

प्रमुख शासन सचिव, लघु उद्योग के साथ 31 मई 2010 को प्रारम्भिक बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र, अवधि तथा लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श किया गया था। तदन्तर, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को राज्य सरकार तथा आयुक्त, उद्योग को सितम्बर 2013 में प्रतिवेदित किया गया था। राज्य सरकार का उत्तर अक्टूबर 2013 में प्राप्त हुआ जिसे प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (लघु उद्योग) एवं आयुक्त, उद्योग के साथ 27 नवम्बर 2013 को समापन बैठक की गई जिसमें लेखापरीक्षा में बताये गये निष्कर्षों पर विचार विमर्श किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3.6 वित्तीय प्रबन्धन

बजटीय एवं वित्तीय प्रावधानों की अनुपालना के साथ, सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए एक उचित वित्तीय प्रबन्धन आवश्यक है। आयुक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान संशोधित अनुमान ₹ 329.41 करोड़ के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 295.64 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 7: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अन्तर (4-3)	प्रतिशत (3 का 5 से)	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (-) संशोधित अनुमान के संदर्भ में	आधिक्य/ बचत का प्रतिशत संशोधित अनुमान के संदर्भ में
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2008-09	आयोजना	15.24	15.41	(+)0.17	1.12	14.68	(-) 0.73	(-) 4.74
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	11.56	9.08	(-) 2.48	21.45	8.44	(-) 0.64	(-) 7.05
	गैर आयोजना	22.55	28.96	(+)6.41	28.43	27.12	(-) 1.84	(-) 6.35
	योग	49.35	53.45	(+) 4.10	8.31	50.24	(-) 3.21	(-) 6.01
2009-10	आयोजना	9.70	8.62	(-) 1.08	11.13	9.94	(+)1.32	(+)15.31
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	10.59	2.67	(-) 7.92	74.79	1.67	(-) 1.00	(-) 37.45
	गैर आयोजना	34.77	31.92	(-) 2.85	8.20	31.10	(-) 0.82	(-) 2.57
	योग	55.06	43.21	(-) 11.85	21.52	42.71	(-) 0.50	(-) 1.16
2010-11	आयोजना	7.06	26.52	(+)19.46	275.64	24.79	(-) 1.73	(-) 6.52
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	2.05	2.52	(+)0.47	22.93	1.37	(-)1.15	(-) 45.63
	गैर आयोजना	32.52	33.47	(+)0.95	2.92	30.65	(-) 2.82	(-) 8.42
	योग	41.63	62.51	(+)20.88	50.16	56.81	(-) 5.70	(-) 9.12
2011-12	आयोजना	21.77	26.75	(+)4.98	22.88	21.30	(-) 5.45	(-) 20.37
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	2.19	3.53	(+)1.34	61.19	2.58	(-) 0.95	(-) 26.91
	गैर आयोजना	35.74	46.45	(+)10.71	29.97	43.81	(-) 2.64	(-) 5.68
	योग	59.70	76.73	(+)17.03	28.53	67.69	(-) 9.04	(-) 11.78
2012-13	आयोजना	24.28	26.99	(+)2.71	11.16	23.11	(-)3.88	(-) 14.38
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	3.60	12.39	(+)8.79	244.17	3.00	(-)9.39	(-) 75.79
	गैर आयोजना	39.07	54.13	(+)15.06	38.55	52.08	(-)2.05	(-) 3.79
	योग	66.95	93.51	(+)26.56	39.67	78.19	(-)15.32	(-) 16.38
2008-13	आयोजना	78.05	104.29	(+)26.24	33.62	93.82	(-) 10.47	(-) 10.04
	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	29.99	30.19	(+)0.20	0.67	17.06	(-) 13.13	(-) 43.49
	गैर आयोजना	164.65	194.93	(+)30.28	18.39	184.76	(-) 10.17	(-) 5.22
	कुल योग	272.69	329.41	(+)56.72	20.80	295.64	(-) 33.77	(-)10.25

स्रोत: आयुक्तालय, उद्योग द्वारा आपूर्तित सूचना

आयुक्त, उद्योग, जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्तियों और व्ययों के अनुमानों का संग्रहण एवं समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। वह बजट परिपत्र में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार बजट तैयार करता है और वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईं:

2.3.6.1 बजट प्रबन्धन

राजस्थान बजट नियमावली के पैरा 177 के अनुसार, संशोधित अनुमान बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किये जाने चाहिए ताकि वे यथासंभव वास्तविक व्यय से लगभग निकटतम हों। तथापि, ऊपर दिये गये विवरण से पता चलता है कि संशोधित अनुमान गलत सिद्ध हुए क्योंकि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय में बहुत अन्तर था तथा संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में बचत 2.57 प्रतिशत और 75.79 प्रतिशत के मध्य रही।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि भारत सरकार से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान की प्राप्ति में देरी होने और राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास सहायता योजना के अन्तर्गत आयोजना मदों में संशोधन होने के कारण बचत हुई।

2.3.6.2 अधिक अनुपूरक अनुदान

राजस्थान बजट नियमावली का पैरा 198 निर्धारित करता है कि अनुपूरक अनुदान केवल तभी अनुमत्य हैं जब आवश्यकता स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है और मांग अपरिहार्य है। अभिलेखों की जांच में, तथापि, ज्ञात हुआ कि 2008-09 तथा 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभिन्न मदों के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदानों द्वारा उपलब्ध करायी गई ₹ 9.84 करोड़ की अतिरिक्त निधियों में से राशि ₹ 6.85 करोड़ वित्तीय वर्षों के अन्त में अनुपयोगी रही जैसा कि परिशिष्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक अनुदान के अनुपयोगी रहने के कारणों में अधीनस्थ कार्यालयों से व्यय प्रस्तावों की अप्राप्ति, इकाई का अकार्यशील रहना, योग्य निविदादाताओं की अनुपलब्धता आदि बताये (अक्टूबर 2013)। इस प्रकार, अनुपूरक अनुदान की मांग परिहार्य थी।

2.3.6.3 अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन

अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन के कुछ मामलों के विस्तृत अध्ययन की चर्चा नीचे की गई है:

● आयोजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत निधियों के अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन की जांच में प्रकट हुआ कि 2012-13 के दौरान वृहद् शीर्ष 2851 और 2852 के अन्तर्गत मूल बजट प्रावधान आवश्यकता से अधिक बनाये गये थे। छः प्रकरणों में, 31 मार्च 2013 को मूल आवंटन ₹ 4.97 करोड़ के

विरुद्ध ₹ 3.60 करोड़ अभ्यर्पित किये गये थे। अभ्यर्पण मूल अनुदान के 54.55 और 90.60 प्रतिशत के मध्य था जैसा कि परिशिष्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा (अक्टूबर 2013) समर्पण के दिये गये कारणों में विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षुओं आदि की अनुपलब्धता के कारण यात्रा, प्रशिक्षण और सम्मेलन मद के अन्तर्गत निधियों का अनुपयोगी रहना तथा टेराकोटा क्लस्टर, सागवाड़ा (डूंगरपुर) का क्रियान्वयन नहीं होना था।

● राजस्थान बजट नियमावली का पैरा 138 निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक का इन्तजार किये बिना सभी बचतों को, जैसे ही वे ध्यान में आती हैं, तुरन्त सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। कोई भी बचत भविष्य की संभावित आवश्यकता के लिए सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत हाथकरघा समितियों को हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट के पुनर्भरण हेतु वर्ष 2009-10 के लिए बजट अनुमान ₹ 8 करोड़ के विरुद्ध, जनवरी 2010 में ₹ 12 लाख के संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप दिया गया। यह ₹ 12 लाख भी वर्ष के अन्त में अनुपयोगी रहे। कुल बचत ₹ 8 करोड़ में से, राशि ₹ 2.05 करोड़ अभ्यर्पित किये गये और ₹ 5.95 करोड़ 31 मार्च 2010 को दूसरे मदों में पुनर्विनियोजित किये गये।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि राशि ₹ 5.95 करोड़ के पुनर्विनियोजन में से, राशि ₹ 2 करोड़ पाली में सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र, इकाई IV की स्थापना के लिए 31 मार्च 2010 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के व्यैक्तिक जमा खाता में जमा कराये गये थे। वर्ष के अन्त में बचतों को हस्तान्तरित करने का निर्णय बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए और राजस्थान बजट नियमावली के प्रावधानों के विपरीत था।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को हस्तान्तरित कर निधियों का उपयोग कर लिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष के अन्त में हस्तान्तरित निधियां वर्ष के अन्त में अनुपयोगी रही थी।

● राजस्थान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास सहायता योजना के लिए 2011-12 के दौरान मूल बजट में मात्र ₹ 1,000 की निधियां प्रदान की गई थी। योजना के लिए अनुपूरक अनुदान ₹ 4.41 करोड़ प्राप्त किये गये परन्तु केवल ₹ 1.22 करोड़ का ही उपयोग किया गया, जबकि ₹ 3.19 करोड़ अभ्यर्पित/दूसरे मदों में पुनर्विनियोजित किये गये। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि सम्पूर्ण राशि जिला उद्योग केन्द्रों को वर्ष के अन्त में आवंटित की गई थी। परिणामस्वरूप, ₹ 3.19 करोड़ अनुपयोगी रहे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि नई योजनाओं के कारण, निधियों के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए और राशि अनुपयोगी रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना नई नहीं थी बल्कि 2008 में शुरू की गई थी।

● क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत, स्टोन आर्टवेयर क्लस्टर, डूंगरपूर में सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए 2009-11 के दौरान पहले से ही स्वीकृत राशि ₹ 35 लाख की उपलब्धता के बावजूद 2012-13 के दौरान राशि ₹ 35 लाख मूल बजट में प्रदान की गई। इस प्रकार 2012-13 में ₹ 35 लाख का बिना औचित्य के आवंटन किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि निधियां सामान्य सुविधा केन्द्र को पूरा करने के लिए प्रदान की गई थी। तथापि, निधियां सरकार को अभ्यर्पित कर दी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि क्रियान्वयन एजेन्सी के पास ₹ 35 लाख पहले से ही पड़े हुए थे, अतः ₹ 35 लाख की निधियों का और आवंटन करना तथा इसका उपयोग नहीं करना अन्यायोचित था।

2.3.6.4 व्यय का प्रवाह

राजस्थान बजट नियमावली के पैरा 139 के अनुसार वर्ष के व्यय को समान रूप से प्रबन्धित किया जाना चाहिए तथा धन के खर्च का आधिक्य, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, साधारणतया वित्तीय नियमितता के उल्लंघन के रूप में माना जावेगा।

आयुक्तालय और नमूना जांच किये गये 10 जिला उद्योग केन्द्रों के आयोजना और केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के व्यय की समीक्षा में पता चला कि 2009-13 के दौरान वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह और तिमाही में व्यय का प्रवाह अधिक था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 8: किये गये व्यय का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयुक्तालय और नमूना जांच किये गये जिला उद्योग केन्द्रों का कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	अंतिम तिमाही के व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता	अंतिम माह का व्यय	अंतिम माह के व्यय की कुल व्यय से प्रतिशत
2009-10	3.55	1.48	42	1.04	29
2010-11	4.77	2.63	55	2.35	49
2011-12	5.39	4.07	76	3.50	65
2012-13	6.93	5.66	82	4.49	65

वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह एवं तिमाही में भारी और गैर आनुपातिक व्यय आयुक्तालय और जिला उद्योग केन्द्रों की अपर्याप्त योजना को इंगित करता है। जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर एवं जैसलमेर ने उत्तर दिया (जून 2013) कि अंतिम माह व तिमाही में व्यय का प्रवाह योजनाओं के क्रियान्वयन और निधियों की प्राप्ति में देरी के कारण था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2013) और कहा कि भविष्य में बजट को समानुपातिक रूप से उपयोग में लेने की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

2.3.6.5 चालानों के सत्यापन का अभाव

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 59 के अनुसार सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कोषागार में किये गये प्रेषणों का अंक मिलान कोषागार कार्यालय के अभिलेखों से किये जाने की व्यवस्था करनी है और कोषाधिकारी से प्रत्येक माह में इसे सत्यापित कराया जाना है। अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि चार जिला उद्योग केन्द्रों में अवधि 2009-13 के दौरान 639 चालानों के द्वारा प्रेषित ₹ 4.99 करोड़ का अंक मिलान तथा कोषाधिकारी से सत्यापन नहीं कराया गया (परिशिष्ट 2.11), जिसके अभाव में अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी और चालानों का सत्यापन प्रक्रियाधीन था।

2.3.6.6 वित्तीय सहायता की अवसूली

राज्य पूँजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 से 1998 के दौरान क्रियान्वित की गई थी। योजना के अंतर्गत नियमों के अनुसार किये गये निवेशों के विरुद्ध लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता प्राप्त इकाई को वित्तीय सहायता प्राप्ति के बाद आगामी पाँच वर्ष के दौरान उत्पादन जारी रखना था तथा वार्षिक उत्पादन प्रतिवेदन जिला उद्योग केन्द्रों को प्रस्तुत करना था, इसमें असमर्थ रहने पर, प्रदान की गई सहायता को ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

चयनित जिला उद्योग केन्द्रों (जैसलमेर के अलावा) के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2013 को मूल राशि ₹ 6.12 करोड़ तथा ब्याज ₹ 5.16 करोड़ उन 168 इकाईयों से वसूल नहीं किये जा सके जो सहायता प्राप्ति के बाद

पाँच वर्ष तक उत्पादन में नहीं थी तथा सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों को वार्षिक उत्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर पायी थी।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि बकाया की वसूली के प्रकरण लोक मांग वसूली/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कर लिये गये थे और कुछ प्रकरण न्यायालय में मुकदमंबाजी के अन्तर्गत थे।

2.3.7 योजना

राज्य सरकार ने 1994 में राज्य औद्योगिक नीति घोषित की जिसे 1998 में संशोधित किया गया। राज्य की औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास की समग्र गति को तेज करना और लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर देना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, आयुक्तालय, उद्योग द्वारा, पंचवर्षीय योजना के अनुसार वार्षिक योजना तैयार की। औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन और अनुपालना में पाई गयी कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

2.3.7.1 जैसा कि औद्योगिक नीति में निर्धारित था, शुद्ध/व्यवहारिक विज्ञान की दीर्घकालिक परियोजनाओं पर ध्यान देने के साथ एक प्रमुख अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के विकास की योजना पर काम करने के लिए उद्योग नेताओं, वैज्ञानिक समुदाय के सदस्यों और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक कोर टीम का गठन करना था जो राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि योग्य व्यक्तियों की सूची प्राप्त करने के लिए महानिदेशक, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के साथ अनौपचारिक प्रयास किये गये थे परन्तु आगे प्रगति नहीं हो सकी।

2.3.7.2 एक पेशेवर एजेन्सी द्वारा किये गये राज्य के व्यापक निर्यात संभावित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, निर्यात संवर्धन के लिए एक नई कार्ययोजना लागू की जानी थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि टाटा आर्थिक परामर्श सेवा द्वारा प्रस्तुत (अक्टूबर 1998) सर्वेक्षण प्रतिवेदन को असंतोषजनक माना गया था और उसके बाद प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उत्तर से पुष्टि हुई कि पेशेवर एजेन्सी लगाने के बावजूद, ना तो कोई कार्ययोजना बनायी गयी ना ही आगे कोई कार्यवाही की गयी।

2.3.7.3 जैसा कि औद्योगिक नीति में निर्धारित था, विशिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में विद्यमान प्रौद्योगिकी की स्थिति की समीक्षा करने और तकनीकी प्रगति एवं गुणवत्ता उन्नयन के उपायों पर सलाह देने के लिए, लघु उद्योगों के लिए सलाहकार समितियां गठित की जानी थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऐसी किसी समितियों का गठन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि ऐसी नई समितियों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऐसा करना स्पष्टतः औद्योगिक नीति में था।

2.3.7.4 बदलते औद्योगिक परिवेश एवं पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के बारे में बढ़ रही जागरूकता के कारण उद्योगों को आवश्यक सुरक्षा अपनाने की आवश्यकता के लिये, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को जिला उद्योग केन्द्रों में नोडल अधिकारियों को सशक्त करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान की जानी थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला उद्योग केन्द्रों में नोडल अधिकारियों को आवश्यक शक्तियां प्रदान नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि मानवशक्ति की कमी के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला उद्योग केन्द्रों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त नहीं कर सका जिससे अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया विलम्बित हुई।

2.3.7.5 राज्य औद्योगिक नीति की आईटम संख्या 5, प्रणाली में सुधार और निवेश के लिए प्राप्त आवेदनों/प्रकरणों का समय पर निराकरण निर्दिष्ट करता है। “निवेश संवर्धन योजना, 2003” के अन्तर्गत आयुक्तालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र के विवरणों की जांच में ज्ञात हुआ कि 2008-09, 2009-10 और 2011-12 के दौरान प्रस्तावित निवेश ₹ 61,573.39 करोड़ के 6,252 आवेदन, पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राप्त हुए थे। वर्ष 2010-11 एवं 2012-13 का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इनमें से 1,191 आवेदन निस्तारण के लिए लम्बित पड़े थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि मात्र 31 प्रकरण राज्य स्तरीय जांच समिति के पास लम्बित चल रहे थे, परन्तु निस्तारित किये प्रकरणों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.3.7.6 विभागीय नियमावली के अद्यतन का अभाव

नियमावली विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे कार्मिकों के दिशानिर्देश के लिए आयुक्तालय से सम्बन्धित प्रावधानों और सूचना का एक स्रोत है। नियमावली का उद्देश्य समय व श्रम को बचाने के लिए उचित प्रणाली से प्रकरणों का निस्तारण करना है। महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के पहल करने पर 1975 में आरम्भ किया गया विभागीय नियमावली तैयार करने का काम मई, 1983 में पूर्ण किया गया। मई 1983 के बाद किये गये संशोधनों एवं परिवर्तनों को शामिल करते हुए नियमावली को अद्यतन नहीं किया गया। इस प्रकार, नवीनतम निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना व आयुक्तालय एवं क्षेत्र कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा अपनायी गई प्रणाली को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, नियमावली में वित्तीय नियंत्रण, मानव शक्ति प्रबन्धन एवं आन्तरिक अंकेक्षण पर निर्देश शामिल नहीं है। राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि नियमावली के अद्यतन का कार्य प्रगति पर था।

2.3.8 मानव संसाधन प्रबन्धन

2.3.8.1 स्वीकृत पदों से ज्यादा कार्यरत स्टाफ

उद्योग विभाग में कार्मिकों के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण से सम्बन्धित कोई नीति नहीं थी। आयुक्तालय एवं चयनित जिला उद्योग केन्द्रों में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ के विवरण से विदित हुआ कि स्टाफ की कुल कमी 33.33 प्रतिशत थी। इसके अलावा आयुक्तालय में 6 एवं पाँच जिला उद्योग केन्द्रों में 10 कार्मिक स्वीकृत पदों से ज्यादा थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि कार्मिकों के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पृथक से कोई नीति नहीं थी। आयुक्तालय में अधिक स्टाफ का पदस्थापन कार्य की महत्ता के कारण था। कार्मिकों के उपयुक्त पदस्थापन के लिये एक कार्य अध्ययन कराने के लिये कदम उठाये जावे।

2.3.8.2 स्टाफ का एक स्थान पर लम्बी अवधि तक रहना

एक कर्मचारी के पदस्थापन का परिवर्तन यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि एक व्यक्ति अनावश्यक लम्बी अवधि तक के लिए मुख्य लेनदेनों अथवा वृत्तान्त में व्यवहार ना करें। राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) ने निर्देश जारी किये (1990) कि किसी भी कर्मचारी का एक संभाग में पाँच वर्ष से अधिक

समय के लिए पदस्थापन नहीं किया जाना था। यदि किसी मामले में किसी कर्मचारी की सेवाएँ पाँच वर्ष से अधिक के लिए आवश्यक हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति की आवश्यकता थी।

आयुक्तालय और चयनित जिला उद्योग केन्द्रों के अभिलेखों की जांच में विदित हुआ कि कुल 454 कार्यरत कार्मिकों में से 286 (63 प्रतिशत) उसी कार्यालय में 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे। आगे, 286 में से 109 एवं 95 कार्मिक क्रमशः 10 एवं 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे। आयुक्तालय में 215 में से 67 कर्मचारी (31.16 प्रतिशत) 20 वर्षों से अधिक समय से सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के बिना कार्यरत थे (परिशिष्ट 2.12)।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि उनकी कार्यकुशलता एवं अनुभव के कारण स्टाफ को लम्बी अवधि के लिए पदस्थापित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लम्बी अवधि तक पदस्थापित स्टाफ तकनीकी से सम्बन्धित नहीं थे और निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पांच वर्ष से अधिक समय तक पदस्थापन रखने की सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। सरकार स्थिति की समीक्षा करे।

2.3.9 अनुश्रवण

2.3.9.1 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रक्रिया है, जिसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय परिचालन, लागू कानूनों और नियमों के अनुसार किया जाता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक हिस्सा है। यह सतत प्रभावशीलता एवं अनुपालना के स्तर का मुल्यांकन करती है। आन्तरिक अंकेक्षण को स्वतन्त्र व निष्पक्ष होना चाहिये तथा इसे अन्य संचालन उत्तरदायित्वता नहीं सौंपी जानी चाहिये। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं एक कनिष्ठ लेखाकार पदस्थापित है, जो वित्तीय सलाहकार के अधीन है। यह ध्यान में आया कि आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली अप्रभावी थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- आन्तरिक अंकेक्षण द्वारा अनुसरण करने के लिए, अपेक्षित सिद्धान्तों एवं प्रथाओं को निर्दिष्ट करने वाली कोई आन्तरिक अंकेक्षण नियमावली नहीं थी।

- जिला उद्योग केन्द्रों की लेखापरीक्षा निर्धारित व्यवस्थानुसार प्रतिवर्ष नहीं की गयी थी, यद्यपि अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के दौरान पूर्ण स्टाफ उपलब्ध था।
- मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, 8 इकाईयां, 2010 से लेखापरीक्षा के लिए बकाया थी।
- मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 313 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 2,284 अनुच्छेद अनुपालना के अभाव में बकाया थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	1976 से 1990		1991 से 2000		2001 से 2013		योग	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद						
1	93	207	88	739	132	1,338	313	2,284

स्रोत: आयुक्तालय कार्यालय

यदि उजागर की गयी कमियों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया जाता है तो आन्तरिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि पुराने लम्बित अनुच्छेदों के निस्तारण एवं वार्षिक आन्तरिक अंकेक्षण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। आगे यह भी बताया कि 14 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 308 अनुच्छेद निस्तारित किये गये थे, किन्तु इसके लिए कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.3.9.2 लेखापरीक्षा को प्रतिउत्तर

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), राजस्थान, उद्योग विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने का कार्य करता है और निरीक्षण प्रतिवेदनो के माध्यम से अनियमितताओं को सूचित करता है। चार सप्ताह के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रथम जवाब प्रस्तुत करना चाहिए। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों पर एक छमाही प्रतिवेदन टिप्पणियों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए सचिव को भेजा जाता है। 30 अक्टूबर 2013 को, 79 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 170 अनुच्छेद निस्तारण के अभाव में बकाया थे। बकाया अनुच्छेदों के निपटान/निस्तारण के लिए 2010-13 के दौरान आयोजित की गई छः लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के बावजूद इनमें से 1 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 1 अनुच्छेद 10 वर्षों से अधिक और 78 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 169 अनुच्छेद 1 से 10 वर्षों से बकाया थे।

2.3.9.3 सतर्कता प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली में कमियाँ

● विभागाध्यक्ष, मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करके, ईमानदार, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। मुख्य सतर्कता अधिकारी के मुख्य कार्यों में से एक कार्य विभाग की कार्य प्रणाली, संवेदनशील क्षेत्रों और जनता के साथ सम्पर्क बिन्दु की नियमित जांच करना था। इस तरह की समीक्षा और अध्ययन के आधार पर, मुख्य सतर्कता अधिकारी को सरकार को संभावित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रस्ताव एवं कार्ययोजना प्रस्तुत करनी थी। अभिलेखों की जाँच में विदित हुआ कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ना तो कोई जांच की गयी और ना ही किसी भी प्रस्ताव एवं कार्य योजना को मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया (जुलाई 2013)।

● निर्धारित प्रक्रियानुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारियों की एक सूची तैयार एवं संधारित करनी थी जिनकी निष्ठा संदेहपूर्ण थी। ऐसे संदिग्ध अधिकारियों की सूची प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेजी जानी थी। 2008-09 से 2012-13 के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेजे गये ऐसे मामलों की सूची अभिलेखों में नहीं मिली।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया। उत्तर सही नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने स्वयं आयुक्तालय के मार्च 2013 तक के भ्रष्टाचार के सात प्रकरणों की एक सूची प्रदान की थी जिनकी जाँच 31 मार्च 2013 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास लम्बित थी। जिनमें सबसे पुराना 1987 का प्रकरण था। इन प्रकरणों के निराकरण के लिये कार्यवाही की जावे।

2.3.10 योजना कार्यान्वयन

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम

2.3.10.1 दस्तकारों एवं उद्यमियों की सहायता एवं विकास के लिए क्लस्टर⁴⁵ दृष्टिकोण के तहत सामूहिक प्रयासों से आम समस्याओं को खोजने एवं हल करने हेतु वर्ष 2005-06 में 'राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम' (क्लस्टर कार्यक्रम) प्रारम्भ किया गया। क्लस्टर नियमावली के पैरा 3 के अनुसार, दस्तकारों के लिए विकास

45. क्लस्टर से तात्पर्य 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित दस्तकारों/लघु उद्यमियों के ऐसे समूह से है, जिसमें कम से कम 50 दस्तकार/लघु उद्यमी एक ही प्रकार के कच्चे माल का उपयोग कर, समान उत्पादन प्रक्रिया अपनाते हुए, समान प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं।

गतिविधियों की आवश्यकता हेतु संभावित क्लस्टरों के प्रस्ताव जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त किये जाने थे। प्रस्तावों को आयोजित आधारभूत सर्वेक्षण, शक्ति, कमजोरी, अवसर एवं धमकी, किया गया विश्लेषण, कार्ययोजना की लागत में दस्तकारों के योगदान तथा जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों की सिफारिश के आधार पर तैयार किया जाना था। आयुक्त, उद्योग द्वारा क्लस्टरों का प्रारम्भिक चयन जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में से किया जाना था। तत्पश्चात् इन चयनित क्लस्टरों के 'डायग्नोस्टिक अध्ययन सह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन' गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार की जानी थी। अंतिम चयन गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत 'डायग्नोस्टिक अध्ययन सह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन' के आधार पर, राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति⁴⁶ द्वारा किया जाना था।

वर्ष 2006-07 से 2012-13 में 39 क्लस्टर परियोजनाएँ जिनकी परियोजना लागत ₹29.77 करोड़⁴⁷ थी, अनुमोदित की गई जिनमें से केवल 30 क्लस्टर परियोजनाएँ मार्च 2013 तक राशि ₹ 13.07 करोड़ व्यय कर पूर्ण की गई, 3 परियोजनाएँ, राशि ₹ 0.25 करोड़ व्यय करने के पश्चात् राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निरस्त की गई तथा शेष 6 परियोजनाएँ मार्च 2013 तक प्रगतिरत थी। संलग्न परिशिष्ट 2.13 में दर्शायी गई 10 क्लस्टर परियोजनाएँ विस्तृत अध्ययन हेतु चयनित की गई। उक्त क्लस्टर परियोजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में निम्न कमियाँ पायी गई:

• प्रमुख सचिव, उद्योग ने निर्देश दिए (मार्च 2005) कि क्लस्टर परियोजना प्रतिवेदन में विदित लाभ यथा दस्तकारों की आय में वृद्धि, बिक्री तथा सामाजिक लागत लाभ, जो क्लस्टर गतिविधियों के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त किये जाने थे, दर्शाये जाने थे।

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपनाये गये दिशा निर्देश (अप्रैल 2006) में भी इसी बात को दोहराया गया। लेखापरीक्षा में यद्यपि यह देखा गया कि सभी चयनित मामलों में अनुमोदित 'डायग्नोस्टिक अध्ययन सह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों' में उन क्लस्टर परियोजनाओं के विकास के माध्यम से प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को इंगित नहीं किया गया।

46. क्लस्टर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये राज्य सरकार द्वारा नवम्बर 2007 में प्रमुख सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में गठन किया गया।

47. एक क्लस्टर की अनुमोदित परियोजना लागत को छोड़कर- कसीदाकारी क्लस्टर, शिव (बाड़मेर) जिसकी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते कहा (अक्टूबर 2013) कि दस्तकारों की निरक्षरता के कारण अभिलेख का रखरखाव मुश्किल था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजना प्रतिवेदन दस्तकारों द्वारा तैयार नहीं किये जाने थे।

2.3.10.2 क्लस्टर परियोजना के अनुश्रवण व मूल्यांकन में कमी

● जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती माह में कार्यान्वित क्लस्टर गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मासिक प्रगति प्रतिवेदन आयुक्त को प्रस्तुत करना आवश्यक था। तथापि लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि 2008-13 के दौरान मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में 20 जिला उद्योग केन्द्रों में (31 क्लस्टर) 31 से 100 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

● जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों को क्लस्टर गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा निर्धारित प्रपत्र में मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आयुक्तालय द्वारा निर्देशित किया गया था (मई 2008)। क्रियान्वित गतिविधियों द्वारा लाभान्वित प्रतिभागियों की संख्या, प्रशिक्षु व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण, मशीनरी, उपकरण एवं क्रय किया गया कच्चा माल, प्रशिक्षण के दौरान तैयार उत्पाद का निस्तारण, सम्पत्तियां व स्थायी सामग्री जो क्रय की गई तथा कमियां, जो निरीक्षण के दौरान पायी गई व उन्हें दूर करने के सुझाव आदि महत्वपूर्ण पहलुओं को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किया जाना था।

नमूना जाँच किये गये जिला उद्योग केन्द्रों की लेखापरीक्षा में पाया कि निरीक्षण और निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ना तो कोई अभिलेख रखा जा रहा था और ना ही निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि क्रियान्वयन एजेन्सियों और नोडल अधिकारियों से सीधे ही ऑनलाइन मासिक प्रगति प्रतिवेदन की प्राप्ति के तंत्र को विकसित किया जाएगा।

● राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति ने निर्देशित किया (जुलाई 2008) कि प्रत्येक क्लस्टर का त्रैमासिक निरीक्षण उद्योग विस्तार अधिकारी एवं लेखा केडर से संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाना है। लेखापरीक्षा में यद्यपि, पाया गया कि किये गये निरीक्षणों को आयुक्तालय स्तर पर सूचीबद्ध नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जारी निर्देशों की पालना की गई थी। आयुक्त ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि क्लस्टरों का निरीक्षण, जिला उद्योग केन्द्रों के निरीक्षण के

समय किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि त्रैमासिक निरीक्षण का कोई विशिष्ट विवरण मांगने के उपरान्त लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। यह निरीक्षण और योजना के अनुश्रवण में कमी को परिलक्षित करता है।

● क्लस्टर नियमावली के प्रावधानानुसार प्रत्येक क्लस्टर परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन, क्लस्टर गतिविधियां शुरू होने से 18 माह पश्चात् एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किया जाना था जिससे मूल्यांकन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधार किया जा सके। लेखापरीक्षा में विदित हुआ कि मार्च 2013 तक 30 क्लस्टर पूर्ण किये गये जिन पर ₹ 13.07 करोड़ व्यय किया गया, इसके विपरीत केवल एक क्लस्टर (चमड़ा क्लस्टर, किशनगढ़-रेनवाल) में ही मध्यावधि मूल्यांकन सम्पादित किया गया था।

● क्लस्टर नियमावली के अनुच्छेद 9 के उप अनुच्छेद 6 से 10 के अनुसार क्लस्टर परियोजना के पूरा होने के बाद, क्रियान्वयन एजेन्सी से एक अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें आय, उत्पादन, टर्नओवर, निर्यात तथा रोजगार सृजन के अवसर आदि का विस्तृत अध्ययन शामिल किया जाना था। आगे, क्रियान्वयन एजेन्सी के काम का मूल्यांकन करने वाली स्वतंत्र एजेन्सी से अन्तिम मूल्यांकन एवं प्रभाव आंकलन प्राप्त किया जाकर उसका अनुमोदन राज्यस्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति से कराया जाना था। लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि 30 पूर्ण क्लस्टर परियोजनाओं में से केवल 3 क्लस्टरों⁴⁸ में अन्तिम मूल्यांकन एवं प्रभावी आंकलन किया गया जिसको राज्यस्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति ने अनुमोदित किया। इस प्रकार, विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्लस्टर विकास कार्यक्रम के निर्धारित लाभ दस्तकारों तक पहुँच गये।

राज्य सरकार ने मध्यावधि मूल्यांकन, अन्तिम मूल्यांकन और प्रभावी आंकलन आयोजित नहीं किये जाने से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए बताया (अक्टूबर 2013) कि मानव शक्ति एवं संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग को दस्तकारों को क्लस्टर विकास के निर्धारित लाभ प्रदान करने के लिए उचित निगरानी के माध्यम से क्लस्टर परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये था।

2.3.10.3 सामान्य सुविधा केन्द्र का सृजन और संचालन

निर्धारित आवश्यकता व राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के आधार पर सामान्य प्रकृति की सेवाएँ यथा, कच्चे माल की व्यवस्था, जॉब वर्क

48. अलवर, दौसा, जयपुर।

हेतु उपकरण एवं मशीनरी की सुविधा, बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाने, प्रशिक्षण, विपणन सहायता आदि प्रदान करने के लिए क्लस्टर परियोजना में सामान्य सुविधा केन्द्र (कॉमन फेसिलिटी सेन्टर) की स्थापना की जानी थी जिससे दस्तकारों के लाभ के लिये क्लस्टर चालू एवं क्रियाशील रहे। आगे, इसके लिए एक सहकारी समिति/फेडरेशन/संघ/निर्माता कम्पनी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में प्रत्येक क्लस्टर में सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण एवं संचालन हेतु एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी) का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना था।

● अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि कोटाडोरिया क्लस्टर कैथून, कोटा के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई जिसके लिए मार्च 2008 तक ₹ 1.72 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को जारी किये गये। प्रारम्भ और समापन की नियत दिनांक क्रमशः 16 जनवरी 2011 और 15 दिसम्बर 2011 थी। यद्यपि, सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण 18 महीने की देरी के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया (जुलाई 2013)। राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम ने भवन निर्माण और संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना पर ₹ 0.65 करोड़ का व्यय किया और ₹ 1.07 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के पास अप्रयुक्त पड़े हुए थे (जुलाई 2013)।

● बानसूर, अलवर में चमड़ा क्लस्टर के लिए भी एक सामान्य सुविधा केन्द्र स्वीकृत किया गया था जिसके लिए भूमि का स्पष्ट और निर्विवाद स्वत्ताधिकार सुनिश्चित किये बिना ही कार्यान्वयन एजेन्सी को ₹ 24 लाख जारी कर दिये गये (नवम्बर 2006)। आगे, इन निधियों को दो से अधिक वर्षों के बाद फरवरी 2009 में संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही, भीनमाल, जालौर में दूसरे चमड़ा क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए विपथन कर दिया गया। भीनमाल, जालौर में सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण, उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता और महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जालौर द्वारा दिसम्बर 2010 तक कोई औचित्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण राज्यस्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा रद्द कर दिया गया (जून 2011)। ये निधियां क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा दिसम्बर 2011 में समर्पित की गई थी। इस प्रकार ₹ 24 लाख, विभाग की दोषपूर्ण योजना के कारण, पांच साल के लिए निष्क्रिय रहे।

● यह ध्यान में आया कि डूंगरपुर में स्टोन आर्टवेयर क्लस्टर योजना के तहत, एक सामान्य सुविधा केन्द्र ₹ 55.25 लाख में स्वीकृत किया गया, जिसकी कार्य शुरू करने और पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः जनवरी 2011 और सितम्बर 2011 थी। इस सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए ₹ 55 लाख

राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम को जारी किये गये। ₹ 20 लाख व्यय करने के बाद, स्थानीय निवासी द्वारा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के कारण कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया गया था (फरवरी 2011)। तब से अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए विभाग द्वारा प्रयास नहीं किये गये, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20 लाख का व्यय निष्फल रहा (मार्च 2013)। शेष ₹ 35 लाख राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के पास अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि कैथून, कोटा के सामान्य सुविधा केन्द्र में संयंत्र और मशीनरी की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन था। बानसूर सामान्य सुविधा केन्द्र की राशि राजकोष में जमा करा दी गई और स्टोन आर्टवेयर क्लस्टर, डूंगरपुर प्रकरण को राज्यस्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में निर्णय लेने के लिए रखा गया था।

महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

2.3.10.4 भारत सरकार ने दिसम्बर 2003 में बुनकर बीमा योजना शुरू की एवं 2005-06 में उसका पुनः नामकरण महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना किया गया। महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना का मूल उद्देश्य हाथकरघा बुनकरों की प्राकृतिक मृत्यु सहित दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी या आंशिक अपंगता के प्रकरण में उच्चतम बीमा प्रदान करना था। ₹ 330 का वार्षिक प्रीमियम⁴⁹, भारत सरकार, राज्य सरकार, जीवन बीमा निगम एवं बुनकर द्वारा साझा किया जाना था। भारत सरकार का अंशदान इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा सीधे ही जीवन बीमा निगम को हथकरघा बुनकरों की संख्या के आधार पर अग्रिम में जारी किया जाना था।

आयुक्तालय और सात चयनित जिला उद्योग केन्द्रों⁵⁰ में, जहाँ इस योजना का संचालन किया गया था के अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुये:

आवेदन-पत्रों की जाँच

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बुनकर, चाहे महिला हो या पुरुष, इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र थे। जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नोडल अधिकारी होने के नाते बीमा पॉलिसियों के आवेदन फार्म की जाँच नहीं की गई और पात्रता मानदण्ड सुनिश्चित किये बिना ही जीवन

49. भारत सरकार-₹ 150, जीवन बीमा निगम-₹ 100, राज्य-₹ 40 एवं बुनकर-₹ 40

50. अजमेर, अलवर, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जैसलमेर, जोधपुर व कोटा।

बीमा निगम को प्रेषित कर दिये। पाँच मामलों में 59 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लाभार्थियों के आवेदन-पत्र भी प्रेषित कर दिये गए। एक प्रकरण में, आवेदन में 58 साल की उम्र वाले को मार्च 2008 में बीमा पॉलिसी जारी कर दी गई। बाद में, पॉलिसी धारक की अप्रैल 2008 में मृत्यु हो गयी। मृत्यु के समय, बीमा दावे के लिए आवेदन में उम्र 65 वर्ष दिखायी जाने के कारण दावे को खारिज कर दिया गया था। जो महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर आवेदन की जाँच की कमी को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2013) कि इस तरह के मामलों के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के लिए निर्देश जारी किये जायेंगे।

अनुश्रवण

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा, सहायक निदेशक, हाथकरघा और जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधियों के बीच जिला स्तर पर प्रतिमाह आयोजित बैठकों में की जानी थी। यद्यपि, चयनित जिला उद्योग केन्द्रों में 2008-13 के दौरान ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि जिला स्तर पर निगरानी के लिए निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन, जीवन बीमा निगम के केवल दो ही केन्द्र (जयपुर एवं जोधपुर) कार्यरत हैं, जिनके लिए राज्य के सभी जिलों में बैठकों में भाग लेना सम्भव नहीं था। आगे यह बताया कि मासिक बैठकें आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य बीमा योजना

2.3.10.5 भारत सरकार द्वारा (2005-06) से आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड, सामान्य बीमा कम्पनी लिमिटेड (आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड) के सहयोग से हाथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। हाथकरघा के राज्य निदेशक/उद्योग के निदेशक एवं उनके क्षेत्र में अधीनस्थ अधिकारी, नोडल अधिकारी थे और योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे। पॉलिसी का प्रीमियम समय-समय पर संशोधित किया गया था तथा वर्ष 2012-13 के लिए यह ₹ 939.76 निर्धारित किया गया। जिसमें भारत सरकार की ₹ 769.36 व हाथकरघा बुनकर/राज्य सरकार की ₹ 170.40⁵¹ की भागीदारी थी। आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड से स्वास्थ्य कार्ड की प्राप्ति के पश्चात्, आयुक्तालय, क्रियान्वयन एजेन्सी

51. हाथकरघा बुनकरों के न्यूनतम योगदान ₹ 50 को शामिल करते हुए।

के साथ बीमा पॉलिसी के बारे में व्यक्तिगत लाभार्थी को सूचित करने के लिए जिम्मेवार था।

आयुक्तालय एवं सात चयनित जिला उद्योग केन्द्रों⁵² में संधारित अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

● 2008-13 के दौरान यद्यपि 9787 बुनकरों के आवेदनों को राज्य/बुनकरों के शेयर के साथ आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड को प्रस्तुत किया गया जिसमें से केवल 8842 स्वास्थ्य कार्ड ही बुनकरों को जारी किये गये। शेष 945 स्वास्थ्य कार्ड, जो जनवरी 2009 से मार्च 2013 तक की अवधि से सम्बन्धित थे, आज तक जारी नहीं किये गये (अक्टूबर 2013)।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड द्वारा स्वास्थ्य कार्ड्स जारी करने के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था जिसके कारण शेष स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं किये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकार द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड द्वारा प्रीमियम प्राप्त करने के बाद स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी।

● चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति, इनकी प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर करने के प्रावधान के विरुद्ध चार चयनित जिला उद्योग केन्द्रों⁵³ के 307 बुनकरों द्वारा नवम्बर 2007 एवं मार्च 2013 के बीच प्रस्तुत ₹ 7.50 लाख के चिकित्सा दावों का मई 2013 तक आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। आगे, 109 बुनकरों के ₹ 2.42 लाख के दावों का 4 से 36 महीनों की देरी से पुर्नभरण किया गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि लम्बित दावों का तुरन्त निपटारा कर लिया जाएगा।

● आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाथकरघा बुनकरों के चिकित्सा उपचार के लिए मध्यम श्रेणी के अस्पतालों/नर्सिंग होमस् की एक सूची, राज्य सरकार व हाथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय को प्रस्तुत करनी थी। इस सूची को त्रैमासिक अद्यतन किया जाना था। लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा 2008-13 के दौरान मध्यम श्रेणी के अस्पतालों/नर्सिंग होमस् की सूची को त्रैमासिक

52. अजमेर, अलवर, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जैसलमेर, जोधपुर एवं कोटा।

53. अलवर, जोधपुर, जयपुर (शहर), कोटा।

अद्यतन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, लाभार्थी उपचार प्राप्त करने के लिए निकटतम अधिकृत अस्पतालों से अनभिज्ञ रहे।

● इसके अलावा, आई.सी.आई.सी.आई लोम्बार्ड द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के निर्देशों (अक्टूबर 2008) की पालना नहीं की क्योंकि उनके प्रतिनिधियों द्वारा बुनकरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को इकट्ठा करने के लिए कभी भी गांवों का दौरा नहीं किया गया जो की आवश्यक था।

● जिला स्तर पर राज्य सरकार के सहायक निदेशक, हाथकरघा एवं आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड के प्रतिनिधियों को आवेदकों के नामांकन की प्रगति की निगरानी एवं दावों के भुगतान से संबंधित मामलों को सुलझाने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक बैठक करनी थी। चयनित जिला उद्योग केन्द्रों के अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किये जावेंगे।

2.3.10.6 शहरी एवं ग्रामीण हाट

शहरी हाट

विकास आयुक्त (हाथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा हाथकरघा क्षेत्र के विकास एवं सफलतापूर्वक वृद्धि के लिए 1996-97 से विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। शहरी हाट का घटक 1997-98 में प्रारम्भ किया गया, जिससे ग्राहकों को सीधे अपने उत्पादों को बेचने के लिए शिल्पकारों/बुनकरों को पर्याप्त प्रत्यक्ष विषणन सुविधाएं प्रदान की जा सकें। प्रत्येक हाट हेतु अनुमानित परियोजना लागत ₹ दो करोड़ 70:30 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाना था। अधिक व्यय, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

ग्रामीण हाट

ग्रामीण दस्तकारों के पास पर्याप्त क्षमता, बाजार आसूचना एवं बातचीत कौशल की कमी के कारण वे स्वयं को बाजार से जोड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए, इन कमियों को पाटने के लिए, गाँव जिला एवं राज्य स्तर पर ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण हाट की स्थापना, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत की गई। गाँव, जिला एवं राज्य स्तर पर ग्रामीण हाट परियोजना की अधिकतम लागत क्रमशः ₹ 0.15 करोड़, ₹ 1.50 करोड़

एवं ₹ 3 करोड़ थी जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में साझा करनी थी।

मार्च 2013 तक दस ग्रामीण हाट एवं तीन शहरी हाट 13 जिलों⁵⁴ में विकसित किये गये। आयुक्तालय एवं पांच जिला उद्योग केन्द्रों⁵⁵ में शहरी एवं ग्रामीण हाट के अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि:

- भारत सरकार द्वारा योजना के तहत प्रत्येक शहरी हाट के प्रचार के लिए पहले और दूसरे साल में ₹ 10 लाख एवं ₹ 5 लाख का प्रावधान किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2008-13 के दौरान अजमेर, जयपुर एवं जोधपुर में शहरी हाट विकसित किए गए लेकिन परियोजना का प्रचार, परियोजना के तहत ₹ 45 लाख का प्रावधान होने के बावजूद भी नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 8(2) के अनुसार, सरकारी खाते से धन की निकासी, तत्काल आवश्यकता के लिए की जानी थी। अलवर एवं सीकर में शहरी हाट के लिए परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ और केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए भारत सरकार को जुलाई 2009 में प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर के व्यक्तिगत निक्षेप खाते में राज्य सरकार द्वारा ₹ 90 लाख की धनराशि जारी और स्थानान्तरित की गई (जनवरी 2010), जिनमें से ₹ 84.16 लाख का व्यय नवम्बर 2011 तक किया गया था, यद्यपि परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदन हेतु जुलाई 2009 में प्रस्तुत किया गया जो ना तो प्राप्त हुआ और ना ही भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय शेयर जारी किया गया। राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2013) कि भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही थी।
- सभी 10 ग्रामीण हाट जिला स्तर पर विकसित किये गये, जबकि ग्राम स्तर पर कोई भी हाट विकसित नहीं किये गये, जिससे ग्रामीण दस्तकार ग्राम स्तर पर अपने उत्पादों को वर्षभर बेचने की बेहतर सुविधा के लाभ से वंचित रहे। इस प्रकार, ग्रामीण हाट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।

54. ग्रामीण-भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, झुंझुनु, जैसलमेर, राजसमन्द, कोटा एवं उदयपुर शहरी-अजमेर, जयपुर एवं जोधपुर।

55. अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि ग्रामीण हाट, भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार जिला मुख्यालयों पर विकसित किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशानिर्देशों में जैसा निर्दिष्ट था, ग्रामीण हाट ग्राम स्तर पर नहीं बनाये गये थे।

● प्रत्येक वर्ष के कार्यक्रमों के कैलेंडर के अनुसार मेलों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से हाट आयोजित कर दस्तकारों को वास्तविक लाभ दिया जाना था। मेले तथा प्रदर्शनियों के आयोजन से सम्बन्धित स्वीकृत कैलेंडर का पालन नहीं किया गया था। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान मेले, प्रदर्शनियों के आयोजन में कमी, 57 से 100 प्रतिशत के मध्य विचरित थी। इसके अतिरिक्त, नौ हाटों में, उपलब्ध स्टालों के विरुद्ध दस्तकारों को प्रत्येक मेले/प्रदर्शनियों में आवंटित वास्तविक स्टालों में 7 और 95 प्रतिशत के मध्य कमी थी। विभाग द्वारा 2011-13 की सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवायी गयी (अक्टूबर 2013)।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार मेलों तथा प्रदर्शनियां आयोजित करने के सम्बन्ध में महाप्रबन्धकों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

● भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार, हाटों का संचालन एवं रखरखाव, मेले, प्रदर्शनियों इत्यादि द्वारा इन हाटों के संचालन से सृजित आय से करना था। लेखापरीक्षा में पाया कि 2008-12 के दौरान, पांच चयनित जिला उद्योग केन्द्रों में ₹ 31.91 लाख की आय के विरुद्ध ₹ 70.71 लाख का व्यय किया गया था। ₹ 38.80 लाख के घाटे के विरुद्ध, आयुक्तालय ने ₹ 52.02 लाख की निधियां उपलब्ध करायीं। 2012-13 की सूचना अभी तक अपेक्षित थी (अक्टूबर 2013)। इस प्रकार ₹ 13.22 लाख की राशि आयुक्त, उद्योग द्वारा बिना औचित्य के अधिक अनुमत्य की गयी। राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

नमक उद्योग

2.3.10.7 नवम्बर 2007 में राज्य सरकार ने उन शर्तों को विहित करते हुए नियमों में संशोधन किया जिन पर नमक उद्योग के लिए उपलब्ध लवणीय भूमि का पट्टे के आधार पर आवंटन किया जाना था। आयुक्तालय एवं तीन जिला उद्योग केन्द्रों⁵⁶, जिनमें नमक उद्योग की गतिविधियाँ परिचालित थी, के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकट हुईं:

56. जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर

खाली लवण भूमि का खेती के लिए आवंटन नहीं किया जाना

राज्य औद्योगिक नीति, 1998 में निर्दिष्ट किया गया है कि लगभग 18,000 एकड़ खाली लवणीय भूमि चरणबद्ध तरीके से खेती के अधीन लायी जाएगी। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 15 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी कोई लवणीय भूमि खेती के लिए आवंटित नहीं की गई।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि लवणीय भूमि की भौगोलिक परिस्थितियों, क्षेत्र में पानी का जमाव, कानूनी विवाद व अन्य के कारण आवंटन नहीं किया जा सका तथा इसलिए, लवण क्षेत्र को अलवण क्षेत्र घोषित करने का एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। तथ्य यह है की 15 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लवणीय क्षेत्र को खेती के लिये उपयोग में नहीं लाया गया।

लवण क्षेत्र के लिए पट्टा किराया

राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि आवंटन) नियम, 1997 (नियम 1997) के नियम 7 तथा संशोधित नियम 2007 (नियम 2007) का नियम 9 यह दर्शाता है कि प्रत्येक लवणीय क्षेत्र का पट्टा किराया, क्षेत्र में क्षारीय तत्व की उपलब्धता और लवणीयता के आधार पर निर्धारित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा पट्टा किराया निर्धारित किये जाने तक, नियमों में वर्णित अनुसार अन्तरिम लीज किराया भारत किया जाना चाहिए था।

अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लवणीय क्षेत्र के लिए लीज किराया निर्धारित नहीं किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र में क्षारीय तत्व एवं लवणता की उपलब्धता पर विचार किए बिना ही अवधि जनवरी 1997 से नवम्बर 2007 तथा दिसम्बर 2007 से आज दिनांक तक क्रमशः राशि ₹ 100 प्रति एकड़ तथा ₹ 161.88 प्रति एकड़ वार्षिक की दर से सभी लवणीय क्षेत्रों के लिए अन्तरिम पट्टा किराया भारत किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि समान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के क्षारीय तत्व की उपलब्धता के कारण लवणता के अनुसार पट्टा किराया निर्धारित करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमों में यह व्यवस्था है कि नमूनों के आधार पर लवणीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना था व सर्वेक्षण के आधार पर घोषित किये जाने वाले प्रस्तावित लवणीय क्षेत्र का नक्शा बनाया जाना था। आगे, नियम 2007 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक घनत्व वाली क्षारीय भूमि को लवणीय भूमि माना जावेगा। क्योंकि नियमानुसार पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई, जिससे सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व प्रभावित हुआ, अलवणीय क्षेत्र कृषि के लिये आवंटित नहीं किया गया व लवणीय क्षेत्र का नक्शा नहीं बनाया गया।

लवण भूमि पर पूर्व पट्टेदारों द्वारा अनाधिकृत कब्जे

नियम, 2007 के नियम 14 एवं 16 आवंटित लवणीय भूमि के पट्टे का 20 वर्ष की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद नवीनीकरण करना निर्दिष्ट करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर एवं जोधपुर के 184 लीज तथा जिला उद्योगकेन्द्र किशनगढ़ (अजमेर) के 85 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि मार्च 1994 और मार्च 2008 के मध्य 198 प्रकरणों⁵⁷ में पट्टा अवधि समाप्त हो चुकी थी, पट्टा समाप्त करने या क्षेत्र का कब्जा लेने हेतु कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप नमक भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हुआ तथा सरकारी राजस्व की हानि हुई।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि पट्टा प्रकरणों को समाप्त करने और नियमित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पट्टा किराये की वसूली का अभाव

● नियम, 1997 के नियम 7 तथा संशोधित नियम, 2007 का नियम 9 दर्शाता है कि प्रत्येक लवणीय क्षेत्र का पट्टा किराया क्षेत्र में लवणता और क्षारीय तत्व की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि पट्टा किराया की वसूली सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं था क्योंकि आयुक्तालय के पास बकाया पट्टा किराया का विवरण नहीं था। यह भी देखा गया (जुलाई 2012) कि जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर में पट्टा किराये के विरुद्ध राशि ₹ 8.99 लाख बकाया दिखायी गयी परन्तु उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में इनके विवरण का सत्यापन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि पट्टे किराये की वसूली से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का संधारण जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आयुक्तालय या जिला उद्योग केन्द्रों पर अभिलेखों का उचित संधारण नहीं पाया गया।

नमक मजदूर आवास योजना

2.3.10.8 नमक श्रमिकों के लिए आवासीय इकाईयाँ प्रदान करके नमक श्रमिकों के रहने की हालत सुधारने हेतु भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा नमक मजदूर आवास योजना लागू की गई थी (अक्टूबर 2003)। प्रत्येक

57. जैसलमेर-25, जोधपुर-134 तथा किशनगढ़ (अजमेर)-39।

आवासीय इकाई की परियोजना लागत, आधारभूत सुविधा के लिए ₹ 10,000 को सम्मिलित करते हुए ₹ 50,000 थी। लागत की 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जानी थी।

आयुक्तालय एवं जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 450 आवास⁵⁸ निर्माण हेतु जून 2011 तक केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 2.03 करोड़ जारी की गई थी। राज्य सरकार ने लाभार्थियों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई गई भूमि पर आवासों के निर्माण हेतु ₹ 1.61 करोड़ तथा आधारभूत सुविधाओं के लिए संबंधित जिला उद्योग केन्द्रों को ₹ 45 लाख उपलब्ध करवाये। स्वीकृत 450 आवासों में से 449 आवास मार्च 2009 तक पूर्ण किये जा चुके थे जबकि एक आवास नवम्बर 2011 में पूर्ण हुआ था।

बाप (फलौदी), जोधपुर में निर्मित आवासों की, उप निदेशक जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर के साथ लेखापरीक्षा के संयुक्त निरीक्षण (सितम्बर 2010) के दौरान यह पाया गया कि खिड़कियां/दरवाजे टूटी हुई स्थिति में थे। आगे, अन्य आधारभूत सुविधायें जैसे सम्पर्क सड़क, पीने का पानी एवं विद्युत कनेक्शन इत्यादि या तो पूर्ण नहीं थी या खराब स्थिति में थी। इसके परिणामस्वरूप नमक मजदूरों द्वारा इन आवासों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, राशि ₹ 2.06 करोड़ का व्यय करके पूर्ण किये गये आवासों के निर्माण के उपरान्त भी नमक मजदूर आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण का निहित उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ (जनवरी 2013)।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि नमक उत्पादन के समय, अधिकतम आवास भरे रहते हैं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ प्रदान की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के समर्थन में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

नमक मजदूर आवास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 4 के अनुसार आवासों के आवंटियों को पट्टे जारी किये जाने थे। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आवासों के आवंटन-पत्र जारी करने (नवम्बर 2006) के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी आवंटियों को पट्टे जारी नहीं किए गये थे।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि पट्टे जारी करने का कार्य पंचायतों/नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा नगरपालिकाओं/पंचायतों के साथ सम्पर्क नहीं किया गया।

58. जोधपुर-89 आवास एवं नागौर-361 आवास।

एकीकृत हाथकरघा विकास योजना

2.3.10.9 संयुक्त, स्वप्रबन्धकीय और प्रतिस्पर्धी सामाजिक-आर्थिक इकाईयों में, चिन्हित हाथकरघा समूहों के अन्दर व बाहर स्थित हाथकरघा बुनकरों के सतत विकास की सुविधा हेतु भारत सरकार ने एकीकृत हाथकरघा विकास योजना लागू की (दिसम्बर 2007)। तीन वर्ष की परियोजना अवधि के लिए प्रत्येक क्लस्टर के लिए अधिकतम अनुमत्य परियोजना लागत ₹ 60 लाख से अधिक नहीं होनी थी।

भारत सरकार ने पोकरण (जैसलमेर) तथा नापासर (बीकानेर) में राशि ₹ 1.05 करोड़ की लागत की दो हाथकरघा क्लस्टर परियोजनाओं का अनुमोदन जनवरी 2008 में किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 9: एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदित हाथकरघा क्लस्टर परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	हाथकरघा परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम	परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	लाभार्थी अंश
1	पोकरण	मैसर्स उरमूल मरूस्थलीय बुनकर विकास समिति, फलौदी (जोधपुर)	46.19	38.33	6.12	1.74
2	नापासर	मैसर्स रंगसूत्र क्राफ्ट दुनिया प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड	58.70	49.03	7.82	1.85
योग			104.89	87.36	13.94	3.59

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना

भारत सरकार से प्राप्त तथा क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रदान की गयी निधियों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 10: प्राप्त निधियां एवं क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रदान की गयी निधियों का विवरण

(राशि ₹ लाखों में)

क्रम संख्या	क्लस्टर परियोजना का नाम	भारत सरकार से प्राप्त निधियां		क्रियान्वयन एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी निधियां		निधि प्रदान करने में लिया गया समय (माह में)
		माह/वर्ष	राशि	माह/वर्ष	राशि	
1	पोकरण	जनवरी 2008	12.45	मार्च 2009	11.72	14
		अगस्त 2010	14.20	फरवरी 2011	14.20	6
2	नापासर	जनवरी 2008	13.70	मार्च 2009	11.71	14
		अगस्त 2010	19.28	जनवरी 2011	19.28	5
योग		-	59.63	-	56.91	-

स्रोत: विभागीय सूचना

मार्च 2011 तक पूर्ण किये जाने वाली उपरोक्त क्लस्टर परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईं:

● उपरोक्त क्लस्टर की डायग्नोस्टिक अध्ययन रिपोर्ट, स्वीकृति के साथ मई 2007 तक वापस भिजवाने हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को भेजी (अप्रैल 2007), परन्तु आवश्यक स्वीकृति भारत सरकार को 7 माह के विलम्ब के साथ दिसम्बर 2007 में प्रस्तुत की गई थी। राज्य सरकार ने पुष्टि की (अक्टूबर 2013) कि सात माह का विलम्ब डायग्नोस्टिक अध्ययन रिपोर्ट की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के कारण था।

● एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के दिशा-निर्देशों का पैरा 6(iii), परियोजना शुरू होने के बाद योजना का बुनकरों पर प्रभाव दर्शाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना दर्शाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार से जनवरी 2008 में सहायता की प्रथम किश्त प्राप्त हुई थी परन्तु भारत सरकार को वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला प्रतिवेदन बिना किसी प्रभावी आंकलन किए विलम्ब से, जुलाई 2010 में प्रेषित किया गया। परिणामतः भारत सरकार ने 30 माह की देरी के साथ अगस्त 2010 में निधियां निर्गमित की।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र, भौतिक प्रगति प्रतिवेदन एवं प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन प्राप्त करने में देरी के कारण त्रैमासिक प्रतिवेदन भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

● एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के दिशा-निर्देशों का पैरा 6(x) दर्शाता है कि राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी को, राज्य निधि में स्थानान्तरण/समायोजन की तिथि से तीन माह के भीतर राशि जारी करना है। जनवरी 2008 में स्वीकृत केन्द्रीय अंश ₹ 87.36 लाख में से भारत सरकार ने जनवरी 2008 में ₹ 26.15 लाख तथा अगस्त 2010 में ₹ 33.48 लाख की निधियां जारी की। तथापि, राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी को, बिना किसी कारण बताये निधियां क्रमशः 14 तथा 6 माह के विलम्ब के साथ मार्च 2009 एवं फरवरी 2011 में उपलब्ध करायी गई। परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं की निर्धारित पूर्णता अवधि (मार्च 2011) की समाप्ति के बावजूद ₹ 27.73 लाख (32 प्रतिशत) की सीमा तक केन्द्रीय सहायता जून 2011 तक जारी नहीं की गई थी। इस प्रकार, बुनकर, योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों से वंचित रहे।

जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

• योजना के अन्तर्गत बुनकरों के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना था। परियोजना अवधि के दौरान 575 बुनकरों के विरुद्ध, केवल 160 बुनकरों (केवल 28 प्रतिशत) के लिये ही स्वयं सहायता समूह बनाये गये।

• यह भी ध्यान में आया कि परियोजना लागत ₹ 46.19 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 34.25 लाख क्रियान्वयन एजेन्सी को जारी किये गये थे, जिसमें से ₹ 23.15 लाख (50 प्रतिशत) का व्यय किया जा चुका था (जुलाई 2010 तक)। तथापि, मशीनरी तथा मार्जिन मनी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसके लिए परियोजना लागत में ₹ 11.40 लाख का प्रावधान उपलब्ध था।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि मार्जिन मनी एवं मशीनरी के विरुद्ध ₹ 3.24 लाख खर्च किये जा चुके हैं तथा बुनकरों को और अधिक मार्जिन मनी स्वीकृत करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुमोदन की प्रत्याशा में निधियों को जारी करना

2.3.10.10 आयुक्त, उद्योग द्वारा एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत सात क्लस्टर परियोजनाएँ⁵⁹ स्वीकृत की गईं तथा राजस्थान बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड को ₹ 37.64 लाख की निधियां प्रदान की गईं (मार्च 2008), जबकि इन क्लस्टरों के प्रस्ताव नवम्बर 2008 में भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाये गये थे। प्रस्तावों के अनुमोदन के बिना ही अग्रिम में निधियां जारी करने के कारण, अभिलेखों में नहीं पाये गये।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2013) कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता ₹ 39.88 लाख के साथ तीन परियोजनाओं का अनुमोदन किया, जिनके लिए उपयोगिता प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जा चुका था। आगे कहा गया कि चार क्लस्टरों के लिए राज्य आयोजना से प्रदान की गईं निधियां, जो राजस्थान बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड के व्यक्तिगत निक्षेप खाते में पड़ी थी, उन्हें वापस लेने की कार्यवाही की जा रही थी। तथ्य यह है कि मार्च 2008 से फरवरी 2011 तक तीन वर्षों के लिए संघ को ₹ 37.64 लाख का अदेय लाभ दिया गया व अधिशेष निधि को वसूल करने की तत्काल कार्यवाही नहीं की गई।

59. दरीबा (चुरू), मंगोल (बाडमेर), बाडमेर, जूनियां (अजमेर), असनावर (झालावाड़), लेटा (जालौर) एवं शाहपुरा (भीलवाड़ा) राशि ₹ 5.37 लाख प्रत्येक।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास सहायता योजना

2.3.10.11 अनुसंधान एवं विकास तथा पर्यावरणीय बेंचमार्क के साथ अनुकूलता द्वारा संस्थागत समर्थक ढांचे को मजबूत बनाने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत 2008 में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास सहायता योजना शुरू की गई थी।

योजना का पैरा 7 (iii) दर्शाता है कि औद्योगिक उपक्रम को 1 अप्रैल 2007 एवं 31 दिसम्बर 2011 की अवधि के मध्य विशिष्ट अधिकार-पत्र/अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन प्रमाण-पत्र का आवेदन प्रस्तुत करने एवं प्राप्त करने के लिए किये गये व्यय ₹ दो लाख या शुल्क का 10 गुना, जो भी कम हो, की सीमा तक पुनर्भरण अनुमत्त होगा। आगे, उपक्रम/आवेदक द्वारा दी गयी घोषणा के अनुसार अधिक लाभ प्राप्त करने अथवा योजना की शर्तों/प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने के प्रकरण में आवेदक, योजना के अन्तर्गत वास्तव में प्राप्त की गई पूरी राशि तथा उस पर प्रथम बार प्राप्त लाभ की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वापिस चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। अगस्त 2011 में आयुक्त ने सभी जिला उद्योग केन्द्रों को निर्देश दिए कि व्यय के पुनर्भरण में आवेदन, पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण अंकेक्षण शुल्क भी शामिल होंगे।

दस में से तीन जिला उद्योग केन्द्रों के अभिलेखों की समीक्षा में यह विदित हुआ कि विभाग द्वारा 72 लाभार्थियों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन प्रमाणीकरण शुल्क के लिए अधिक व्यय का पुनर्भरण तथा परामर्श शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क व केलीब्रेशन प्रभार इत्यादि मदों पर ₹ 95.27 लाख का अनियमित पुनर्भरण किया गया।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि 33 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समापन बैठक में बताया गया कि प्रकरणों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जा रहा है।

बांट व माप

2.3.10.12 बांट व माप से सम्बन्धित नियमों और विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आयुक्तालय, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। वस्तुओं के सही बांट व माप की सेवा सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से राज्य में राजस्थान बांट व माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1997 जनवरी 1998 से प्रभावी

किये गये। इन नियमों को मई 2011 में संशोधित किया गया। राजस्थान विधिक विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 (3 मई 2011 से लागू) का नियम 13 प्रावधित करता है कि मानको के अनुसार प्रत्येक वर्ष बांट व माप की सटीकता सत्यापित व मुहरबद्ध की जावेगी। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए बांट व माप का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि:

- 2011 में नियमों में संशोधन करते समय बांट एवं माप उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण का प्रावधान हटा दिया गया था जिसके कारण से सभी बांट एवं माप उपयोगकर्ताओं के आंकड़े नियंत्रक, विधिक विज्ञान के पास उपलब्ध नहीं थे। इस तरह के आंकड़ों के अभाव में नियंत्रक, यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थे कि प्रतिवर्ष प्रत्येक बांट एवं माप का सत्यापन एवं मुहरबद्ध कर लिया गया है। आगे, बांट एवं माप उपयोगकर्ता, जो बांट एवं माप के सत्यापन तथा मुहरबद्ध के लिए विधिक विज्ञान अधिकारी के कार्यालय अथवा अन्य निर्दिष्ट स्थान पर आते थे, उनके आंकड़े रखने के लिए नियंत्रक के पास कोई तंत्र विकसित नहीं था।

- लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग से जयपुर तथा जोधपुर जिलों में मीटर से चलने वाले टैक्सी/ऑटोरिक्शा की संख्या का विवरण तथा नियंत्रक द्वारा 2008-09 से 2012-13 के दौरान किये गये टैक्सी मीटरों का सत्यापन एवं मुहरबद्ध के परिणाम प्राप्त किए। इन विवरणों की जांच में प्रकट हुआ (परिशिष्ट 2.14) कि इन दो जिलों में टैक्सी मीटरों के सत्यापन व मुहरबद्ध करने की प्रतिशतता क्रमशः 33.24 एवं 61.51 थी।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि बांट एवं माप उपयोगकर्ताओं के पंजीयन का केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान नहीं किया गया था तथा तदनुसार ही राज्य नियमों में प्रावधान नहीं किया गया। आगे कहा गया कि ऑटो/टैक्सी मीटरों का शत-प्रतिशत सत्यापन एवं मुहरबद्ध करना, परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी प्रवर्तन और प्रक्रियात्मक सुधार के माध्यम से सम्भव है। विभाग द्वारा बांट एवं माप उपयोगकर्ताओं के आंकड़ों को इकट्ठा करने के सम्बन्ध में एक उचित तन्त्र विकसित किया जाना चाहिए। टैक्सी मीटरों के मुहरबद्ध व सत्यापन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.3.10.13 मशीनरी तथा उपकरण का अनुपयोगी रहना

तौल कांटों (व्हे ब्रिजों) के सत्यापन हेतु भारत सरकार द्वारा राशि ₹ 1.24 करोड़ लागत की क्रेन सहित दो 'चलित मानक वजन किट' (मोबाईल किट) उपलब्ध

करवाये गये थे (मई 2010)। अभिलेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर को उपलब्ध कराया गया एक मोबाईल किट, ऑपरेटर की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय पड़ा था। वाहन की लॉग बुक के अनुसार 2010-11 से 2012-13 के दौरान उक्त किट केवल 19 दिन ही उपयोग में लाया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि मोबाईल किट ऑपरेटर जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर से अस्थायी रूप से उपलब्ध कराया गया था तथा एक नियमित ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

2.3.10.14 मास फ्लो मीटर का अनुपयोगी रहना

जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर शहर के अभिलेखों की जांच के दौरान ध्यान में आया कि वाहनों के एलपीजी डिस्पेन्सर के सत्यापन हेतु राशि ₹ 12.50 लाख मूल्य की दो मास फ्लो मीटर मशीनें सितम्बर 2012 में भारत सरकार से प्राप्त हुई थी। प्रशिक्षित ऑपरेटर की अनुपलब्धता के कारण ये मशीनें बेकार पड़ी थी (जून 2013)। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 12.50 लाख की निधि अवरूद्ध रही तथा एलपीजी डिस्पेन्सर के सत्यापन से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हुई।

राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि एलपीजी पम्पस् का मास फ्लो मीटर से सत्यापन शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मशीनें अभी भी डिब्बाबन्द पड़ी है तथा एक साल की गारन्टी अवधि भी सितम्बर 2013 में समाप्त हो चुकी थी।

2.3.11 निष्कर्ष

आयुक्तालय, उद्योग की लेखापरीक्षा में, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में कई कमजोरियां पायी गईं। बनाये गये संशोधित अनुमान सही नहीं थे तथा कार्य योजनाएँ तैयार की गईं परन्तु राज्य की औद्योगिक नीति में निर्दिष्ट अनुसार क्रियान्वित नहीं की गईं। विभागीय नियमावली को 1983 के बाद से अद्यतन नहीं किया गया। जिला उद्योग केन्द्रों की आन्तरिक लेखापरीक्षा, निर्धारित अनुसार प्रतिवर्ष नहीं की गईं। विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी की कार्यप्रणाली अप्रभावी थी।

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम- विभाग ने क्लस्टर विकास के लिए एक प्रभावी तन्त्र विकसित किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया, जैसे कि कार्यक्रम का मध्यवर्ती/अन्तिम मूल्यांकन नहीं किया गया। अन्तिम मूल्यांकन तथा प्रभाव आंकलन

का राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदन किये बिना ही क्रियान्वयन एजेन्सी को भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण प्रतिवेदनों, मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं करना तथा आयुक्तालय द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण में उदासीनता, कमजोर अनुश्रवण को इंगित करता है।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना- योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कमजोर था जैसे कि अयोग्य बुनकरों के आवेदनों को अग्रेषित करने के उदाहरण ध्यान में आये।

स्वास्थ्य बीमा योजना- आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड द्वारा स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं करने के तथा बुनकरों के चिकित्सा दावों के निस्तारण में देरी के प्रकरण ध्यान में आये। आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड द्वारा अस्पतालों/नर्सिंग होमस् की सूची अद्यतन नहीं की गई थी।

शहरी एवं ग्रामीण हाट- ग्रामीण स्तर पर कोई हाट विकसित नहीं की गयी थी जिससे कि ग्रामीण दस्तकार बेहतर विपणन सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रहे। भारत सरकार द्वारा परियोजना का अनुमोदन किये बिना ही व्यय किया गया था। मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए स्वीकृत कैलेंडर का पालन नहीं किया गया था।

नमक उद्योग- राज्य औद्योगिक नीति के गठन के 15 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी खाली लवणीय भूमि का आवंटन खेती के लिए नहीं किया गया था। अन्तिम पट्टा किराया निर्धारित नहीं किया तथा भूमि के अनाधिकृत कब्जे एवं पट्टा किराये की वसूली न करने के प्रकरण भी देखे गये।

नमक मजदूर आवास योजना- बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराने के परिणामस्वरूप आवास खाली रहे तथा योजना में निहित उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सके।

एकीकृत हाथकरघा विकास योजना- एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन नहीं होने के बावजूद भी राज्य योजना के माध्यम से उपलब्ध करायी गई निधियों की वसूली नहीं की गई।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास सहायता योजना- अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन प्रमाणीकरण शुल्क, परामर्श शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क एवं केलीब्रेशन शुल्क की अधिक/अनियमित पुनर्भरण की अनुमति दी गई।


बांट व माप- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बांट व माप के मुहरबद्ध के लिए कोई व्यवस्थित तन्त्र विकसित नहीं था। संशोधित नियमों में बांट एवं माप के उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण हेतु प्रावधान नहीं किया गया था जिसके अभाव में बांट एवं माप के सभी उपयोगकर्ताओं के आंकड़े रखने का कोई तन्त्र विद्यमान नहीं था।

2.3.12 अनुशंषाएं

विभाग को चाहिए,

- राज्य औद्योगिक नीति में निर्दिष्ट कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित करना;
- बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और निधियों के पुनर्विनियोजन को अन्तिम रूप देने में राजस्थान बजट नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करना;
- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आन्तरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण के लिए प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र विकसित किया जाना;
- क्लस्टर कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन एवं अनुश्रवण करने के लिए बनायी गई क्लस्टर नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाना;
- जहाँ पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, वहाँ लवणीय भूमि के कब्जे वापस लेना अथवा पट्टा समाप्त करने के उपाय करना;
- नमक कृषकों से पट्टा किराये की वसूली के प्रयत्न करना, अलवणीय भूमि का नक्शा बनाकर उसे कृषकों को आवंटित करना;
- आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड द्वारा स्वास्थ्य कार्ड तुरन्त जारी करना तथा स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करना;
- बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के प्रयास करना जिससे कि नमक मजदूर आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में लोग रह सके;
- बांट एवं माप के सम्बन्ध में नियमों एवं विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करना जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके; तथा
- योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

अध्याय III
अनुपालना लेखापरीक्षा



अध्याय III अनुपालना लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनकी क्षेत्र संरचनाओं के लेनदेनों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ स्वायत्तशापी निकायों की लेखापरीक्षा में प्रबन्धन की खामियों तथा विनियमन, औचित्यता और मितव्ययता के मापकों की अनुपालना में विफलतायें ध्यान में लाई गई हैं जिनको वृहद् विषयक शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

कृषि विभाग

3.1.1 राजस्थान में कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क का अकार्यान्वयन

3.1.1.1 परिचय

कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क नामक एक योजना, एक मिशन मोड परियोजना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कृषक समुदाय के लिये सेवाओं में सुधार मुहैया कराने हेतु प्रारंभ की (अप्रैल 2005)। चूंकि योजना को परियोजनाकृत मोड में कार्यान्वित किया जाना था, इसलिये राज्य सरकारों को 'सरकार से नागरिक' सेवाओं के संदर्भ में प्रत्येक परियोजना हेतु उत्पाद एवं प्रदेय निर्धारित किए जाने थे। 'सरकार से सरकार' को सेवाओं के प्रावधानों को मध्यवर्ती उत्पादन के रूप में माना जायेगा। परियोजना में, कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क पोर्टल, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, मोबाइल आधारित प्रणाली, नागरिक सेवा केन्द्र, ज्ञान कोष्ठ इत्यादि द्वारा 'सरकार से व्यापार' को, 'सरकार से लोकसेवक' को तथा 'सरकार से कृषकों' को सेवाएं सम्मिलित करने की भी परिकल्पना की गई। इसका उद्देश्य कृषकों की सूचना आवश्यकताओं का आंकलन, कृषि तकनीकी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग कर, प्रणाली का निर्माण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग से कृषकों का सशक्तिकरण एवं कृषकों से संबंधित प्रासंगिक संसाधनों की सूचना यथा बीज प्रमाणीकरण, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि को कृषकों को उपलब्ध कराना था।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि इस योजना का लाभ दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) की समाप्ति से पूर्व दिखाई दे, भारत सरकार ने कार्यान्वयन अवधि के लिये लगभग एक वर्ष के समय (2006 के मध्य) की कल्पना की। योजना की परिवर्तनकारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने योजना की प्रगति एवं उपलब्धियों का एक अध्ययन अप्रैल से मई 2013 में आयोजित किया। यह

दृष्टिगत हुआ कि विभाग ने यद्यपि परियोजना को एक वर्ष में पूर्ण करने के विनिश्चय पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवम्बर 2009 में प्रस्तुत की थी तथापि कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क के अन्तर्गत जुलाई 2013 तक अर्थात् निर्धारित तिथि के सात वर्षों के उपरान्त भी किसी भी सेवाओं को राजस्थान में आरंभ नहीं किया गया। अतः योजना के अधीन किसी प्रकार का लाभ दसवीं या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में दृष्टिगत नहीं हुआ। इन पूर्ण विफलताओं के उत्तरदायी कारकों पर हमारा विश्लेषण, जो कि 'नौ जिलों' (33 में से) की 106 इकाइयों/कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है, निम्नांकित अनुच्छेदों में निरूपित है।

3.1.1.2 परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में विभाग की उदासीन पहुँच

कृषि और सहकारिता विभाग की 'अनुमोदन सह अनुश्रवण समिति' ने राज्य सरकारों से 17 मई 2005 को परियोजना तैयारी सहायता के लिये प्रस्ताव 15 जून 2005 तक तथा निधिकरण के लिये परियोजना प्रस्ताव 31 जुलाई 2005 से पूर्व इस दृष्टि से मांगे कि परियोजना लगभग एक वर्ष के समय में पूर्ण की जा सके।

परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में कृषि विभाग की उदासीन पहुँच को निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. स.	परियोजना की गतिविधियाँ	निर्धारित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलम्ब
1	कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार की अनुमोदन सह निगरानी समिति को प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण।	15 जून 2005	अप्रैल 2006	10 माह
2	अनुमोदन सह निगरानी समिति को निधिकरण हेतु परियोजना प्रस्तावों और अनुवर्ति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।	31 जुलाई 2005	नवम्बर 2009	4 वर्ष एवं 4 माह
3	अनुमोदन सह निगरानी समिति द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन	-	दिसम्बर 2009	-
4	परियोजना की पूर्णता	दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पूर्व (मार्च 2007)	कार्य प्रगति पर (सितम्बर 2013)	7 वर्ष

1. भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली, कोटा, झालावाड़, राजसमंद और सीकर।

प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलम्ब

कृषि विभाग ने कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क के प्रस्ताव तैयार करने के लिये लागत अनुमान हेतु राजकॉम्प, राजस्थान सरकार के एक उपक्रम से सम्पर्क किया (जुलाई 2005)। राजकॉम्प से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, विभाग ने अपने प्रस्ताव कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार को भेजे (अप्रैल 2006), जिसे प्रस्ताव के प्रारम्भिक अवस्था में होने और इनके उपयोग में होने वाले मॉड्यूल के निर्दिष्ट नहीं होने के कारण अनुमोदन सह निगरानी समिति, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया (14 जून 2006)।

इसके उपरान्त, विभाग ने, प्रस्ताव तैयार करने के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से संपर्क किया (सितम्बर 2006)। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने प्रस्ताव तैयार कर विभाग को प्रस्तुत किये (मार्च 2007) किन्तु यह एक वर्ष तक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं करने एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की अतिरिक्त मांग के कारण दो से अधिक वर्षों के लिये कृषि विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के मध्य विचार विमर्श के लिये पड़ा रहा। इसी बीच परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 30 जून 2006 को जारी ₹ 5 लाख की स्वीकृति की वैधता अवधि व्यपगत हो गयी, जो जनवरी 2009 में नवीनीकृत की गयी।

अंततः राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये मैसर्स इनफोगेन को ₹ 4.32 लाख का कार्य आदेश जारी किया (जुलाई 2009), जो विभाग को नवम्बर 2009 में प्रस्तुत किया गया।

विभाग ने ₹ 7.95 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये (नवम्बर 2009)। भारत सरकार ने ₹ 2.35 करोड़² की राशि की गतिविधियों को अस्वीकृत करते हुए ₹ 5.60 करोड़ के प्रस्ताव अनुमोदित किये (16 दिसम्बर 2009)।

योजना को लागू करने की दिशा में विभाग का रूख उदासीन रहा जैसा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण द्वारा ऊपर तालिका में दर्शाया गया है। इससे प्रकट होता है कि भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने में साढ़े चार वर्ष लगे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (जनवरी 2014) कि राजकॉम्प एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की किसी भी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में, विभाग ने परियोजना प्रस्ताव अपने स्तर पर तैयार किये।

2. हैण्ड हैण्डलिंग लागत (₹ 1.09 करोड़), विविध व्यय (₹ 0.10 करोड़), स्थान की तैयारी (₹ 0.73 करोड़), विभिन्न कार्यालयों को लेपटाप (₹ 0.38 करोड़), सेमीनारों, कार्यशालाओं (₹ 0.05 करोड़)।

उत्तर सही नहीं है चूंकि प्रस्ताव को तैयार कर भारत सरकार को भेजने के लिये विभाग द्वारा नियत समयावधि के दौरान अन्य विकल्पों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

परियोजना के कार्यान्वयन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में असाधारण विलम्ब

भारत सरकार के अनुमोदन (दिसम्बर 2009) के सात माह बाद, विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से परियोजना के क्रियान्वयन के लिये उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया (जुलाई 2010)। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने कार्य हेतु एक दृष्टिपत्र प्रस्तुत किया (जुलाई 2010) एवं विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को परियोजना को लागू करने का अनुमोदन अक्टूबर 2010 में जारी कर निर्देशित किया कि वे दिसम्बर 2010 तक सॉफ्टवेयर तैयार करें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने 'प्रस्ताव के लिये निवेदन' निविदा प्रपत्रों को तैयार करने के प्रस्तावों पर विचार करके बताया (28 जनवरी 2011) कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (इनफोगेन) द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्ताव के लिये निवेदन तैयार करने के लिये एप्लीकेशन विकास और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तैनाती के दायरे को आवरित नहीं किया है। हार्डवेयर की आवश्यकता भी एप्लीकेशन की आवश्यकता के साथ मापित नहीं की गयी तथा हार्डवेयर की लागत भी उचित नहीं थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को पुनः तैयार कराने हेतु विभाग फरवरी 2011 में सहमत हुआ तथा तदनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, एक सलाहकार एजेंसी, को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के पुनः तैयार कराने हेतु एक कार्य आदेश जारी किया (28 फरवरी 2011)।

तथापि, उपर्युक्त निर्णय के विपरीत विभाग ने अन्य राज्यों के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एप्लीकेशन को उनकी आवश्यकतानुसार अनुरूपण करने के बाद कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को आवंटित किया (जुलाई 2011) एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को सूचित किया कि सलाहकार (प्राइस वाटरहाउस कूपर्स) की सेवाओं की और आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में विभाग ने दो वर्ष (नवम्बर 2009 से अगस्त 2011) व्यतीत कर दिए। यद्यपि, यह दृष्टिगत हुआ कि अनुबन्ध सम्पादित किए बिना विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को कुल लागत ₹ 4.05 करोड़ के समक्ष ₹ 2.49 करोड़ का अग्रिम भुगतान कर दिया (मार्च 2012)। कार्य, जो कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व पूर्ण करना निर्धारित था, पूर्ण नहीं हुआ (मार्च 2013)।

विभाग ने बताया (जून 2013) कि सलाहकार की धीमी प्रगति के कारण परियोजना कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को आवंटित किया गया तथा पोर्टल

सक्रिय नहीं किया जा सका क्योंकि सभी एप्लीकेशनस् पूरी होने के लिए अभी भी प्रक्रियाधीन थी। विभाग ने आगे सूचित किया (जून 2013) कि आठ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनस्³ अप्रैल 2014 तक पूर्ण हो जायेंगे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2014) एवं बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार का एक उपक्रम है एवं भारत सरकार ने राज्य में कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना के कार्यान्वयन करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को अनुमोदन प्रदान किया।

3.1.1.3 अनुदानों का अनुपयोजन

योजना के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार ने 17 फरवरी 2010 को ₹ 5.60 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के सुदृढीकरण हेतु ₹ 5.11 करोड़ की अतिरिक्त निधियाँ स्वीकृत की गई, जिसके समक्ष 30 मार्च 2011 को ₹ 1.78 करोड़ जारी किये। विभाग ने 2010-13 के दौरान इन निधियों पर ₹ 0.12 करोड़ का ब्याज भी अर्जित किया। इस प्रकार, विभाग के पास कुल ₹ 7.50 करोड़ की निधि उपलब्ध थी।

● 700 सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में नेटवर्किंग/ब्रॉडबैंड सम्बन्ध तथा 463 सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापना के लिये मार्च 2011 में जारी ₹ 1.78 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान को उपयोग में नहीं लिया गया, जिसके कारण शेष अनुदान ₹ 3.33 करोड़ जारी नहीं हुए। इससे राज्य इस योजना के लिये बुनियादी ढांचे के विकास के अनुदान के लाभ से वंचित रहा। अनुदान के अनुपयोजन के कारणों को विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (जनवरी 2014)।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में सरकारी भवन, विद्युत कनेक्शन एवं सुरक्षा व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण 463 सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित करने से पहले बुनियादी ढांचा निर्मित करना चाहिए था।

3. मासिक प्रगति प्रतिवेदन; बजट; उर्वरकों की मांग, आपूर्ति एवं अनुश्रवण; बीज की मांग तथा उपलब्धता का अनुश्रवण; बोंने की साप्ताहिक सूचना, मौसम, कीटनाशक प्रबन्धन; मृदा जांच कार्यक्रम का अनुश्रवण, पी आई एस एवं कृषि उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण की गुणवत्ता का अनुश्रवण।

विभाग ने हार्डवेयर की खरीद और प्रशिक्षण पर 2010-11 के दौरान ₹ 2.31 करोड़⁴ का व्यय किया एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को ₹ 2.49 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया (मार्च 2012)। 2011-13 के दौरान अन्य कोई गतिविधि नहीं की गई। विभाग ने बताया (जून 2013) कि क्रियान्वयन में विलम्ब अनुदान देरी से प्राप्त होने से हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजना 16 दिसम्बर 2009 को अनुमोदित हो गई थी लेकिन विभाग ने 4 फरवरी 2010 को अनुदान के लिये आवेदन किया। भारत सरकार द्वारा अनुदान 17 फरवरी 2010 को स्वीकृत किया गया और अनुदान प्राप्ति में देरी नहीं हुई थी।

3.1.1.4 परिहार्य व्यय

कम्प्यूटरों की समय से पहले खरीद

विभाग ने ₹ 5.60 करोड़ के अनुदान के विरुद्ध हार्डवेयर उपकरणों (456 कम्प्यूटर, 471 प्रिन्टर⁵ एवं 441 यूपीएस) के प्रापण पर 2010-11 के दौरान ₹ 2.27 करोड़ व्यय किये।

सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एवं बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं होने के कारण उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सका एवं अन्य कार्यालयों को विपथन करना पड़ा, हालांकि इस तरह का विपथन योजना के तहत प्रदत्त नहीं था। 9 जिलों की 106 इकाईयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 30 कम्प्यूटर, जिन्हें आवंटित करने थे (परिशिष्ट 3.1), के अलावा अन्य कार्यालयों को विपथित कर दिये गये एवं 10 अप्रयुक्त पड़े रहे। चार कम्प्यूटर सेट⁶ डिब्बाबन्द पाये गये और चार सेट⁷ उनके पूर्ववर्तियों द्वारा वर्तमान पदाधिकारियों को नहीं सौंपे गये और 58 सेट कार्यालय का नियमित कार्य करने के लिये अधिकारियों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे थे।

निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि भवन की कमजोर स्थिति, कार्यालय की अनुपलब्धता, विद्युत कनेक्शन का अभाव, सुरक्षा मापदण्डों की कमी तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव एवं खाली पदों का रहना आदि कम्प्यूटरों के अनुपयोग या विपथन के कुछ कारण थे। किसानों को कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क सेवाएँ प्रदान करने के लिये आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सुनिश्चित किये बिना ₹ 2.27 करोड़ के हार्डवेयर की समय से पूर्व खरीद, पुराने मॉडल्स के मूल्यों में भारी कटौती एवं अप्रचलन की उच्च दर को दृष्टिगत रखते हुए अनुत्पादक साबित हुई।

4. हार्डवेयर क्रय ₹ 2.27 करोड़ एवं राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर को कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये अन्तरित किये गये ₹ 0.04 करोड़।
5. प्रदायक ने क्रय के विरुद्ध 30 प्रिन्टर निशुल्क उपलब्ध कराये।
6. सहायक निदेशक- झालावाड़, सहायक कृषि अधिकारी फतेहपुर, बांदाकुई, नादौती।
7. सहायक कृषि अधिकारी-बड़ीसादड़ी, सपोटरा, महुआ, गंगरार।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा एवं बताया (जनवरी 2014) कि विभाग द्वारा ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत नाबार्ड के सहयोग से प्रथम चरण में 248 पंचायत समितियों पर किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण होने की सम्भावना है। इन केन्द्रों पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से मूल आधारभूत संरचना स्थापित करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर के अभाव में कम्प्यूटर हार्डवेयर का उपयोग, योजना हेतु नहीं किया जा रहा था।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड एप्लीकेशन पर परिहार्य व्यय

कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना को लागू करने के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड एप्लीकेशन की लागत सहित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को ₹ 2.49 करोड़ के अग्रिम का भुगतान मार्च 2012 में किया गया। यह दृष्टिगत हुआ कि विभाग द्वारा "ऑन लाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड" नाम की एक पृथक परियोजना भी मई 2012 में स्वीकृत की गई एवं इससे ₹ 6.30 लाख का व्यय किया। यह कार्य पहले से ही कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क योजना में सम्मिलित था, इस प्रकार दो भिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में कार्य की समान मद पर ₹ 6.30 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा एवं बताया (जनवरी 2014) कि एग्रीसनेट परियोजना हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा और भी सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने हैं अतः राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा ऐसे अन्य सॉफ्टवेयर विकसित करने पर राशि ₹ 6.30 लाख का समायोजन कर लिया जावेगा।

3.1.1.5 विवेचित घटकों को आवरित नहीं किया जाना

'किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों' की स्थापना का अभाव

कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना का आधारभूत ढांचा विकसित करने एवं योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की निधियों से किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्र स्थापित किए जाने थे।

विभाग ने किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों की स्थापना के लिये सुरक्षित भवन, स्थल का विकास एवं आवश्यकतानुरूप किराये का भवन या मौजूदा सरकारी भवन के नवीनीकरण की व्यवस्था 15 मई 2010 तक करने के निर्देश जारी किये (अप्रैल 2010)।

यह दृष्टिगत हुआ कि उप निदेशक, कृषि, दौसा एवं सीकर ने भवन, कम्प्यूटर टेबल, टोनर एवं विद्युत इत्यादि पर व्यय हेतु आयुक्त, कृषि को प्रस्ताव प्रस्तुत

किये (8 जुलाई 2010 एवं 2 दिसम्बर 2010) किन्तु प्रधान कार्यालय से कोई बजट जारी नहीं किया गया। सहायक निदेशक, हिण्डौन सिटी, करौली ने निधि जारी करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये। उप निदेशक, कृषि (विस्तार), बीकानेर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके। यह पुष्टि हुई (मई 2013) कि कार्यालय भवन, विद्युत कनेक्शन एवं कम्प्यूटर की सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी जो दर्शाता है कि किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों के लिये आधारभूत ढांचा विकसित नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग, परियोजना के कार्यान्वयन के लिये तैयार नहीं था। बजट के अधीन निधियां उपलब्ध नहीं कराने के कारण, प्रस्तुत नहीं किये गये (जून 2013)।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि 2010-11 में प्रति कार्यालय ₹ 10 हजार की दर से 250 सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों हेतु ₹ 25 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी, ताकि इन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण कर कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना को प्रारम्भिक तौर पर शुरू किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2011-12 में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में 249 पंचायत समितियों एवं 3000 ग्राम पंचायतों हेतु किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है लेकिन इन कार्यालयों हेतु अलग से बजट उपलब्ध नहीं कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद भी अनुच्छेद में वर्णित कार्यालयों को बजट स्वीकृत नहीं किया जैसा कि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया।

अपर्याप्त क्षमता निर्माण

कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क के लिये ₹ 5.60 करोड़ के अनुदान में (फरवरी 2010) क्षमता निर्माण के अन्तर्गत दो चरणों में प्रशिक्षण के लिये ₹ 0.68 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित था। ₹ 15,000 प्रत्येक की दर से 456 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम चरण में कम्प्यूटर जागरूकता (कम्प्यूटर का परिचय, विण्डो, संचालन, ई-मेल, एमएस आफिस, मूल बातें इत्यादि) तथा द्वितीय चरण में रिलेशनल डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली एवं एप्लीकेशनल सॉफ्टवेयर (कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क पोर्टल) का प्रशिक्षण दिया जाना था। इस प्रयोजनार्थ ₹ 4 लाख का अग्रिम, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा को स्वीकृत किया गया। यद्यपि यह विदित हुआ कि ₹ 29.40 लाख के विरुद्ध ₹ 3.05 लाख का व्यय कर केवल 196 सहायक कृषि अधिकारियों को प्रत्येक पांच दिन के 10 कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार, 260 कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं देते हुए प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय मात्र ₹ 1,556 किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा एवं सूचित किया (जनवरी 2014) कि सॉफ्टवेयर विकसित करने के बाद ₹ 0.68 करोड़ के प्रावधान में से बची हुई राशि का

उपयोग मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सहायक कार्यालयों के सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु किया जा सकेगा।

3.1.1.6 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का अभाव

विभाग ने कार्य के अनुश्रवण के लिये जैसा कि दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है, राज्य स्तरीय संचालन समिति, परियोजना कार्यान्वयन समिति, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति एवं जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति इत्यादि का गठन नहीं किया। अनुमोदन-सह-निगरानी समिति के दिशा-निर्देशानुसार (मई 2005) राज्य सरकार ने भारत सरकार को मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं की।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना के लिये कम्प्यूटर कक्ष के संचालन हेतु विभाग में कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत केवल प्रोजेक्ट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम एवं ई-शासन कक्ष का गठन (मार्च 2012) मिशन लीडर के अधीन किया गया एवं इस परियोजना से सम्बन्धित प्राप्ति एवं व्यय की सूचना समय-समय पर भारत सरकार को भेजी गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक समितियों का गठन नहीं किया था एवं भेजी गयी सूचना तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, मासिक प्रगति प्रतिवेदन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके।

इस प्रकार, परियोजना, जो कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (मार्च 2007) पूरा करने के लिये नियोजित की गयी थी, दिसम्बर 2009 में ही भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये अनुमोदित की थी। धीमी प्रगति एवं कमजोर निगरानी के कारण परियोजना असफल रही तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्राप्त लाभों से कृषकों को वंचित किया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.1.2 ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त निधियों का अनाधिकृत उपयोग

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके नगर निगम क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर ₹ 2.75 करोड़ की ग्रामीण सड़क निधियों का अनाधिकृत उपयोग।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उपलब्ध निधि को केवल ग्रामीण सड़कों और पुलों के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

कोटा उत्तर और दक्षिण निर्वाचन क्षेत्रों में 12 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 4.00 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदान की गयी (सितम्बर 2011)।

अधीक्षण अभियन्ता वृत्त कोटा/अधिशिषी अभियन्ता, नगर खण्ड, कोटा ने कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी की (सितम्बर 2011) और अधिशिषी अभियन्ता, नगर खण्ड, कोटा ने पैकेज आरजे-23-09 के लिए ₹ 1.68 करोड़ का मैसर्स अमृत कन्सल्टेशन और पैकेज आरजे-23-10 के लिए ₹ 1.52 करोड़ का मैसर्स परेटा एसोसिएट्स के पक्ष में कार्यदेश जारी किया (22 सितम्बर 2011) और कार्य पूरा करने की तारीख 29 फरवरी 2012 निर्धारित की गयी थी। निर्माण कार्य प्रगति में थे और मार्च 2013 तक कुल व्यय ₹ 2.75 करोड़ (पैकेज आरजे-23-09 पर ₹ 1.40 करोड़ और पैकेज आरजे-23-10 पर ₹ 1.35 करोड़) उपगत हुआ।

नगरखण्ड, कोटा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया (अप्रैल 2012) कि कोटा नगर निगम क्षेत्रों की इन सभी सड़कों के निर्माण में ग्रामीण आधारभूत विकास निधियों का उपयोग किया गया जो उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार केवल ग्रामीण सड़क और पुल के निर्माण के लिए थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2013) कि ये सड़के कोटा नगर निगम की नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत थी लेकिन इन सड़कों की स्थिति ग्रामीण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोटा नगर निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में निर्मित सड़के नगरपालिका सीमा के भीतर थी। इसलिए, इन सड़कों के निर्माण के लिये ग्रामीण आधारभूत विकास निधि की निधियों का उपयोग कर ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

3.1.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से अनाधिकृत भुगतान

रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से अनाधिकृत भुगतान ₹ 1.64 करोड़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों का पैरा 11.1 निर्धारित करता है कि राज्य तकनीकी एजेन्सी द्वारा जांच की गई व ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई सभी परियोजनाओं की उसी क्रम में निविदा की जाएगी एवम्

8. पैकेज आरजे-23-09 में चार सड़के: बड़गांव से गोवर्धनपुरा, एनएच-76 रेलवे क्रॉसिंग से एनएच-12 नहर के साथ-साथ, बलिता से धन धन सतगुरू आश्रम, बलिता से गिरधरपुरा। पैकेज आरजे 23-10 में आठ सड़के: मिसिंग लिंक घोड़ा बस्ती, मिसिंग लिंक श्रीनाथपुरम, मिसिंग लिंक बालाकुंड सड़क, मिसिंग लिंक संतोषी नगर, लिंक सड़क महावीर नगर, लिंक सड़क तलवंडी, लिंक सड़क शिवपुरा, लिंक सड़क दीन दयाल नगर।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज संख्या आरजे-बीएन-11-05 के अन्तर्गत चार सड़कों की ₹ 1.76 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तावों की राज्य तकनीकी एजेन्सी द्वारा जांच करने व भारत सरकार द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात् प्रदान की गयी (अप्रैल 2006)। मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ने संवेदक मैसर्स ओम कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में 'जी' अनुसूची से 22.83 प्रतिशत ऊपर कुल ₹ 2.33 करोड़ ('जी' अनुसूची राशि ₹ 1.83 करोड़ थी) पांच वर्षों के संधारण शुल्क ₹ 0.8 करोड़ के साथ अनुमोदित की (नवम्बर 2006)। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, चुरू ने कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण करने की तिथि क्रमशः 1 जनवरी 2007 और 30 सितम्बर 2007 के साथ कार्यादेश ₹ 2.33 करोड़ जारी किया (दिसम्बर 2006)। सभी सड़कों के कार्य जून 2009 में पूर्ण हुए और नवम्बर 2012 में संवेदक को अन्तिम भुगतान ₹ 2.04 करोड़ का किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, चुरू के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (मार्च 2012) कि उपरोक्त पैकेज में सम्मिलित एक सड़क 'एनएच 65 किमी 80/0 से जयपुरिया खालसा', जो रेलवे ट्रेक से गुजर रही थी, पर रेलवे द्वारा 'सी' श्रेणी का मानव युक्त रेलवे क्रोसिंग¹⁰ का निर्माण किया गया। विभाग ने रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधि से ₹ 1.64 करोड़ दिये (नवम्बर 2008 व जनवरी 2010) जिसमें कार्य की लागत, 30 वर्षों के लिए गेटमेंट की मजदूरी, उपभोगीय सामग्री और 30 वर्षों के लिए रखरखाव शुल्क शामिल था। यह भी पाया कि सड़को के लिए प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जो राज्य तकनीकी एजेन्सी द्वारा अनुमोदित था, में रेलवे क्रोसिंग और रेलवे को भुगतान करने का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करके रेलवे को राशि ₹ 1.64 करोड़ का भुगतान किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता, चुरू ने कहा (मार्च 2012) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रेलवे क्रोसिंग का प्रावधान शामिल किया गया था लेकिन राज्य तकनीकी एजेन्सी ने उसको अनुमोदित नहीं किया। राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना निधि से भुगतान की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् की गयी। उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि रेलवे को किया गया भुगतान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत व अनाधिकृत था।

9. बैरासर बाड़ा से कानावासी, एनएच-65 से झांवर, नूहड़ से बास मामराज, एनएच 65 किमी 80/0 से जयपुरिया खालसा।

10. मानव नियंत्रित पूरी चौड़ाई की लिफ्ट बेरियर/यांत्रिक पूरी चौड़ाई की स्विंगिंग बेरियर।

इस प्रकार, रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना निधि से किये गये अनाधिकृत भुगतान ₹ 1.64 करोड़ को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के खाते में वापस किया जाना आवश्यक था।

3.1.4 सड़क निर्माण कार्यों पर अनाधिकृत व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों व ग्रामीण सड़क नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना के अभाव में सड़क निर्माण कार्यों पर राशि ₹ 1.28 करोड़ का अनाधिकृत व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 8.5(ii) के अनुसार नये निर्माण में 500 से कम आबादी की बस्तियों को जोड़ने, जहां अनुमानित यातायात विकास बहुत कम हो, सड़क की चौड़ाई 3 मीटर तक सीमित होगी। आगे, ग्रामीण सड़क नियमावली के क्लाज 2.6.4 के अनुसार, जहां यातायात घनत्व 100 मोटर वाहन प्रतिदिन से कम है और जहां सड़क बन्द होने, कम बस्ती व कम भू-भाग होने की वजह से यातायात वृद्धि की संभावना नहीं है, वहां ग्रामीण सड़क के परिवहन मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर तक ही सीमित की जावेगी।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, जालौर जिले में 3.75 मीटर चौड़ाई में 16 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण (65.32 किमी) हेतु राशि ₹ 9.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जुलाई 2007 व फरवरी 2008 में जारी की (परिशिष्ट 3.2)। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जालौर व अधिशाषी अभियंता जालौर, भीनमाल और सांचौर द्वारा जुलाई 2007 व फरवरी 2008 में राशि ₹ 8.92 करोड़ की जारी की गयी। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जालौर, सांचौर और भीनमाल द्वारा अक्टूबर-नवम्बर 2007 और मई-जून 2008 में विभिन्न संवेदकों को कार्यों का आवंटन किया गया। संवेदकों द्वारा मई 2011 तक ₹ 8.71 करोड़ का कार्य किया।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त जालौर के अभिलेखों की जांच में पाया गया (मई 2011) कि उक्त सड़कों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, बस्तियों की आबादी 500 से कम थी और यातायात का घनत्व 100 मोटर वाहन प्रतिदिन से कम अर्थात् 16 से 40 के मध्य ही था। इन सभी शर्तों के आधार पर 3 मीटर चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया जाना चाहिए था लेकिन राज्य तकनीकी संस्था द्वारा अनुमोदित सड़कों पर 3.75 मीटर चौड़ाई में कार्य निष्पादित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ (परिशिष्ट 3.3) का अनाधिकृत व्यय किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2013) कि भविष्य में यातायात घनत्व 100 मोटर वाहन प्रतिदिन से अधिक होने की संभावना को देखते हुए सड़क कार्यों

को 3.75 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित किया गया और उसी के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी अनुमानों को स्वीकृत किया गया। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि सड़क कार्यों के प्रस्ताव तैयार करते समय यातायात घनत्व 16 और 40 के मध्य था और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित 6 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि दर के आधार पर दस वर्ष की डिजाईन अवधि के बाद भी 30 से 76 के मध्य रहेगा। निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ।

3.1.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निधियों का अनियमित उपयोग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निधियां ₹ 9.74 करोड़ का अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित उपयोग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 11.5 के अनुसार किसी पैकेज के अंतर्गत 10 प्रतिशत तक आधिक्य/बचत को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेन्सी को सूचित करते हुए समायोजित किया जा सकता है। यद्यपि, अन्य मामलों में कार्य के क्षेत्र या मात्रा में प्रभावी परिवर्तन के मामलों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेन्सी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। राजस्थान सार्वजनिक निर्माण वित्तीय व लेखा नियम के नियम 286(2) में यह व्यवस्था है कि जहां मूल प्रस्तावों में तात्त्विक विचलन होता है, चाहे उसकी लागत, अन्य मदों पर होने वाली बचत के द्वारा पूर्ति किया जाना संभव हो, लागत स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। आगे, नियम 352 में व्यवस्था है कि किसी निश्चित परियोजना के लिए स्वीकृत अनुमान पर कोई प्रत्याशित या वास्तविक बचतें, विशेष प्राधिकार के बिना, ऐसे अतिरिक्त कार्य को करने में नहीं लगायी जानी चाहिए जो मूल परियोजना में नहीं बताया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अनुमोदन (जुलाई 2007) के अनुरूप, उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा श्रीगंगानगर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के उन्नयन हेतु जुलाई 2007 में चार पैकेजों¹¹ के अन्तर्गत ₹ 14.68 करोड़ तथा फरवरी 2009 में 10 पैकेजों¹² के अन्तर्गत ₹ 31.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर संभाग द्वारा कार्यों की निविदा स्वीकृति के बाद अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर द्वारा चार पैकेजों के लिए सितम्बर 2007 में व शेष 10 पैकेजों के लिए मई से दिसम्बर 2009 के दौरान कार्यदिश जारी किये गये। सड़क उन्नयन से संबंधित

11. बी एन यू जी- 03,04,06,07।

12. बी एन यू जी- 23,24,26,29,30,33,36,38,45 व 46।

सभी कार्य अप्रैल 2008 व मई 2010 के मध्य ₹ 31.22 करोड़ का व्यय कर पूर्ण कर लिए गये।

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त श्रीगंगानगर के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2012) में पाया गया कि 14 पैकेजों में 13.32 व 45.61 प्रतिशत के बीच बचत हुयी। आगे, लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए बिना अतिरिक्त कार्यों और इन 14 पैकेजों में नये कार्यों की लागत को शामिल करते हुए नये कार्यदेश जारी किये गये (अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010) और राशि ₹ 6.67 करोड़ का व्यय किया गया।

इसी प्रकार, अन्य मामले में, भारत सरकार द्वारा जारी अनुमोदन (अक्टूबर 2009) के अनुरूप, उपसचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अजमेर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पांच पैकेजों यथा आरजे 01-बी एन यू जी-08 से 12 के अंतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु ₹ 18.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, संभाग, अजमेर द्वारा कार्यों की निविदा स्वीकृति के बाद अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड ब्यावर व जिला खण्ड, अजमेर द्वारा अप्रैल 2010 में कार्यदेश जारी किये गये। पैकेज सं. आर जे 01-बीएनयूजी-12 को छोड़कर सभी पैकेजों का कार्य ₹ 12.31 करोड़ का व्यय कर पूर्ण कर लिया गया। (दिसम्बर 2010 से अक्टूबर 2011)

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2012) में पाया गया कि सभी पांच पैकेजों में 26 व 51 प्रतिशत के बीच बचत होगी। आगे, लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना अतिरिक्त कार्यों और इन पांच पैकेजों में नये कार्यों की लागत को शामिल करते हुए नये कार्यदेश जारी किये गये (अक्टूबर 2010) और जनवरी 2013 तक ₹ 3.07 करोड़ का व्यय किया गया।

उक्त दोनों मामलों में तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून-जुलाई 2013) कि अतिरिक्त कार्य, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों की बचत का उपयोग करने हेतु जारी आदेशों की अनुपालना में निष्पादित किये गये व अतिरिक्त कार्यों सहित कुल व्यय, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा में था। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

इस प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अतिरिक्त मदों के कार्य के लिए ₹ 9.74 करोड़ बचत का उपयोग प्रधानमंत्री

ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधान और सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियमों के विपरीत था।

3.2 औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.2.1 सड़क सुधार पर अन्यायोचित व्यय

राष्ट्रीय राजमार्ग 11-ए विस्तार (दौसा-लालसोट-कौथून सड़क) के किमी 4/0 और 22/0 के बीच सतह सुधार पर ₹ 1.81 करोड़ का अन्यायोचित व्यय

भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा वर्ष 2001 में (आई.आर.सी. 37-2001) सिफारिश की गयी थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु पेवमेंट सतह का डिजाइन 15 वर्षों की जीवन अवधि के लिए क्रस्ट की केलिफोर्निया बियरिंग रेश्यों वेल्यू¹³ व मिलियन स्टेण्डर्ड एक्सल¹⁴ के मद्देनजर किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग 11-ए विस्तार (दौसा-लालसोट-कौथून सड़क) के किमी 4/0 से 22/0 में क्रस्ट पूर्णतः टूटने के कारण वर्तमान सतह में सुधार हेतु मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान ने भारत सरकार के सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्रालय को ₹ 6.37 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये (जुलाई 2009)। प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् सड़क यातायात व उच्च मार्ग मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2009 में ₹ 6.10 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की। कार्य, राशि ₹ 4.23 करोड़ पर मैसर्स राजेन्द्र सिंह भामू के पक्ष में आवंटित किया गया (फरवरी 2010)। कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि दिनांक 3 नवम्बर 2010 थी। कार्य 22 जनवरी 2011 तक ₹ 4.37 करोड़ का व्यय कर पूर्ण किया गया।

अधिशाषी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड प्रथम, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (मार्च 2012) कि राजमार्ग की उक्त स्ट्रेच में क्रस्ट की केलिफोर्निया बियरिंग रेश्यों वेल्यू 6 प्रतिशत थी और व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन पर आधारित मिलियन स्टेण्डर्ड एक्सल के रूप में डिजाइन यातायात 69 था। यदि मिलियन स्टेण्डर्ड एक्सल निम्न स्तर 50 पर लिया जाता तो पेवमेंट का

13. केलिफोर्निया बियरिंग रेश्यों (सीबीआर) सड़क सबग्रेड और बेस कोर्स की यांत्रिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए क्षेत्र बेधन परीक्षण है।

14. यातायात डिजाइन की इकाई है जिसके आधार पर सड़क के फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइन की जाती है।

बिटुमन सरफेस 165 एमएम लिया जाता। जबकि विभाग द्वारा 20 एमएम का बिटुमन सरफेस लेकर कार्य निष्पादित कराया गया जिस पर ₹ 1.81 करोड़ व्यय उपगत हुआ। चूँकि बिटुमन सरफेस की गलत मोटाई लिये जाने के कारण सड़क, यातायात तीव्रता को सहन नहीं कर सकी और दो वर्ष की अवधि में ही टूट गयी। पेवमेंट की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा इस स्ट्रेच की राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु पुनः प्रस्ताव भेजे गये, जो कि 100 एमएम बिटुमिन्स सरफेस स्वीकार करते हुए ₹ 9.92 करोड़ के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये (दिसम्बर 2012)। कार्य प्रगति पर था (मई 2013)। इस प्रकार 20 एमएम बिटुमिन्स सरफेस का निष्पादन तकनीकी रूप से न्यायोचित नहीं था और इस पर किया गया ₹ 1.81 करोड़ का व्यय अन्यायोचित एवं निरर्थक था।

राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र (सितम्बर 2002) के आधार पर 20 एमएम बिटुमिन्स सरफेस के प्रावधान लिये गये। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि परिपत्र जहां वर्तमान क्रस्ट असफल नहीं हुई थी, वहीं लागू था जबकि इस मामले में क्रस्ट पूरी तरह से असफल हो चुकी थी।

सहकारिता विभाग

3.2.2 परिहार्य हानि

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय एवं भण्डारण सुविधा की उपयुक्त आयोजना के अभाव में, लहसुन का नीचे गिरे मूल्यों पर निस्तारण के लिए विभाग की बाध्यता के परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की हानि।

भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राज्य सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत उपजकर्ता को बदहवास बेचान से बचाने हेतु 2011-12 की फसल ऋतु के लिए लहसुन की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (जून 2012)। योजना में उचित स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए ₹ 425 प्रति क्विण्टल ऊपरीव्यय के साथ ₹ 1,700 प्रति क्विण्टल की बाजार हस्तक्षेप कीमत या वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, पर राज्य सरकार द्वारा तय, राज्य के विभिन्न केन्द्रों/क्षेत्रों पर सहकारी संस्थाओं, किसान संगठनों या सीधे वास्तविक किसानों से खरीदना परिकल्पित था। खरीदे गये भण्डार का निस्तारण, अधिकतम वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये जाने हेतु, प्रक्रिया इकाइयों को (राज्य के अन्दर) या स्थानीय बाजार के माध्यम से खुले बाजार में विक्रय द्वारा किया जाना था।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, राज्य सरकार ने कोटा एवं जोधपुर जिलों में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ (राजफेड) तथा झालावाड़, बूंदी एवं बारां जिलों में तिलम संघ के माध्यम से उचित स्वीकार्य गुणवत्ता के 30,000 एमटी लहसुन की खरीद का निर्णय किया (जून 2012)।

उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (मई 2013) कि राजफेड द्वारा 3,711.5 एमटी लहसुन (₹ 7.27 करोड़) तथा तिलम संघ द्वारा 2,569.9 एमटी लहसुन (₹ 4.67 करोड़) 6 जून और 6 जुलाई 2012 के बीच खरीदा गया। विभाग ने लहसुन के भण्डारण की व्यवस्था होने तक इसको संबंधित मण्डियों में तम्बुओं में भण्डारण करने का निर्णय लिया (7 जून 2012)। राजफेड एवं तिलम संघ ने गोदाम में भण्डारण के लिए निदेशक, उद्यान, व्यवस्थापक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, कोटा एवं कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को प्रस्ताव दिया (2 जून, 4 जून एवं 6 जून 2012) लेकिन इन सभी प्राधिकारियों ने इस शीघ्र खराब होने वाली वस्तु के लिए उपयुक्त भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया (6 जून व 7 जून 2012)। राजफेड ने विभिन्न मण्डियों/केन्द्रों में दलालों के माध्यम से प्रचलित बाजार दरों पर लहसुन की बिक्री के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नेफेड) के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया (20 जून 2012)। अतः राजफेड/नेफेड एवं तिलम संघ को दिल्ली, नीमच, जयपुर, टोंक एवं चण्डीगढ़ की मण्डियों में ₹ 5.25 एवं ₹ 11.00 प्रति किलोग्राम की दर पर लहसुन का निस्तारण करने के लिए बाध्य होना पड़ा (22 जून 2012 से 24 जुलाई 2012)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की शुद्ध हानि हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

संस्थाओं का नाम	खरीद की मात्रा (क्विंटल में)	ऊपरीव्यय सहित खरीद लागत (₹ करोड़ में)	बिक्री से प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	हानि (₹ करोड़ में)
तिलम संघ	25,699	4.67	1.98	2.69
राजफेड	37,115	7.27	2.97	4.30
योग	62,814	11.94	4.95	6.99

यह पाया गया कि मथानिया मण्डी के बाहर खरीद मूल्य ₹ 25 प्रति किलोग्राम होने के कारण राजफेड ने लहसुन खरीद के अपने प्रगति प्रतिवेदन (12 जून 2012) में मथानिया मण्डी में 'शून्य' आवक दर्शायी थी। इससे यह इंगित हुआ कि दूसरी मण्डियों में उच्च दरें उपलब्ध थी जहां स्थानीय उत्पादक अपने उत्पाद बेच रहे थे। यह, दूसरी मण्डियों, जैसे जावरा (₹ 47 तक), मन्दसौर (₹ 18 तक), रतलाम (₹ 18.50 तक), सैलाना (₹ 15 तक) एवं सुमेरपुर (₹ 25 तक) में 19 जुलाई से 23 अगस्त 2012 के दौरान प्रति किलोग्राम उपलब्ध दरों से भी सुनिश्चित होता है।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2013) कि राजस्थान राज्य भण्डारण निगम एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने में असमर्थता व्यक्त करने के उपरान्त, सम्बन्धित मण्डियों में प्रचलित बाजार दरों पर भण्डार का निस्तारण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आगे यह भी अवगत कराया गया कि जोधपुर/मथानिया क्षेत्र में उच्च दर ₹ 25 प्रति किलोग्राम इसकी गुणवत्ता अच्छी होने के कारण थी, जबकि कोटा क्षेत्र से खरीदा गया लहसुन निम्न गुणवत्ता का था।

उत्तर, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले लहसुन के भण्डारण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में विभाग की विफलता की पुष्टि करता है। इसके कारण राजफेड/नेफेड एवं तिलम संघ बहुत ही अल्प मूल्यों (₹ 5.25 से ₹ 11 प्रति किलोग्राम) पर भण्डार का निस्तारण करने को बाध्य हुए। यदि विभाग आवश्यक भण्डारण की व्यवस्था करता तो ये संस्थाएँ भण्डार को लम्बी अवधि के लिए रख पाती और अपेक्षाकृत उच्च दरों पर बिक्री द्वारा हानि को कम कर पाती।

उपयुक्त आयोजना एवं भण्डारण सुविधाओं के अभाव के कारण बढहवास बेचान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की हानि हुई।

पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग

3.2.3 जर्म प्लाज्मा स्टेशन का अद्योपयोजन

आवश्यक संख्या में सांडों के प्रापण किये बिना एवं जड़ीकृत सीमन अंश की आपूर्ति के लिए ग्राहकों की सुनिश्चितता किए बिना जर्म प्लाज्मा स्टेशन की स्थापना के परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ की लागत के संयंत्र का अद्योपयोजन।

50 सांडों से प्रतिवर्ष 10 लाख सीमन अंश उत्पादन क्षमता के साथ नारवा खिच्यान (जोधपुर) में जर्म प्लाज्मा स्टेशन की स्थापना के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर ने भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग को एक प्रस्ताव प्रेषित किया (जनवरी 2008), जिससे पश्चिमी राजस्थान में स्वदेशी पशुओं की जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत (लगभग 31 लाख) आवृत हो सके। भारत सरकार ने मवेशी एवं भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना, एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, के चरण II के अन्तर्गत परियोजना अनुमोदित की एवं ₹ 6.33 करोड़ स्वीकृत किये (अप्रैल 2008)। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ को परियोजना के निष्पादन का कार्य सौंपा गया एवं राजस्थान पशुधन विकास मण्डल को समन्वय अभिकरण बनाया गया। नये सीमन बैंक का प्रक्षेपण इसके संचालन से ही आर्थिक रूप से व्यावहारिक होना था। इसकी प्राथमिकता पशुपालन विभाग एवं राज्य में संचालित कृत्रिम

गर्भाधानों की मांग को पूरा करना था। अतिरिक्त उत्पादन की अन्य अभिकरणों, अर्थात् निजी प्रजनकों, कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों एवं नजदीकी राज्यों को आपूर्ति की जानी थी। परियोजना को स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षों में पूर्ण किया जाना था (मई 2008 से मई 2011)।

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2012) एवं आगे सूचनाओं के संग्रहण (नवम्बर 2012 एवं जनवरी 2013) में प्रकट हुआ कि राजस्थान पशुधन विकास मण्डल द्वारा राशि ₹ 6.80 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गईं (जुलाई 2008 से अप्रैल 2012) जिसके समक्ष सिविल एवं यांत्रिक कार्यों तथा उपकरणों की खरीद पर ₹ 7.28 करोड़¹⁵ का व्यय किया गया। जर्म प्लाज्मा स्टेशन का वर्ष 2012-13 के लिए निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4: जर्म प्लाज्मा स्टेशन का निष्पादन

क्र.सं.	गतिविधि	योजना के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	परियोजना को पूर्ण करना	मई 2011	अक्टूबर 2012	17 माह के विलम्ब से पूर्ण
2	सांड पालन की संख्या	50	21 ¹⁶	42
3	उत्पादन की शुरुआत	जून 2011	जून 2012	12 माह के विलम्ब से शुरुआत
4	प्रति सांड अंशों की संख्या (प्रतिमाह)	1667	692	42
5	सीमन अंशों के उत्पादन की संख्या (लाखों में)	10	1.45	14.5
6	वार्षिक योजना के लिए नियत लक्ष्य (लाखों में)	5	1.45	29
7	विक्रय का लक्ष्य (लाखों में)	1.45	0.20	14

स्रोत: विभागीय प्रलेख

उपर्युक्त तालिका स्पष्ट वर्णन करती है कि जर्म प्लाज्मा स्टेशन इसके लक्ष्यों की उपलब्धि में सफल नहीं रहा। अगस्त 2011 में केवल 21 सांडों (42 प्रतिशत) का प्रापण किया गया जबकि जून 2012 से सीमन उत्पादन प्रारम्भ किया गया। यहां भी न केवल सीमन अंशों का कम उत्पादन हुआ (71 प्रतिशत) अपितु प्रति सांड अंशों का उत्पादन भी कम हुआ (58 प्रतिशत)। 2012-13 के दौरान 20,000 अंशों का न्यून विक्रय, उत्पाद के निपटान के अपर्याप्त प्रयास को भी

15. राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा: ₹ 6.77 करोड़ एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा: ₹ 0.51 करोड़।

16. मार्च 2013 में 10 सांडों की खरीद।

दर्शाता है। इस प्रकार आवश्यक संख्या में सांडों की प्राप्ति में कमी, प्रति सांड सीमन अंश का कम उत्पादन और कम मांग की वजह से संयंत्र का उपयोग कम हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि सिविल कार्य अक्टूबर 2012 में पूर्ण किया गया था लेकिन सांडों के शोड का कार्य काफी पहले ही पूर्ण कर लिया गया था। इसलिए 21 सांड नारवा खिच्यान को स्थानान्तरित किये गये (अगस्त 2011) एवं प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। तथापि, सीमन का उत्पादन आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण खरीद के बाद जून 2012 से शुरू किया गया। जर्म प्लाज्मा स्टेशन, नारवा से सीमन अंश की मांग संभव नहीं थी जैसा कि राजस्थान पशुधन विकास मण्डल ने दिसम्बर 2012 तक पशुपालन विभाग एवं सहकारी डेयरी की जड़ीकृत सीमन अंश की आपूर्ति के लिए केवल जड़ीकृत सीमन बैक, बस्सी से करने के लिए अधिकृत किया। राजस्थान पशुधन विकास मण्डल ने जनवरी 2013 में जर्म प्लाज्मा स्टेशन को सीमन अंश आपूर्ति हेतु अनुमोदित किया। साथ ही, केन्द्रीय अनुश्रवण इकाई ने स्टेशन का मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण मई 2013 में किया, इस कारण जनवरी 2013 के बाद तक भी अंशों की आपूर्ति न्यून थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना मई 2011 तक पूर्ण की जानी थी और तुरन्त बाद उत्पादन शुरू किया जाना था। सीमन अंश के उत्पादन, सीमन अंश की आपूर्ति हेतु प्राधिकरण एवं स्टेशन के श्रेणीकरण में विलम्ब, अपर्याप्त आयोजना के परिचायक थे।

इस प्रकार, आवश्यक संख्या में सांडों के प्रापण किये बिना एवं जड़ीकृत सीमन अंश की आपूर्ति के लिए ग्राहकों की सुनिश्चितता किये बिना जर्म प्लाज्मा स्टेशन की स्थापना के परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ की लागत से स्थापित संयंत्र का अद्योपयोजन रहा।

3.2.4 नये बायपास प्रोटीन संयंत्र पर निधियों का निष्क्रिय एवं अवरूद्ध रहना।

दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी ₹ 1.31 करोड़ की लागत से स्थापित नए बायपास प्रोटीन संयंत्र पर निधियां निष्क्रिय एवं अवरूद्ध रही।

राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करने एवं इसके द्वारा दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं से शुद्ध दैनिक आय बढ़ाने की दृष्टि से पशु आहार संयंत्र, जोधपुर में एक बायपास प्रोटीन सम्पूरक संयंत्र की स्थापना के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास मण्डल, आनन्द (गुजरात) से अनुबंध निष्पादित किया (दिसम्बर 2008)। राष्ट्रीय दुग्ध विकास मण्डल ने राजस्थान सहकारी डेयरी संघ को उत्पाद के विनिर्माण के लिए अनुभव उपलब्ध

करने एवं निश्चित नियमों एवं शर्तों पर उत्पाद के विपणन का सही अधिकार प्रदान करने पर सहमति दी। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार संयंत्र की उत्पादन क्षमता 50 मैट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन थी और इसके संचालन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के दौरान इसकी क्षमता (15000 एमटी प्रतिवर्ष) का 50, 75 तथा 100 प्रतिशत उत्पादन अभिकल्पित था। तथापि, पशु आहार संयंत्र, जोधपुर द्वारा सम्भाव्य विक्रय के लिए सर्वेक्षण का आयोजन या संयंत्र के निर्विघ्न संचालन के लिए कार्य योजना नहीं बनाई गई।

संयंत्र, कुल लागत ₹ 1.31 करोड़ (सिविल एवं बिजली के कार्य: ₹ 37.78 लाख तथा मशीनरी: ₹ 93.31 लाख) पर उत्पादन के लिए अक्टूबर 2010 में स्थापित हो गया था।

राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2012) एवं संग्रहित अतिरिक्त सूचनाओं (अक्टूबर 2012 तथा मई 2013) से प्रकट हुआ कि संयंत्र की स्थापना को दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी दिसम्बर 2012 के अंत तक उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि बायपास प्रोटीन के विनिर्माण के लिए कुछ निर्णायक घटक प्राप्त करने में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा दिसम्बर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान लक्षित मात्रा 2500 एमटी (चार माह के लिए आनुपातिक) के समक्ष केवल 144 एमटी (प्रथम वर्ष की क्षमता दर का 5.76 प्रतिशत) बायपास प्रोटीन का उत्पादन कर सका। संयंत्र केवल तीन दिवस¹⁷ चला। उत्पादन प्रक्रिया की अपर्याप्त कार्य योजना एवं अनुचित अनुश्रवण के परिणामस्वरूप संयंत्र, इसके स्थापना के पश्चात् भी दो से अधिक वर्षों से असंचालित रहा तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद भी इसका उपयोग 'शून्य' के बराबर हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा खनिज मिश्रण¹⁸ एवं विटामिन 'ई' की व्यवस्था के बारे में सूचित नहीं करने के कारण बायपास प्रोटीन के उत्पादन में विलम्ब हुआ एवं यद्यपि, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा परियोजना की स्थापना के तुरन्त पश्चात् घटकों के प्रापण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, फिर भी इन मदों के लिए जारी निविदाएँ बार-बार असफल होने के कारण तीन घटकों (डी-कैल्शियम फॉस्फेट, मेग्नेशियम ऑक्साईड एवं कालसिट पाऊडर) के खनिज मिश्रण की व्यवस्था करना कठिन सिद्ध हुआ। आगे, यह बताया गया कि अब उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है और संयंत्र पूर्ण क्षमता से चलने में समय लेगा।

17. 29 दिसम्बर 2012: 63.55 एमटी; 5 फरवरी 2013: 20.00 एमटी एवं 18 फरवरी 2013: 60.50 एमटी।

18. डी-कैल्शियम फॉस्फेट, चूना पत्थर चूर्ण, मेग्नेशियम ऑक्साईड सल्फेट, फरॉस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मेगनीज सल्फेट, जिंक ऑक्साईड, कोबाल्ट सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियमथियो सल्फेट का सुत्रबद्ध संयोजन।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि महाप्रबन्धकों की समिति की बैठक (फरवरी 2011) में यह निर्णय लिया था कि यदि आवश्यक हो तो उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु खनिज मिश्रण के 1-2 ट्रक अमूल आनन्द से खरीदे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रस्ताव में यह उल्लेख था कि विभिन्न राज्यों में सात बायपास प्रोटीन संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहे थे परन्तु निविदा प्रक्रिया के लगातार असफल होने के बावजूद पशु आहार संयंत्र द्वारा खनिज मिश्रण की खरीद या अन्य राज्यों से मार्गदर्शन लेने का प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के लिए आवश्यक प्रबन्ध नहीं किया जाना कमजोर आयोजना को इंगित करता है।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का उद्देश्य संयंत्र की स्थापना के तीन वर्ष के उपरान्त भी ₹ 1.31 करोड़ व्यय करने के बावजूद प्राप्त नहीं किया जा सका।

कृषि विभाग

3.2.5 निष्फल व्यय

ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना पर ₹ 1.50 करोड़ का निष्फल व्यय।

राज्य सरकार ने बजट घोषणा (अप्रैल 2005) में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में ₹ 0.96 करोड़ की लागत की ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव किया। इसकी अनुपालना में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय के संकाय अध्यक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मई 2005) और निदेशक, उद्यान राजस्थान सरकार ने रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री के विकास हेतु ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए अनुमानित लागत ₹ 0.96 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (जुलाई 2005)। परियोजना की कार्य योजना के अनुसार, नागपुर संतरे, मौसम्बी, बांस और सफेद मूसली की प्रतिवर्ष एक लाख पौध तैयार की जानी थी तथा 2009-10 से झालावाड़ के किसानों को उपलब्ध करवानी थी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुये (मई 2007)। तदनुसार, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना के पश्चात् पाँच से छः वर्षों में पौध उपलब्ध करवायी जानी थी और कृषि विभाग (वानिकी प्रजाति) एवं उद्यान विभाग (उद्यान प्रजाति) द्वारा मांग की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2005 से फरवरी 2009 के दौरान नियन्त्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ₹ 0.96 करोड़ की निधियां निर्मोचित की गई थी। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रयोगशाला के सुदृढीकरण के लिए ₹ 0.65 करोड़ की अतिरिक्त निधियाँ भी स्वीकृत की

गयी (मार्च 2008)। इसके समक्ष ₹ 1.50 करोड़¹⁹ व्यय किए गए थे। प्रारम्भ में, वन विभाग के पुराने भवन में आवश्यक नवीनीकरण कराए जाने के पश्चात् प्रयोगशाला की स्थापना (2005-06) एवं प्रोटोकॉल के मानकीकरण का कार्य शुरू किया गया था। साथ-साथ नई प्रयोगशाला निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया और भवन की अन्तिम रूप से सुपुर्दगी जनवरी 2009 में ली गई। प्रयोगशाला को नयी ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में 2009-10 में स्थानान्तरित किया गया।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (फरवरी-मार्च 2013) कि सागवान एवं बाँस के गुणन समूह के लिए प्रोटोकॉल की स्थापना की गई और 2010-11 में बाँस के 1000 और सागवान के 800 पौधे उत्पन्न किये गये। नागपुर सन्तरे एवं मौसम्बी के प्रोटोकॉल का परिमार्जन भी 2011-12 में पूर्ण किया गया। सफेद मूसली के पौधे ऊतक प्रयोगशाला में संसाधित नहीं किये गये। पौधों का आगे उत्पादन नहीं किया गया एवं कृषि एवं उद्यान विभाग से मांग के अभाव में कृषकों को पौधों की आपूर्ति अब तक नहीं की गई (मार्च 2013)।

इस प्रकार, आठ वर्षों (2005-13) में नागपुर सन्तरे, मौसम्बी, बाँस एवं सफेद मूसली के एक लाख पौधों के वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों के समक्ष केवल 1000 बाँस के तथा 800 सागवान के पौधों का उत्पादन किया गया। कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु पौध सामग्री के विकास के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना का समझौता ज्ञापन (मई 2007) का उद्देश्य भी विफल रहा।

विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना कृषि एवं उद्यान विभाग को उनकी मांग पर रोग मुक्त पौधों के वितरण के लिए की गई थी। इस प्रकार, बाँस के 1000 पौधे तथा सागवान के 800 पौधे 2010-11 में उगाये गये लेकिन इन पौधों को, मांग के अभाव में वितरित नहीं किया जा सका। इसलिए 300 बाँस के पौधे एवं 200 सागवान के पौधे महाविद्यालय (महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) के कैम्पस में लगाये गये। विभाग ने आगे बताया कि प्रयोगशाला का उपयोग छात्रों और वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कृषि एवं उद्यान विभाग को रोगमुक्त उच्च गुणवत्ता के पौधे वितरण करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः ₹ 1.50 करोड़ का निवेश निरर्थक रहा।

प्रकरण राज्य सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया, प्रत्युत्तर अभी तक अपेक्षित है (दिसम्बर 2013)।

19. ₹ 0.85 करोड़ (सिविल कार्य, उपकरण, कांच के बर्तन और रासायनिक, हरितगृह विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर व साज-सज्जा आदि) और ₹ 0.65 करोड़ (उपकरण, रासायनिक, कांच के बर्तन एवं प्लास्टिक बर्तन, बहु कार्बनयुक्त, हरितगृह तथा जालगृह आदि)।

3.3 सतत एवं व्यापक अनियमितताएँ

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.3.1 वन भूमि के अधिग्रहण के बिना कायदेशि जारी किया जाना

वन भूमि के अन्दर से सड़क बनाने के प्रस्ताव देने तथा कायदेशि देने से ₹ 84.26 लाख का व्यय होने के बावजूद सड़क कार्य अभी भी अपूर्ण रहा।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 351 निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सौंपा नहीं गया हो। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग को निषेध करती है।

धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत कंवरपुरा से बांकेश्वर महादेव मन्दिर (2 किमी) सड़क निर्माण कार्य की उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा ₹ 1.42 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (सितम्बर 2008)। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लाखेरी ने 14 अक्टूबर 2008 को कायदेशि, संवेदक मैसर्स शिवराज के पक्ष में 'जी' अनुसूची से 21.23 प्रतिशत नीचे ₹ 92.65 लाख, जारी किया। निर्धारित तिथि 23 अप्रैल 2009 तक पूरा किया जाने वाला कार्य मार्च 2013 तक ₹ 84.26 लाख व्यय उपगत करने के बाद अधूरा पड़ा हुआ था।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, लाखेरी के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (अप्रैल 2012) कि संवेदक ने सड़क कार्य में केवल 0/000 से 1/500 किमी पूर्ण किया गया था। शेष खण्ड (1/500 से 2/000 किमी) में कार्य शुरू नहीं हो सका क्योंकि यह संरक्षण वन क्षेत्र से घिरा हुआ था और वन विभाग ने सड़क के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। विभाग ने फरवरी 2009 में वन भूमि के रूपान्तरण के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों को भेजा। प्रस्ताव अप्रैल 2012 तक प्रक्रियाधीन बने रहे। मुख्य अभियन्ता (सड़क) ने कहा (अक्टूबर 2012) कि खण्ड 1/500 से 2/000 में सड़क की आवश्यकता नहीं होने के कारण परियोजना को पूर्ण मान लिया जाये और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन भेज दिया गया। इसलिए, वन विभाग को भूमि के रूपान्तरण के लिए पहले के भेजे गये प्रस्तावों को वापिस ले लिया गया।

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा सड़क की स्वीकृति से पहले उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया और कार्य को करने से पहले भूमि के स्वामित्व को सत्यापित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पहले वन भूमि की जानकारी नहीं थी क्योंकि वन विभाग द्वारा वन भूमि का कोई सीमांकन नहीं किया गया था। यह भी कहा कि निर्मित सड़क का जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के प्रारम्भ करने से पहले भूमि का स्पष्ट स्वामित्व निश्चित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप मन्दिर को जोड़ने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि 500 मीटर की सड़क का निर्माण नहीं किया गया तथा मन्दिर तक पहुँचने के लिए तीर्थयात्रियों को पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था।

3.4 क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

कृषि विभाग

3.4.1 अनुभवजन्य अध्ययन पर निष्फल निवेश

वर्मीकल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, बायोएजेन्ट परियोजना के लिए और कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं मूल्य वर्धन पर अनुभवजन्य अध्ययन के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों पर किया गया ₹ 2.50 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुभवजन्य अध्ययन पर एक योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित थी। योजना का मुख्य प्रयोजन छात्रों को यथार्थ पर्यावरण में अनुभवजन्य खेत, नमूना पौधों एवं अभियान्त्रिकी कार्यशाला के अध्ययन में भागीदार करना था। योजना में पाठ्यक्रम के भाग के रूप में कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञान के स्नातक छात्रों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित की गई थी। पाठ्यक्रम, छात्रों के बीच उद्यमिता एवं व्यापार प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा की भावना एवं क्षमता के निर्माण लिए बनाया गया था जिससे कि वे स्वयं एवं दूसरों के लिए रोजगार सृजन करने के योग्य हो सकें। चार वर्षीय पूर्व स्नातक कार्यक्रम के तृतीय वर्ष (पांचवें एवं छठे सेमेस्टर) के दौरान प्रायोगिक प्रशिक्षण के प्रस्ताव दिये जाने थे।

अनुभवजन्य अध्ययन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 180 दिवस की अवधि के प्रत्येक अनुभवजन्य अध्ययन कार्यक्रम के लिए 20 छात्रों की सिफारिश की जानी थी। छात्रों से, उपक्रम की प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल की खरीद से लेकर उत्पादन, पैकिंग, उत्पादों का भण्डारण, उत्पादों की बिक्री, लेखों का संधारण एवं

लाभ का विश्लेषण इत्यादि तक की सम्पूर्ण योजना एवं प्रबन्धन में पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने की प्रत्याशा थी। यह विचारणीय था कि अनुभवजन्य अध्ययन कार्यक्रम बिना किसी रूकावट के 180 दिवस के लिए लगातार होना चाहिए। महाविद्यालय में सभी इकाइयों के विक्रय भाग का सीईओ द्वारा निरन्तर अनुश्रवण करना था तथा ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु महाविद्यालय में सबसे प्रमुख स्थान पर या बाजार में इसकी व्यवस्था करनी थी। विक्रय पर होने वाले लाभ को छात्रों (75 प्रतिशत), विभागों (10 प्रतिशत) एवं कार्यक्रम में शामिल संकाय सदस्य (15 प्रतिशत) में विभाजित किया जाना था। सामान्य दिशा-निर्देशों में भी निर्धारित था कि यदि इकाई में हानि होना पाया जाये तो अनुश्रवण टीम द्वारा सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिये और यदि इसे सुधारा नहीं जा सके तो इकाई को तत्काल बंद किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करना था कि स्थापित इकाईयां, उनके पूर्णतया संचालन के बाद वित्तीय रूप से लाभप्रद हो तथा अपनी परिचालन लागत निकालने में सक्षम हो।

- संकाय अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने पांच परियोजनाओं²⁰ के लिए ₹ 2.55 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये (जुलाई 2007)। इनमें से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2007-2011 की अवधि के दौरान ₹ 1.82 करोड़ की तीन परियोजनाएँ²¹ अनुमोदित की गई थी तथा निधियाँ सितम्बर 2007 में (₹ 0.50 करोड़), जनवरी 2009 में (₹ 0.80 करोड़) एवं दिसम्बर 2010 में (₹ 0.52 करोड़) इस शर्त के साथ निर्मोचित की गई थी कि योजनाओं का कार्यान्वयन क्रमशः मार्च 2008, मार्च 2009 एवं मार्च 2011 में हो जाये। कृषि महाविद्यालय द्वारा इन तीनों परियोजनाओं पर सिविल कार्य एवं उपकरणों के प्रापण पर ₹ 1.84 करोड़²² का व्यय किया गया।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2012 से जनवरी 2013) में प्रकट हुआ कि अनुभवजन्य अध्ययन परियोजना के अन्तर्गत वर्मीकम्पोस्टिंग एवं जैविक खेती तथा वर्मीकल्चर में मिट्टी के प्रबंधन में केवल 56 छात्रों (2008-09 से 2011-12) को, सूक्ष्म प्रजनन में सूक्ष्म प्रजनन तकनीक एवं टिशू कल्चर में 48 छात्रों (2010-11 से 2011-12) को तथा जैव कारक एवं एकीकृत रोग प्रबंधन में 30 छात्रों (2011-12) को प्रशिक्षण दिया गया था। 2008-13 के दौरान वर्मीकम्पोस्टिंग के अन्तर्गत, ₹ 3.77 लाख की अल्प राशि की बिक्री के सिवाय प्रशिक्षण के दौरान उत्पादन से किसी

20. फूलों एवं सब्जियों की खेती को बचाना: ₹ 0.50 करोड़; बीज उत्पादन: ₹ 0.40 करोड़; बायोएजेण्ट उत्पादन ₹ 0.45 करोड़, वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोस्टिंग: ₹ 0.40 करोड़ और गुणवत्ता, आरोग्य रक्षा संबंधी तथा पादप आरोग्य रक्षा संबंधी: ₹ 0.80 करोड़।
21. वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोस्टिंग: ₹ 0.50 करोड़, टिशू कल्चर प्रयोगशाला: ₹ 0.80 करोड़ एवं बायोएजेण्ट उत्पादन: ₹ 0.52 करोड़।
22. वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोस्टिंग 2007-08: ₹ 0.51 करोड़; ऊतक संस्कृति का सूक्ष्म फैलाव प्रयोगशाला 2008-09: ₹ 0.80 करोड़, बायोएजेण्ट समूह उत्पादन, 2010-11: ₹ 0.53 करोड़।

उत्पाद का विक्रय नहीं हुआ। सूक्ष्म प्रजनन इकाई में टिशू कल्चर तकनीक के अन्तर्गत तैयार पौधों को कठोरीकृत²³ के लिए प्रयोगशाला से हरित जाल में स्थानान्तरित नहीं किया गया, जिसके कारण पौधे नहीं बेचे जा सके। बायोएजेण्ट के अधिक उत्पादन के लिए प्रयोगशाला का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तीनों परियोजनाओं के अन्तर्गत आगे किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई।

राज्य सरकार ने स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के संबंध में बताया (सितम्बर 2013) कि अनुभवजन्य अध्ययन इकाईयों के साथ छात्रों की पूर्ण समय की भागीदारी तथा उत्पादन विकास एवं आगे बाजार में बेचे जाने के उद्देश्यों की प्राप्ति में देश के कई अन्य अनुभवजन्य अध्ययन इकाईयों में भी कठिनाई आ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सिफारिश की कि बीएससी (कृषि) के चतुर्थ वर्ष के अध्ययन कार्यक्रम को इस तरह प्रतिपादित किया जाना चाहिए कि छात्रों को एक अनुभवजन्य अध्ययन इकाई में पूर्ण सेमेस्टर (180 दिवस) के लिए कार्य के अवसर मिलें एवं स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने इन सिफारिशों को संचालन के लिये स्वीकार किया।

• इसी तरह, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग एवं मूल्य वर्धन के लिए प्रस्ताव को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया (दिसम्बर 2008) तथा अनुभवजन्य अध्ययन में भोजन प्रोसेसिंग के क्षेत्र में दस्ती प्रशिक्षण केन्द्र के प्रारम्भ करने हेतु उत्पाद (आलू, अदरक, प्याज, लहसुन आदि) के लिए भोजन की उष्मीय प्रोसेसिंग, निर्जलीकरण एवं प्रोसेसिंग तथा पैकिंग के लिए अग्रिम सुविधाओं की स्थापना के लिए राशि ₹ 80 लाख स्वीकृत किए। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने इस परियोजना पर ₹ 66.47 लाख व्यय किये एवं परियोजना मार्च 2010 में पूर्ण की गई तथा इकाई फरवरी 2011 में पूर्ण कार्यशील बनी।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (फरवरी-मार्च 2013) कि सभी आवश्यक गतिविधियों को आवृत किये बिना, दो माह की अवधि में 41 छात्रों (2010-11) एवं 33 छात्रों (2011-12) को केवल दो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिये गये। इन प्रशिक्षणों के दौरान उत्पादित उत्पादों की बिक्री भी नहीं की गई थी, जबकि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अनुभवजन्य अध्ययन परियोजना के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों (मई 2008) में उत्पादन के विक्रय मूल्य पर 15-20 प्रतिशत लाभ प्रत्याशित था।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने बताया (सितम्बर 2013) कि सामग्री थोक में नहीं खरीदी जा सकी, बायलर संचालक

23. टिशू कल्चर के कठोरीकृत में पौधों को खेतों में लगाने से पहले मिट्टी व एफवाईएम मिश्रण को पोलिथीन थैलियों में रखते हुए हरितग्रह में रखा जाता है।

के अभाव में व्यावसायिक आधार पर प्रणाली को चलाया नहीं जा सका और इकाई केवल प्रशिक्षण के परिपेक्ष्य में चलाई गई। इससे यह इंगित हुआ कि संयंत्र का उचित संचालन नहीं हो सका, प्रशिक्षण के दौरान सभी गतिविधियों का निष्पादन नहीं हो सका एवं अनुभवजन्य अध्ययन इकाईयों के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। इस प्रकार इन अनुभवजन्य अध्ययन इकाईयों पर हुआ ₹ 2.50 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2013)।

3.4.2 निष्फल व्यय

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला में जैविककारक के गुणन में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख का निष्फल व्यय

जैविक नियन्त्रण में प्राकृतिक शत्रुओं का अन्तस्त्रावि एवं लबरेज प्रवाह द्वारा इस्तेमाल करने हेतु जीवित प्राकृतिक शत्रुओं की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। पर्यावरण में प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने एवं कीटनाशकों के अवशेषों में कमी करने हेतु आवश्यकता आधारित एवं स्थान विशेष के जैविक कारकों के गुणन की आवश्यकता होती है।

अंडों के परजीवी²⁴, जैवकारकों²⁵ के गुणन एवं नाभिकीय पोलिहेन्ड्रोसिस विषाणु²⁶ की सूत्रीकरण के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन, 2008-09 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कीट विज्ञान विभाग में जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव निदेशक अनुसंधान महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से निदेशक, राजस्थान उद्यान विकास संस्था को प्रेषित किए (जुलाई 2008)। जैवकारक का संवर्धन, फसल (फलों, सब्जियों, कपास, दालें एवं अन्य) उगाने में विभिन्न परोपजीवी कीटों के प्रबन्धन में सहायता से किसानों को लाभान्वित होना वर्णित था।

निदेशक अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (फरवरी-मार्च 2013) कि राजस्थान उद्यान विकास संस्था ने जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए राजस्थान कृषि महाविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग प्रमुख को ₹ 80 लाख जारी

24. ट्राइकनोग्रामाटाइड्स एण्ड सिलियोमाईड्स से कीड़ों के अंडों की संख्या कम करना, चिलो पारटेलूस एवं प्लूटेल्ला जाईलोस्टेला के प्रबन्धन के लिए कोटेशिया फलवीपेस एवं कोटेशिया प्लूटेलिया का गुणन किया जाना था।

25. विभिन्न फसल को पारितन्त्र में परोपजीवी कीड़ों के चूषण प्रबन्धन के लिए कोसिनेलीड्स एवं एन्थोकोर्राईड्स करना

26. स्पोडोपटेरा लिटूरा एवं हेलीकवरेपा आरमीगेरा।

किये थे (मार्च 2009)। यह पाया गया कि, कीट विज्ञान विभाग प्रमुख, राजस्थान कृषि महाविद्यालय ने सिफारिश की (अप्रैल 2009) कि दो जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला पहले से मौजूद है और नई प्रयोगशाला प्रस्तावित करना इसका दोहराव होगा। जैविक नियन्त्रण परियोजना के परियोजना प्रभारियों ने उनकी बैठक (जुलाई 2009) में भी निष्कर्ष निकाला कि कीट विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि महाविद्यालय में एक प्रयोगशाला कार्यरत थी एवं माइक्रोबियल पैथोजीन के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त प्रयोगशाला स्वीकृत की जा चुकी थी (जुलाई 2008)। अतः नई प्रयोगशाला की स्थापना करने के बजाय उनकी स्थापित मौजूद/अधीन दो प्रयोगशालाओं को सुदृढीकरण करना ज्यादा अच्छा होगा। निदेशक अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सिफारिशों के बावजूद परियोजना में आगे कार्य इस तर्क के साथ किया कि मौजूदा प्रयोगशाला अंडों के पैरासाइटोईड तक सीमित था जबकि प्रस्तावित प्रयोगशाला में दूसरे जैवकारकों के साथ नाभिकीय पोलीहेन्ड्रोसिस विषाणु के उत्पादन के गुणन के लिए ध्यान रखा गया है एवं प्रयोगशाला की स्थापना पर 2009-10 से 2010-11 के दौरान ₹ 80 लाख²⁷ खर्च किये। नई स्थापित प्रयोगशाला का 2010-11 से 2012-13 के दौरान का निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	गतिविधियां	लक्ष्य (प्रति वर्ष)*	कुल उपलब्धियां		
			2010-11	2011-12	2012-13
1	अंडों का पैरासाइटोईड गुणन (अ) ट्राइक्नोग्रामाटाईड्स (ब) सिलियो नाइड्स	1,00,000 कार्ड 1,00,000 कार्ड	1000 कार्ड शून्य	1000 कार्ड शून्य	शून्य शून्य
2	मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोटेशीय, प्लूटेला फार प्लूटेला जाइलोस्टेला	50,000 प्रौढ़	20,000 प्रौढ़	20,000 प्रौढ़	शून्य
3	मल्टीप्लिकेशन आफ प्रीडेटर्स (अ) कोसिनेलीड्स (ब) एन्थोकोरॉईड्स	50,000 प्रौढ़ 1,00,000 वैयक्तिक	शून्य शून्य	शून्य शून्य	शून्य शून्य
4	नाभिकीय पोलीहेन्ड्रोसिस विषाणु का सूत्रीकरण (अ) स्पेडोपटेरा लिटूरा (ब) हेलीकवरेपा आरमीगेरा	1,000 लीटर 500 लीटर	शून्य शून्य	शून्य 20 बोतल (एक लीटर प्रति बोतल)	शून्य शून्य

स्रोत: विभागीय प्रलेख

* निदेशक अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा परियोजना प्रस्ताव जनवरी 2009 में निर्धारित

27. उपकरण: ₹ 69.96 लाख; नवीनीकरण: ₹ 4.39 लाख; फर्नीचर इत्यादि: ₹ 2.65 लाख एवं ग्लासवेयर व केमिकल्स: ₹ 3.00 लाख।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है बहुत कम उत्पादन यह साबित करता है कि विभाग, जैव कारकों के आवश्यक स्तर तक गुणन करने के उद्देश्य में पूर्णतया विफल रहा फलस्वरूप ₹ 80 लाख का व्यय निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि प्रयोगशाला का नवीनीकरण का कार्य एवं उपकरणों का क्रय 2011 में पूर्ण कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, जैव कारकों के लक्ष्यों की पूर्ति केवल कृषकों की मांग पर की जा सकती थी क्योंकि जैव कारकों को लम्बे समय के लिए भण्डार में नहीं रखा जा सकता था। इससे यह इंगित हुआ कि आवश्यक मांग विद्यमान नहीं थी। इस प्रकार, नई प्रयोगशाला की स्थापना की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जुलाई 2009 में हुई बैठक की सिफारिश के आधार पर दो विद्यमान प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/उन्नयन किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, ₹ 80 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.4.3 ब्याज और प्रोरेटा चार्जेज का परिहार्य भुगतान

भूमि के अधिग्रहण पर ब्याज तथा प्रोरेटा चार्जेज का ₹ 73 लाख का परिहार्य भुगतान

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 34 के अनुसार यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान, कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष के बाद किया जाता है, तो बकाया राशि पर उस एक वर्ष की अवधि की समाप्ति की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

अलवर-राजगढ़-महुआ-हिण्डौन-करौली-मण्डरायल सड़क (हिण्डौन बाईपास) के निर्माण के लिए, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त, सवाईमाधोपुर ने अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से भूमि अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 13 अक्टूबर 2008 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 12 के तहत ₹ 3.88 करोड़ का (₹ 1.19 करोड़ निविदा राशि का पहले से ही भुगतान किया जा चुका था तथा ₹ 2.69 करोड़ की अवार्ड राशि का भुगतान किया जाना है।) अंतिम अवार्ड पारित किया।

उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान ने ₹ 3.34 करोड़ (₹ 2.69 करोड़ अवार्ड राशि तथा ₹ 0.65 करोड़ ब्याज) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (20 दिसम्बर 2011) तथा 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः ₹ 3 करोड़ एवं ₹ 33.77 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इस स्वीकृति

को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रभारित 13 प्रतिशत प्रोरेटा चार्जेज²⁸ की राशि को शामिल करने के लिए, जनवरी 2013 में ₹ 3.77 करोड़ से पुनः संशोधित किया गया।

अधिशायी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, हिण्डौन सिटी के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया (अप्रैल 2012 और जून 2013) कि अधिशायी अभियन्ता ने भूमि की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए जनवरी 2009 में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये थे। यद्यपि राज्य सरकार ने दिसम्बर 2011 में स्वीकृति जारी की। भूमि क्षतिपूर्ति के लिए बजट आवंटन की स्वीकृति जारी करने में देरी के कारण विभाग को ब्याज भुगतान पर ₹ 8.40 लाख के प्रोरेटा चार्जेज को शामिल करते हुए ₹ 73 लाख के ब्याज की लागत को वहन करना पड़ा यदि राज्य सरकार द्वारा समय पर स्वीकृति जारी की जाती तो इसे बचाया जा सकता था।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2013) में निधियों की स्वीकृति एवं जारी करने में हुए विलम्ब के कोई विशिष्ट कारण नहीं दिये।

सामान्य

3.4.4 लेखापरीक्षा आक्षेपों का उत्तर देने का अभाव

लेखापरीक्षा, शासन की गुणवत्ता में सुधार एवं जवाबदेयता बढ़ाने में प्रबंधन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की विफलता, कमजोर शासन को इंगित करती है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327(1) के अनुसार विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि अंकेक्षण के बाद एक से तीन वर्षों के मध्य है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना, अभिलेखों की निर्धारित प्रतिधारण अवधि में करने में असफल रहने से भविष्य में उनके निपटारे की संभावना अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण क्षीण हो जाती है।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा उस पर लेखापरीक्षा की आगे की टिप्पणियों के उत्तर एक पखवाड़े में भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की

28. लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-II) का नियम 5(क) से (ड़) बताता है कि स्थापना और औजार एवं संयंत्र की लागत की वसूली, प्रतिशत दर पर (प्रोरेटा), प्रचलित व्यय के पूँजीगत वृहत शीर्ष में और समान अथवा अन्य प्रकार के अन्य विभागों के लिए किये गये कार्य के लिए खण्ड द्वारा की जावेगी।

समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय लेखापरीक्षा समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये थे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में प्रकट हुआ है कि 31 मार्च 2013 को 882 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं इससे संबंधित 3854 अनुच्छेद बकाया थे। इनमें से 64 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें शामिल 102 अनुच्छेदों का निपटान 10 वर्षों से अधिक समय में भी नहीं किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गयी अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	अनियमितता की श्रेणी	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां	92	20.62
2.	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूलियां एवं अधिक भुगतान	586	59.17
3.	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	1099	203.06
4.	परिहार्य/अधिक व्यय	496	196.10
5.	निरर्थक/निष्फल व्यय	273	250.10
6.	विनियामक प्रकरण	646	525.22
7.	निष्क्रिय निवेश/संस्थापन/निधियों का अवरोधन	100	99.32
8.	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब	18	7.62
9.	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	53	49.67
10.	विविध	491	261.06
	योग	3854	1,671.94

बकाया लेखापरीक्षा प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव तथा वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा समिति गठित की गयी थी। वित्त विभाग ने प्रत्येक वर्ष चार बैठक आयोजित करने के आदेश जारी किये (नवम्बर 2004), परन्तु वित्त विभाग के निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई तथा 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समिति की केवल एक बैठक ही आयोजित की गई। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2013) कि बकाया राशि

की वसूली एवं अधिक से अधिक संख्या में अनुच्छेदों के निपटान हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है।

लेखापरीक्षा, शासन की गुणवत्ता में सुधार एवं राजकीय व्यय में जवाबदेयता बढ़ाने में प्रबंधन की सहायक है। सरकार को मामले में ध्यान देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा आक्षेपों के शीघ्र एवं उचित उत्तर देने को सुनिश्चित करने एवं हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु कार्यविधियां स्थापित कर दी गई है।

एस. आलोक

(एस.आलोक)

महालेखाकार

जयपुर

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

दिनांक

29 अप्रैल 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक

30 अप्रैल 2014



परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.6.3; पृष्ठ 19)

परित्याग/निरस्त/शुरू नहीं की गई परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	अनुमोदन का वर्ष	जारी की गई राशि	किया गया व्यय	स्थिति	कार्यान्वयन नहीं होने के कारण
1	रोग जांच सुविधाओं एवं नियंत्रण सिस्टम का सुदृढीकरण	185.95	2008-09	0.00	0.00	निरस्त	परियोजना प्राथमिकता में नहीं थी
2	बुनियादी बहिरंग सुविधाओं, प्रशिक्षण सुविधाओं एवं पशु पोषण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण	183.50	2008-09	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	परियोजना प्राथमिकता में नहीं थी
3	नील गाय से सुरक्षा हेतु सौर बाड़ लगाने का कार्यक्रम	16.86	2011-12	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	नोडल एजेन्सी (उद्यान विभाग) द्वारा निधियों की माँग नहीं की गई
4	एस.एस.पी. को बढ़ावा देने के लिए ₹ 25 प्रति बैग प्रोत्साहन	500.00	2011-12	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	डी.ए.पी का पर्याप्त अग्रिम भण्डारण होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया
5	आई.सी.टी. आधारित किसान कॉल सेन्टर	100.00	2010-11	0.00	0.00	निरस्त	समान गतिविधि एस.एल. एस.सी. द्वारा बाद में स्वीकृत की गई
6	राजस्थान में विस्तार पद्धति का सुदृढीकरण	3,672.00	2009-10	100.00	62.55	परित्याग	कृषि स्नातकों की अनुपलब्धता
7	फलों, सब्जियों एवं फूलों के क्रय- विक्रय को बढ़ावा	1,500.00	2011-12	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	नोडल एजेन्सी (आर.एस. ए. एम. बी.) द्वारा निधियों की माँग नहीं की गई
8	मशरूम खेती, भैस की नस्ल में सुधार एवं साहिवाल पशुओं का अनुवांशिक सुधार	1,341.55	2011-12	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	कार्यान्वयन एजेन्सी (गंगमूल फाउन्डेशन, हनुमानगढ) द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव नोडल एजेन्सी (पशुपालन विभाग) के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किये
9	कृषि उपकरणों का परीक्षण	180.00	2010-11	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
10	हरा चारा खेती	7,500.00	2010-11	2,500.00	1,950.86	परित्याग	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	अनुमोदन का वर्ष	जारी की गई राशि	किया गया व्यय	स्थिति	कार्यान्वयन नहीं होने के कारण
11	सोया पनीर बनाने वाली इकाइयों की स्थापना	25.00	2010-11	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
12	मृदा की जी.पी.एस. आधारित जी.आई.एस. मैपिंग	500.00	2010-11	0.00	0.00	निरस्त	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
13	नागौर में पॉली क्लिनिक, का सुदृढीकरण	10.00	2010-11	0.00	0.00	निरस्त	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
14	दलहनों का प्रजनन अनुरक्षण	100.00	2010-11	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
15	फलियों और फलों के जैविक बीज उत्पादन में उभरती सिंचाई प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन	98.00	2011-12	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
16	अनुवांशिक शुद्धता की जांच के लिए जैव प्रौद्योगिकी तकनीक	150.00	2012-13	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
17	राजस्थान की वर्षा आधारित स्थिति के लिए उपयुक्त संकर चना में जैव तकनीक के माध्यम से जीन्स के विभिन्न वांछनीय गुण परिवर्तन के लिए चना जर्म प्लाज्म का मूल्यांकन	534.00	2010-11	0.40	0.40	परित्याग	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
18	जल संचयन संरचनाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तावित परियोजना	116.00	2010-11	0.00	0.00	प्रारम्भ नहीं	परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई थी
योग		16,712.86		2,600.40	2,013.81		

परिशिष्ट 2.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.8.2; पृष्ठ 27)

प्लास्टिक लाइन डिगियों के निर्माण पर परिहार्य व्यय

क्र. सं.	पंजीकरण क्रमांक/दिनांक	किसान का नाम	पिता/पति का नाम	चक/खसरा नम्बर	डिग्गी की क्षमता (लाख लीटर में)	डिग्गी की लागत (₹ लाखों में)	भुगतान किया गया अनुदान (₹ लाखों में)	भुगतान की दिनांक
1	317/7.6.10	अंशी देवी	प्रभु राम	79 एसडी	40.09	4.34	2.00	28-03-2011
2	304/7.6.10	गजा राम	मोती राम	41 एसएलडी	37.55	4.22	2.00	28-03-2011
3	312/7.6.10	गोविन्दा/गोमा राम	खेता राम	41 एसएलडी	37.55	4.21	2.00	28-03-2011
4	306/7.6.10	नारायण राम	जोधरा राम	41 एसएलडी	37.55	4.08	2.00	28-03-2011
5	310/7.6.10	रामू राम	ईशर राम	41 एसएलडी	37.55	4.12	2.00	28-03-2011
6	318/7.6.10	चोखा राम	जैरा राम	41 एसएलडी	37.55	4.13	2.00	28-03-2011
7	961/24.6.10	बाबू लाल	मेहा राम	30 पीडी	43.20	4.66	2.00	28-03-2011
8	777/15.6.10	भोमा राम	लिछमना राम	30 एसएलएम	78.84	8.5	2.00	28-03-2011
9	596/13.6.10	नन्द राम	हीरा राम	4बीएनजे	42.96	4.57	2.00	28-03-2011
10	598/13.6.10	गणेशा राम	खैराज राम	3 बीएनजे	38.87	4.81	2.00	28-03-2011
11	595/13.6.10	पुरखा राम	सत्ता राम	4 बीएनजे	46.87	4.88	2.00	28-03-2011
12	347/7.6.10	जियो देवी	प्रभु राम	60-61 एसएलडी	40.21	4.54	2.00	28-03-2011
13	271/7.6.10	कमला देवी	बिशाना राम	64 एसएलडी	42.06	4.57	2.00	28-03-2011

क्र. सं.	पंजीकरण क्रमांक/दिनांक	किसान का नाम	पिता/पति का नाम	चक/खसरा नम्बर	डिग्गी की क्षमता (लाख लीटर में)	डिग्गी की लागत (₹ लाखों में)	भुगतान किया गया अनुदान (₹ लाखों में)	भुगतान की दिनांक
14	96/1.6.10	पम्पो देवी	गणपत सिंह	47 एसएलडी	46.51	4.58	2.00	28-03-2011
15	361/7.6.10	पुरखा राम	मंगला राम	62 एसएलडी	53.30	4.78	2.00	28-03-2011
16	285/7.6.10	ईशर राम	सत्ता राम	76 एसडी	86.97	4.41	2.00	28-03-2011
17	1001/24.6.10	मोती राम	चैना राम	42 एसएलडी	40.21	4.39	2.00	28-03-2011
18	348/7.6.10	किशोर कुमार	प्रभू राम	60-61 एसएलडी	50.99	4.56	2.00	28-03-2011
19	272/7.6.10	जयराम/जैरामा राम	अम्बा राम	57 एसएलडी	37.55	4.27	2.00	28-03-2011
20	269/7.6.10	खेता राम/पदमा राम	नाथा राम	57 एसएलडी	38.87	4.36	2.00	28-03-2011
21	95/1.6.10	सिमर्था राम	पदमा राम	47 डीएस	35.00	4.62	2.00	29-03-2011
योग							42.00	

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.8.7; पृष्ठ 33)

सीकर में बल्क मिल्क कूलर्स के अनुपयोगी रहने का विवरण-पत्र

क्र. सं.	स्थान	बल्क मिल्क कूलर्सकी क्षमता (लीटर में)	लागत (रुलाखों में)	स्थापना दिनांक	अनुपयोगी रहने के कारण
1	रशीदपुरा	5000	12.16	08-10-2010	विवादित
2	ठाकुर सिंहवाली	2000	7.30	23-11-2011	दो बल्क मिल्क कूलर्स आवंटित हुई एक कार्यशील
3	बडसिंहवाली	2000	7.30	19-10-2011	डी.सी.एस. सचिव की मृत्यु
4	बस्सी	1000	5.75	20-02-2012	विवादित
5	जीन्यावाली जोड़ी	1000	5.75	स्थापित नहीं*	निर्माण कार्य प्रगति पर
6	अहिरो की ढाणी	1000	5.75	स्थापित नहीं*	निर्माण कार्य प्रगति पर
7	कुण्डलपुर	1000	5.75	स्थापित नहीं*	निर्माण कार्य प्रगति पर
योग			49.76	--	

* बल्क मिल्क कूलर्स की आपूर्ति सितम्बर 2011 में हुई

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.8.8; पृष्ठ 38)

मिट्टी खुदाई कार्य में उच्च दरों के कारण अनुदान के अधिक भुगतान का विवरण (फार्म पोंड)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	किसान का नाम सर्वश्री	चक और तहसील	पोंड की कुल लागत	खुदाई कार्य (घन मीटर में)	खुदाई कार्य की दर (प्रति घन मीटर)	भुगतान की गई राशि	देय भुगतान (पोंड की लागत-खुदाई की अधिक दर) (100-36 = ₹ 64 प्रति घन मीटर)	अधिक भुगतान
1	ओमप्रकाश	11 एनडीआर, हनुमानगढ़	1024203	3798.29	100	988550	1024203-243091=781112	207438
2	भोमाराम	4 एसपीडी, रावतसर	1032938	3923.75	100	988550	1032938-251120=781818	206732
3	हरदीप	10 एएमपी, श्रीगंगानगर	1164886	5446.37	100	988550	1164886-348568=816318	172232
4	भीमसेन	7 एमजेडी, श्रीगंगानगर	1149280	4564.83	100	1000000	1149280-292149=857131	142869
5	मोहनलाल	22 एसएसडब्लू, हनुमानगढ़	1010280	3475.40	100	1000000	1010280-222426=787854	212146
6	आशाराम	22 पीबीएन, पीलीबंगा	1142573	4223.35	100	1000000	1142573-270294=872279	127721
7	मनीराम	30 एनडीआर, रावतसर	1021450	4077.98	100	988550	1021450-260991=760459	228091
8	बीरबलराम	45 एनडीआर, पीलीबंगा	1029791	3917.52	100	988550	1029791-250721=779070	209480
9	जयनारायण	19 व 21 जेआरके, पीलीबंगा	1110165	4437.58	100	988550	1110165-284005=826160	162390
10	अनिल	2 एलएलडब्लू, हनुमानगढ़	1100459	4201.44	100	1000000	1100459-268892=831567	168433
11	काशीराम	14 जेआरके, हनुमानगढ़	1060436	4088.31	100	988550	1060436-261652=798784	189766
12	बृजलाल	34 एमओडी, पीलीबंगा	1068015	4245.75	100	1000000	1068015-271728=796287	203713
13	श्रीमती सावित्री	23 एलएलडब्लू, हनुमानगढ़	1162427	4865.43	100	988550	1162427-311388=851039	137511
14	मोहनलाल	23 एलएलडब्लू, हनुमानगढ़	1122355	4243.82	100	1000000	1122355-271604=850751	149249
योग								25,17,771

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.7.2; पृष्ठ 47)

ब्याज की हानि दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना	जमा की तिथि	राशि	31.03.2012 को शेष	पार्किंग अवधि (माह में)	ब्याज, 4 प्रतिशत की दर से
1	क्षमता निर्माण	31.3.2006	1.15	0.59	72	0.14
2	क्षमता निर्माण	31.3.2008	1.82	0.72	48	0.12
3	सामान्य सेवा केन्द्र	30.3.2007	10.95	10.95	60	2.19
4	स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क	29.2.2008	4.70	4.70	49	0.77
5	स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क	31.3.2006	8.31	4.49	72	1.07
6	स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे	27.7.2011	3.70	3.70	8	0.10
योग			30.63	25.15		4.39

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.9.4; पृष्ठ 57)

कार्यान्वयन एजेन्सी पर नहीं लगायी गई शास्ति की गणना

क्र.सं.	सेवा स्तर आवश्यकता (एस.एल.आर) घटक के फेलाव की अवस्था	शास्ति प्रावधान	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित मूल तिथि (सप्ताहों में) (टी-21 जनवरी 2011)	समयावृद्धि उपरान्त कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि (सप्ताहों में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि/स्थिति	विलम्ब की अवधि (31.1.2013 तक)	आरोपित नहीं की गई शास्ति (₹ में)
1	सेवा आवश्यकता विशिष्ट प्रलेख का प्रस्तुतीकरण	प्रथम दो सप्ताहों के लिए ₹ 25,000.00 तदन्तर प्रत्येक सप्ताह के लिये ₹ 40,000.00 बशर्ते कि अधिकतम ₹ 2,10,000.00	= टी+6 सप्ताह (4.3.2011)	= टी+ 27 सप्ताह (29.07.2011)	1.8.2011 को प्रस्तुत किया गया/राज्य स्तर पर पूर्ण किया गया, एसटीक्यूसी की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया जाना	शून्य	शून्य
2	राज्य पोर्टल के लिये वास्तुशिल्पीय परिरूप का प्रस्तुतीकरण	प्रथम दो सप्ताहों के लिए ₹ 25,000.00 तदन्तर प्रत्येक सप्ताह के लिये ₹ 40,000.00 बशर्ते कि अधिकतम ₹ 2,10,000.00	= टी+6 सप्ताह (14.3.2011)	= टी+59 सप्ताह (15.3.2012)	प्रगति में	46 सप्ताह	210000
3	उच्च स्तरीय सुरक्षा परिरूप प्रलेख का प्रस्तुतीकरण	प्रथम दो सप्ताहों के लिए ₹ 25,000.00 तदन्तर प्रत्येक सप्ताह के लिये ₹ 40,000.00 बशर्ते कि अधिकतम ₹ 2,10,000.00	= टी+6 सप्ताह (16.3.2011)	= टी+59 सप्ताह (15.3.2012)	प्रगति में	46 सप्ताह	210000
4	स्टेट डाटा सेन्टर पर आपूर्ति सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इत्यादि का संरूपण एवं प्रस्थापन एवं वितरण	प्रथम दो सप्ताहों के लिए ₹ 10,00,000.00 तदन्तर प्रत्येक सप्ताह के लिये ₹ 20,00,000.00 बशर्ते कि अधिकतम ₹ 40,00,000.00	= टी+17 सप्ताह (19.5.2011)	= टी+74 सप्ताह (25.6.2012)	स्टेट डाटा सेन्टर हार्डवेयर वितरित, प्रस्थापन प्रगति में रिक्त ढांचा वितरित नहीं किया	31 सप्ताह	400000

क्र.सं.	सेवा स्तर आवश्यकता (एस.एल.आर) घटक के फैलाव की अवस्था	शास्ति प्रावधान	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित मूल तिथि (सप्ताहों में) (टी-21 जनवरी 2011)	समयावृद्धि उपरान्त कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि (सप्ताहों में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि/स्थिति	विलम्ब की अवधि (31.1.2013 तक)	आरोपित नहीं की गई शास्ति (₹ में)
5	जिलों एवं प्रखण्डों पर विभागीय उपयोग कर्ताओं के लिए आपूर्ति हार्डवेयर(डेस्कटॉप, प्रिन्टर, स्केनर तथा यूपीएस), तन्त्र साफ्टवेयर इत्यादि का संरूपण एवं प्रस्थापन एवं वितरण	प्रथम दो सप्ताहों के लिए ₹ 1,000.00 तदन्तर प्रत्येक सप्ताह के लिये ₹ 2,000.00 बशर्ते कि अधिकतम ₹ 10,000.00	= टी+17 सप्ताह (19.5.2011)	= टी+74 सप्ताह (25.6.2012)	स्टेट डाटा सेन्टर हार्डवेयर वितरित, प्रस्थापन प्रगति में रिक्त ढांचा वितरित नहीं किया	31 सप्ताह	10000
6	स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे, राज्य पोर्टल एवं ई-फार्म की स्थापना	प्रथम दो सप्ताहों के लिए 0.5 प्रतिशत तदन्तर प्रत्येक सप्ताह के लिये 1 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम 5 प्रतिशत। शास्ति संविदा मूल्य पर संगणित की जावेगी।	= टी+18 सप्ताह (27.5.2011)	= टी+76 सप्ताह (11.7.2012)	प्रारम्भ नहीं	29 सप्ताह	5230000 (10.46 करोड़ का 5 प्रतिशत)
7	उपयोगकर्ता प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ	प्रथम दो सप्ताहों के लिए प्रति प्रशिक्षण अधिवेशन ₹ 300.00, तदन्तर प्रत्येक सप्ताह के लिये प्रति प्रशिक्षण अधिवेशन ₹ 500 बशर्ते कि अधिकतम ₹ 1,000.00	= टी+23 सप्ताह (1.7.2011)	= टी+88 सप्ताह (1.10.2012)	प्रारम्भ नहीं	17 सप्ताह	1000
8	तंत्र एकीकरण, अन्तिम उपयोगकर्ता स्वीकार्यता परीक्षण एवं परियोजना बन्द	प्रथम दो सप्ताहों के लिए 2 प्रतिशत तदन्तर प्रत्येक सप्ताह के लिये 4 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम 20 प्रतिशत। शास्ति संविदा मूल्य पर संगणित की जावेगी।	= टी+24 सप्ताह (8.7.2011)	= टी+87 सप्ताह (26.9.2012)	प्रारम्भ नहीं	18 सप्ताह	20920000 (10.46 करोड़ का 20 प्रतिशत)
योग							3,05,81,000

नोट:- 'टी' परियोजना प्रारंभ होने की तिथी के संदर्भ में है, परियोजना तिथी से समापन की मूल निर्धारित अवधि सप्ताहों में दिखायी गयी थी, जो कि प्रस्तावों के लिये अनुरोध में 'टी' है। तदुपरान्त संशोधित समापन अवधि विभाग द्वारा वास्तविक तिथियां निश्चित कर सूचित की गयीं, जिसे शामिल किया गया है।

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.10.3; पृष्ठ 61)

मैसर्स सीएमएस कम्प्यूटर्स लिमिटेड से अकार्यशील सामान्य सेवा केन्द्रों के लिए आरोपणीय एवं वसूलनीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले	बनाये गये प्रमाणित सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या		कुल महीनों की संख्या जिसके विरुद्ध एससीए द्वारा राजस्व सहायता का दावा किया गया	अकार्यशील कुल महीनों की संख्या जिसके लिए एससीए द्वारा राजस्व सहायता का दावा नहीं किया गया	प्रति माह ₹ 4,000 की दर से लगाने योग्य शास्ती*
		सृजित कुल सामान्य सेवा केन्द्र	राजस्व सहायता के लिये कुल महीनों की संख्या			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1	अजमेर	124	1873	1075	798	31,92,000
2	भीलवाड़ा	124	1934	976	958	38,32,000
3	नागौर	172	3225	1062	2163	86,52,000
4	टोंक	112	2188	735	1453	58,12,000
5	जयपुर	173	2526	1293	1233	49,32,000
6	अलवर	142	2254	1263	991	39,64,000
7	दौसा	77	998	447	551	2204,000
8	झुन्झुनु	98	1695	896	799	31,96,000
9	सीकर	113	1675	779	896	35,84,000
10	कोटा	65	916	583	333	13,32,000
11	बून्दी	58	964	368	596	23,84,000
12	झालावाड़	42	570	385	185	7,40,000
13	बारां	38	560	229	331	13,24,000
14	उदयपुर	148	2159	719	1440	57,60,000
15	चित्तौड़गढ़	83	1452	521	931	37,24,000
16	डूंगरपुर	73	983	544	439	17,56,000
17	राजसमंद	73	1392	509	883	35,32,000
18	बांसवाड़ा	54	1041	708	333	13,32,000
19	प्रतापगढ़	26	443	186	257	10,28,000
	योग	1795	28848	13278	15570	6,22,80,000
					लगभग	₹ 6.23 करोड़

*प्रति सप्ताह प्रति सामान्य सेवा केन्द्र मसिक राजस्व सहायता का 20 प्रतिशत की दर से शास्ति (कार्यशील के लिए ₹ 1000 प्रति माह या निविदा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी ज्यादा हो) या ₹ 1000 प्रति सप्ताह प्रति सामान्य सेवा केन्द्र, जो भी ज्यादा हो।

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.10.3.; पृष्ठ 62)

मैसर्स जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामान्य सेवा केन्द्रों का सृजन नहीं करने पर आरोपणीय एवं वसूलनीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के विवरण को दर्शाने वाला प्रपत्र

सृजित किये जाने वाले कुल सामान्य सेवा केन्द्र		2572	अनुबन्ध निष्पादन की तिथि		2.3.2009		
सृजन की अनुसूची							
सृजित किये जाने वाले सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या		सृजन की निर्धारित तिथि					
643 (25 प्रतिशत)		1/8/2009 (5 महीने)					
1286 (50 प्रतिशत)		1/10/2009 (7 महीने)					
1929 (75 प्रतिशत)		1/12/2009 (9 महीने)					
2572 (100 प्रतिशत)		1/3/2010					
क्र.सं.	से	तक	सृजित सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या	सामान्य सेवा केन्द्रों का सृजन नहीं	दर प्रति दिन	दिन	आरोपणीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि
1	02/08/2009	13/12/2009	0	643	200	134	17232400
2	02/10/2009	13/12/2009	0	643	200	72	9259200
3	02/12/2009	13/12/2009	0	643	200	12	1543200
4	14/12/2009	14/12/2009	3	1926	200	1	385200
5	15/12/2009	16/12/2009	2	1924	200	2	769600
6	17/12/2009	17/12/2009	1	1923	200	1	384600
7	18/12/2009	04/01/2010	1	1922	200	18	6919200
8	05/01/2010	05/01/2010	1	1921	200	1	384200
9	06/01/2010	08/01/2010	1	1920	200	3	1152000
10	09/01/2010	09/01/2010	4	1916	200	1	383200
11	10/01/2010	10/01/2010	4	1912	200	1	382400
12	11/01/2010	14/01/2010	2	1910	200	4	1528000
13	15/01/2010	22/01/2010	1	1909	200	8	3054400
14	23/01/2010	24/01/2010	1	1908	200	2	763200
15	25/01/2010	26/01/2010	1	1907	200	2	762800
16	27/01/2010	03/02/2010	2	1905	200	8	3048000

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

क्र.सं.	से	तक	सृजित सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या	सामान्य सेवा केन्द्रों का सृजन नहीं	दर प्रति दिन	दिन	आरोपणीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि
17	04/02/2010	05/02/2010	4	1901	200	2	760400
18	06/02/2010	07/02/2010	1	1900	200	2	760000
19	08/02/2010	08/02/2010	21	1879	200	1	375800
20	09/02/2010	09/02/2010	3	1876	200	1	375200
21	10/02/2010	10/02/2010	5	1871	200	1	374200
22	11/02/2010	11/02/2010	1	1870	200	1	374000
23	12/02/2010	15/02/2010	1	1869	200	4	1495200
24	16/02/2010	16/02/2010	2	1867	200	1	373400
25	17/02/2010	17/02/2010	4	1863	200	1	372600
26	18/02/2010	19/02/2010	5	1858	200	2	743200
27	20/02/2010	21/02/2010	2	1856	200	2	742400
28	22/02/2010	24/02/2010	2	1854	200	2	741600
29	25/02/2010	25/02/2010	2	1852	200	1	370400
30	26/02/2010	01/03/2010	1	1851	200	4	1480800
31	02/03/2010	07/03/2010	1	2493	200	6	2991600
32	08/03/2010	08/03/2010	1	2492	200	1	498400
33	09/03/2010	10/03/2010	2	2490	200	2	996000
34	11/03/2010	14/03/2010	1	2489	200	4	1991200
35	15/03/2010	15/03/2010	5	2484	200	1	496800
36	16/03/2010	17/03/2010	1	2483	200	2	993200
37	18/03/2010	18/03/2010	5	2478	200	1	495600
38	19/03/2010	19/03/2010	1	2477	200	1	495400
39	20/03/2010	21/03/2010	2	2475	200	2	990000
40	22/03/2010	22/03/2010	1	2474	200	1	494800
41	23/03/2010	24/03/2010	1	2473	200	2	989200
42	25/03/2010	25/03/2010	1	2472	200	1	494400
43	26/03/2010	26/03/2010	3	2469	200	1	493800
44	27/03/2010	27/03/2010	2	2467	200	1	493400
45	28/03/2010	28/03/2010	1	2466	200	1	493200
46	29/03/2010	29/03/2010	2	2464	200	1	492800

क्र.सं.	से	तक	सुजित सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या	सामान्य सेवा केन्द्रों का सुजन नहीं	दर प्रति दिन	दिन	आरोपणीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि
47	30/03/2010	30/03/2010	1	2463	200	1	492600
48	31/03/2010	31/03/2010	7	2456	200	1	491200
49	01/04/2010	02/04/2010	1	2455	200	2	982000
50	03/04/2010	04/04/2010	4	2451	200	2	980400
51	05/04/2010	05/04/2010	3	2448	200	1	489600
52	06/04/2010	07/04/2010	2	2446	200	2	978400
53	08/04/2010	09/04/2010	1	2445	200	2	978000
54	10/04/2010	11/04/2010	1	2444	200	1	488800
55	12/04/2010	15/04/2010	1	2443	200	4	1954400
56	16/04/2010	16/04/2010	1	2442	200	1	488400
57	17/04/2010	18/04/2010	2	2440	200	2	976000
58	19/04/2010	19/04/2010	1	2439	200	1	487800
59	20/04/2010	20/04/2010	1	2438	200	1	487600
60	21/04/2010	23/04/2010	2	2436	200	3	1461600
61	24/04/2010	26/04/2010	1	2435	200	3	1461000
62	27/04/2010	27/04/2010	1	2434	200	1	486800
63	28/04/2010	28/04/2010	1	2433	200	1	486600
64	29/04/2010	29/04/2010	2	2431	200	1	486200
65	30/04/2010	02/05/2010	1	2430	200	3	1458000
66	03/05/2010	03/05/2010	3	2427	200	1	485400
67	04/05/2010	04/05/2010	2	2425	200	1	485000
68	05/05/2010	09/05/2010	1	2424	200	5	2424000
69	10/05/2010	12/05/2010	2	2422	200	3	1453200
70	13/05/2010	17/05/2010	3	2419	200	5	2419000
71	18/05/2010	18/05/2010	2	2417	200	1	483400
72	19/05/2010	19/05/2010	1	2416	200	1	483200
73	20/05/2010	20/05/2010	1	2415	200	1	483000
74	21/05/2010	21/05/2010	1	2414	200	1	482800
75	22/05/2010	23/05/2010	2	2412	200	2	964800
76	24/05/2010	24/05/2010	1	2411	200	1	482200

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

क्र.सं.	से	तक	सृजित सामान्य सेवा केंद्रों की संख्या	सामान्य सेवा केंद्रों का सृजन नहीं	दर प्रति दिन	दिन	आरोपणीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि
77	25/05/2010	25/05/2010	2	2409	200	1	481800
78	26/05/2010	26/05/2010	1	2406	200	1	481200
79	27/05/2010	02/06/2010	1	2405	200	7	3367000
80	03/06/2010	03/06/2010	8	2397	200	1	479400
81	04/06/2010	04/06/2010	3	2394	200	1	478800
82	05/06/2010	05/06/2010	1	2393	200	1	478600
83	06/06/2010	06/06/2010	1	2392	200	1	478400
84	07/06/2010	07/06/2010	1	2391	200	1	478200
85	08/06/2010	08/06/2010	1	2390	200	1	478000
86	09/06/2010	09/06/2010	4	2386	200	1	477200
87	10/06/2010	14/06/2010	4	2382	200	5	2382000
88	15/06/2010	20/06/2010	1	2381	200	6	2857200
89	21/06/2010	23/06/2010	1	2380	200	3	1428000
90	24/06/2010	24/06/2010	1	2379	200	1	475800
91	25/06/2010	27/06/2010	2	2377	200	3	1426200
92	28/06/2010	29/06/2010	2	2375	200	2	950000
93	30/06/2010	02/07/2010	1	2374	200	3	1424400
94	03/07/2010	04/07/2010	1	2373	200	2	949200
95	05/07/2010	08/07/2010	5	2368	200	4	1894400
96	09/07/2010	09/07/2010	2	2366	200	1	473200
97	10/07/2010	12/07/2010	12	2354	200	3	1412400
98	13/07/2010	17/07/2010	1	2353	200	5	2353000
99	18/07/2010	18/07/2010	2	2352	200	1	470400
100	19/07/2010	19/07/2010	6	2350	200	1	470000
101	20/07/2010	22/07/2010	2	2344	200	1	468800
102	23/07/2010	26/07/2010	3	2342	200	2	936800
103	23/07/2010	26/07/2010	3	2339	200	4	1871200
104	27/07/2010	27/07/2001	2	2336	200	1	467200
105	28/07/2010	28/07/2010	3	2334	200	1	466800
106	29/07/2010	29/07/2010	1	2333	200	1	466600

क्र.सं.	से	तक	सृजित सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या	सामान्य सेवा केन्द्रों का सृजन नहीं	दर प्रति दिन	दिन	आरोपणीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि
107	30/07/2010	30/07/2010	4	2329	200	1	465800
108	31/07/2010	03/08/2010	3	2326	200	4	1860800
109	04/08/2010	04/08/2010	2	2324	200	1	464800
110	05/08/2010	05/08/2010	4	2320	200	1	464000
111	06/08/2010	09/08/2010	6	2314	200	4	1851200
112	10/08/2010	11/08/2010	5	2309	200	2	923600
113	12/08/2010	12/08/2010	1	2308	200	1	461600
114	13/08/2010	15/08/2010	6	2302	200	3	1381200
115	16/08/2010	16/08/2010	3	2299	200	1	459800
116	17/08/2010	20/08/2010	1	2298	200	4	1838400
117	21/08/2010	22/08/2010	1	2297	200	2	918800
118	23/08/2010	23/08/2010	1	2296	200	1	459200
119	24/08/2010	24/08/2010	3	2293	200	1	458600
120	25/08/2010	25/08/2010	11	2282	200	1	456400
121	26/08/2010	26/08/2010	1	2281	200	1	456200
122	27/08/2010	27/08/2010	3	2278	200	1	455600
123	28/08/2010	29/08/2010	2	2276	200	2	910400
124	30/08/2010	30/08/2010	4	2272	200	1	454400
125	31/08/2010	01/09/2010	1	2271	200	2	908400
126	02/09/2010	02/09/2010	2	2269	200	1	453800
127	03/09/2010	03/09/2010	11	2258	200	1	451600
128	04/09/2010	04/09/2010	1	2257	200	1	451400
129	05/09/2010	05/09/2010	2	2255	200	1	451000
130	06/09/2010	09/09/2010	1	2254	200	4	1803200
131	10/09/2010	11/09/2010	1	2253	200	2	901200
132	12/09/2010	12/09/2010	1	2252	200	1	450400
133	13/09/2010	14/09/2010	1	2251	200	2	900400
134	15/09/2010	15/09/2010	3	2248	200	1	449600
135	16/09/2010	16/09/2010	6	2242	200	1	448400
136	17/09/2010	17/09/2010	5	2237	200	1	447400

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

क्र.सं.	से	तक	सृजित सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या	सामान्य सेवा केन्द्रों का सृजन नहीं	दर प्रति दिन	दिन	आरोपणीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि
137	18/09/2010	19/09/2010	2	2235	200	2	894000
138	20/09/2010	20/09/2010	5	2230	200	1	446000
139	21/09/2010	21/09/2010	2	2228	200	1	445600
140	22/09/2010	22/09/2010	4	2224	200	1	444800
141	23/09/2010	23/09/2010	6	2218	200	1	443600
142	24/09/2010	27/09/2010	2	2216	200	4	1772800
143	28/09/2010	28/09/2010	2	2214	200	1	442800
144	29/09/2010	29/09/2010	1	2213	200	1	442600
145	30/09/2010	04/10/2010	1	2212	200	5	2212000
146	05/10/2010	05/10/2010	2	2210	200	1	442000
147	06/10/2010	07/10/2010	13	2197	200	2	878800
148	08/10/2010	08/10/2010	1	2196	200	1	439200
149	09/10/2010	09/10/2010	13	2183	200	1	436600
150	10/10/2010	11/10/2010	3	2180	200	2	872000
151	12/10/2010	12/10/2010	1	2179	200	1	435800
152	13/10/2010	13/10/2010	7	2172	200	1	434400
153	14/10/2010	14/10/2010	2	2170	200	1	434000
154	15/10/2010	15/10/2010	1	2169	200	1	433800
155	16/10/2010	17/10/2010	1	2168	200	2	867200
156	18/10/2010	18/10/2010	1	2167	200	1	433400
157	19/10/2010	20/10/2010	1	2166	200	2	866400
158	21/10/2010	21/10/2010	1	2165	200	1	433000
159	22/10/2010	22/10/2010	1	2164	200	1	432800
160	23/10/2010	24/10/2010	2	2162	200	2	864800
161	25/10/2010	26/10/2010	3	2159	200	2	863600
162	27/10/2010	02/11/2010	4	2155	200	7	3017000
163	03/11/2010	04/11/2010	5	2150	200	2	860000
164	05/11/2010	05/11/2010	2	2148	200	2	859200
165	06/11/2010	07/11/2010	18	2130	200	2	852000
166	08/11/2010	09/11/2010	2	2128	200	2	851200

क्र.सं.	से	तक	सृजित सामान्य सेवा केन्द्रों की संख्या	सामान्य सेवा केन्द्रों का सृजन नहीं	दर प्रति दिन	दिन	आरोपणीय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि
167	10/11/2010	10/11/2010	6	2122	200	1	424400
168	11/11/2010	12/11/2010	2	2120	200	2	848000
169	13/11/2010	14/11/2010	3	2117	200	2	846800
170	15/11/2010	15/11/2010	1	2116	200	1	423200
171	16/11/2010	17/11/2010	1	2115	200	2	846000
172	18/11/2010	21/11/2010	1	2114	200	4	1691200
173	22/11/2010	22/11/2010	2	2112	200	1	422400
174	23/11/2010	03/12/2010	2	2110	200	11	4642000
175	04/12/2010	04/12/2010	2	2108	200	1	421600
176	05/12/2010	09/12/2010	2	2106	200	5	2106000
177	10/12/2010	10/12/2010	6	2100	200	1	420000
178	11/12/2010	17/12/2010	1	2099	200	7	2938600
179	18/12/2010	18/12/2010	2	2097	200	1	419400
180	19/12/2010	19/12/2010	1	2096	200	1	419200
181	20/12/2010	24/12/2010	1	2095	200	5	2095000
182	25/12/2010	28/12/2010	2	2093	200	4	1674400
183	29/12/2010	30/12/2010	1	2092	200	2	836800
184	31/12/2010	04/01/2011	2	2090	200	5	2090000
185	05/01/2011	16/01/2011	1	2089	200	12	5013600
186	17/01/2011	20/01/2011	1	2088	200	4	1670400
187	21/01/2011	23/01/2011	1	2087	200	4	1669600
188	24/01/2011	24/01/2011	1	2086	200	1	417200
189	25/01/2011	06/02/2011	1	2085	200	13	5421000
190	07/02/2011	22/02/2011	1	2084	200	16	6668800
योग			488	आरोपणीय कुल परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति			22,01,08,800

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6.2; पृष्ठ 76)

2008-09 से 2012-13 के दौरान जारी किये गये अनुपूरक अनुदान परन्तु अभी तक अनुपयोजित रहने के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ग केन्द्रीय प्रवर्तित योजना/आयोजना	अनुदान नम्बर	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	वर्ष	मूल बजट	अनुपूरक अनुदान	कुल उपलब्ध निधियाँ	वास्तविक व्यय	कुल अनुपयोजित राशि	अनुपूरक अनुदान की अनुपयोजित राशि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12 (10&11)	13
1.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	42	2851	103	11	2008-09	0.00	19.80	19.80	0.00	(-) 19.80	100
2.	आयोजना	42	2851	104	10	2008-09	0.00	12.00	12.00	9.59	(-) 2.41	20
3.	आयोजना	42	2852	102	23	2008-09	0.00	2.00	2.00	0.00	(-) 2.00	100
4.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	42	2851	102	01	2010-11	54.02	8.48	62.50	45.47	(-) 17.03	201
5.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	42	2851	103	09	2010-11	111.21	51.52	162.73	66.89	(-) 95.84	186
6.	आयोजना	42	2851	102	06	2010-11	64.00	256.03	320.03	229.31	(-) 90.72	35
7.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	42	2851	102	01	2011-12	74.01	47.52	121.53	78.13	(-) 43.40	91.33
8.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	42	2851	103	09	2011-12	105.00	95.00	200.00	160.00	(-) 40.00	42.11
9.	आयोजना	42	2851	102	13	2011-12	0.01	441.00	441.01	121.57	(-) 319.44	72.43
10.	आयोजना	42	2852	003	09	2011-12	50.00	10.00	60.00	53.17	(-) 6.83	68.30
11.	आयोजना	42	4885	800	15	2011-12	45.00	15.69	60.69	29.58	(-) 31.11	198.28
12.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	42	2851	102	11	2012-13	0.01	19.35	19.36	7.69	(-)11.67	60.31
13.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	35	3475	106	20	2012-13	0.01	5.89	5.90	1.00	(-)4.90	83.19
योग							503.27	984.28	1487.55	802.40	685.15	69.61

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6.3; पृष्ठ 77)

अभ्यर्पण से सम्बन्धित प्रकरणों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ग		मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	वर्ष	मूल अनुदान	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि	मूल अनुदान से अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
	केन्द्रीय योजना/आयोजना	प्रवर्तित										
1.	आयोजना		42	2851	104	10	2012-13	82.04	20.00	20.00	62.04	75.62
2.	केन्द्रीय योजना	प्रवर्तित	42	2851	102	09	2012-13	105.00	35.00	9.87	95.13	90.60
3.	आयोजना		30	2851	796	04	2012-13	30.00	9.00	6.03	23.97	79.90
4.	आयोजना		42	2852	80	29	2012-13	137.14	48.17	41.86	95.28	69.48
5.	आयोजना		42	2852	102	07	2012-13	108.00	63.00	49.09	58.91	54.55
6.	आयोजना		51	2852	789	14	2012-13	34.50	14.68	9.51	24.99	72.43
योग								496.68	189.85	136.36	360.32	72.55

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.6.5; पृष्ठ 79)

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान कोषालय अधिकारी से प्रेषणों का असत्यापन का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		चलानों की संख्या	कुल राशि	चलानों की संख्या	कुल राशि	चलानों की संख्या	कुल राशि	चलानों की संख्या	कुल राशि
1.	जिला उद्योग केन्द्र, डूंगरपुर	42	8,63,000	53	8,24,977	49	10,81,150	57	12,16,877
2.	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर)	समाशोधित	समाशोधित	62	86,90,046	160	1,50,03,159	140	22,038,148
3.	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	4	अनुपलब्ध	37	अनुपलब्ध	25	अनुपलब्ध
4.	जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर	समाशोधित	समाशोधित	समाशोधित	समाशोधित	समाशोधित	समाशोधित	10	2,22,033
योग		42	8,63,000	119	95,15,023	246	1,60,84,309	232	2,34,77,058

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.2; पृष्ठ 83)

स्टाफ के एक स्थान पर अधिक ठहराव का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	कुल स्थापित पद		से अधिक एक स्थान पर ठहराव वाले व्यक्तियों की संख्या			
		स्वीकृत	कार्यरत	5 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष तक	20 वर्ष से अधिक	कुल योग (कॉलम 5 से 7)
1.	जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर	44	35	10	10	01	21
2.	जिला उद्योग केन्द्र, अलवर	37	24	05	03	01	09
3.	जिला उद्योग केन्द्र, बाँसवाड़ा	24	14	04	02	00	06
4.	जिला उद्योग केन्द्र, डूंगरपुर	19	10	00	03	06	09
5.	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर)	53	36	07	09	03	19
6.	जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण)	38	30	08	08	00	16
7.	जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर	20	07	03	01	01	05
8.	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर	54	35	09	06	12	27
9.	जिला उद्योग केन्द्र, कोटा	40	26	10	06	01	17
10.	जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर	40	22	02	05	03	10
योग		369	239	58	53	28	139
आयुक्तालय		288	215	24	56	67	147
कुल योग		657	454	82	109	95	286

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.10.1; पृष्ठ 86)

कलस्टरो का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र (मार्च 2013 तक)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कलस्टर का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत			कुल व्यय			राजस्व की प्रतिशतता	पूर्ण करने का माह व वर्ष
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग		
(अ) पूर्ण हो चुके कलस्टर									
1.	कोटाडोरिया कलस्टर, कैथून, कोटा*	146.21	172.00	318.21	69.83	65.45	135.28	47.76	मार्च 2010
2.	चर्म रंगाई एवं चर्म उत्पाद कलस्टर, बानसूर, अलवर	37.20	55.30	92.50	17.64	12.00	29.64	47.42	मार्च 2010
3.	रंगाई छपाई कलस्टर, आकोला, चित्तौड़गढ़	67.86	26.35	94.21	10.08	50.34	60.42	14.85	मार्च 2010
4.	हाथकरघा कलस्टर, दरीबा, चुरू	93.69	45.00	138.69	19.20	50.25	69.45	20.49	मार्च 2010
5.	मूर्तिकला कलस्टर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा*	70.71	45.17	115.88	18.16	50.11	68.27	25.68	मार्च 2010
6.	चर्म जूती कलस्टर, भीनमाल, जालौर	34.62	00.00	34.62	11.05	00.00	11.05	31.92	मार्च 2010
7.	गोटालूम कलस्टर, अजमेर*	56.47	00.00	56.47	42.86	50.00	92.86	75.90	मार्च 2010
8.	आरी-तारी कलस्टर, नायला, जयपुर*	84.36	00.00	84.36	44.12	00.00	44.12	52.30	मार्च 2010
9.	मूर्तिकला कलस्टर, गोला का बास, अलवर*	32.46	49.08	81.54	12.69	126.17	138.86	39.09	मार्च 2010
10.	शहद कलस्टर, भरतपुर	39.81	00.00	39.81	10.60	00.00	10.60	26.63	मार्च 2010
11.	पोटरी एवं टेराकोटा कलस्टर, रामगढ़, अलवर*	51.00	00.00	51.00	16.11	00.00	16.11	31.59	मार्च 2010
12.	लाख उत्पाद कलस्टर, जयपुर*	21.17	00.00	21.17	2.50	00.00	2.50	11.81	मार्च 2010
13.	टेराकोटा कलस्टर, मालेला, राजसमन्द	2.50	00.00	2.50	00.00	00.00	0	0.00	मार्च 2010

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत			कुल व्यय			राजस्व की प्रतिशतता	पूर्ण करने का माह व वर्ष
		राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग		
14.	कांच कशीदा क्लस्टर, धनाऊ, बाड़मेर	50.00	00.00	50.00	34.59	00.00	34.59	69.18	मार्च 2010
15.	वन उत्पाद क्लस्टर, तालछापर, चुरू	45.00	00.00	45.00	13.99	00.00	13.99	31.09	मार्च 2011
16.	गलीचा क्लस्टर, थानागाजी, अलवर	317.46	00.00	317.46	35.35	00.00	35.35	11.14	मार्च 2011
17.	अभ्यारण्य उत्पाद क्लस्टर, बारां	56.36	00.00	56.36	51.97	00.00	51.97	92.21	मार्च 2011
18.	कशीदाकारी क्लस्टर, पुगल अदरी, बीकानेर	72.22	00.00	72.22	55.84	00.00	55.84	77.32	मार्च 2011
19.	काष्ठ कला क्लस्टर, बस्सी, चित्तौड़गढ़	62.53	00.00	62.53	48.97	00.00	48.97	78.31	मार्च 2011
20.	स्टोन आर्टवेयर क्लस्टर, डूंगरपुर*	82.31	55.25	137.56	40.47	20.00	60.47	49.78	मार्च 2011
21.	चर्म जूती उत्पाद क्लस्टर, जोधपुर*	57.97	00.00	57.97	39.81	00.00	39.81	68.67	मार्च 2011
22.	टेराकोटा क्लस्टर, सियावा, सिरोही	36.21	00.00	36.21	6.55	00.00	6.55	3.53	मार्च 2011
23.	स्टोन क्लस्टर, पिंडवाड़ा, सिरोही	68.97	00.00	68.97	9.00	00.00	9.00	13.05	मार्च 2011
24.	कशीदाकारी क्लस्टर, शिव, बाड़मेर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1.05	00.00	1.05	0.00	मार्च 2011
25.	आटो कम्पोनेन्ट क्लस्टर, अलवर	97.29	अनुपलब्ध	97.29	11.53	00.00	11.53	11.85	मार्च 2011
26.	मार्बल आर्टिकल क्लस्टर, चित्तौली, जयपुर*	144.38	अनुपलब्ध	144.38	98.94	00.00	98.94	68.53	मार्च 2012
27.	पीतल के बर्तन पर नक्काशी क्लस्टर, बालाहेड़ी, दौसा	65.74	अनुपलब्ध	65.74	47.18	00.00	47.18	71.77	मार्च 2012
28.	पोटरी एवं टेराकोटा क्लस्टर, गोगुन्दा, उदयपुर	40.00	अनुपलब्ध	40.00	10.00	10.00	20.00	50.00	मार्च 2012
29.	हैन्ड ब्लाक प्रिंटिंग क्लस्टर, बगरू, जयपुर	37.01	अनुपलब्ध	37.01	32.26	00.00	32.26	87.16	मार्च 2012
30.	हाथकरघा क्लस्टर, राजपुरा पातलबास, जयपुर	70.84	अनुपलब्ध	70.84	59.92	00.00	59.92	84.58	सितम्बर 2012
योग		2,042.35	448.15	2,490.50	872.26	434.32	1,306.58	42.70	

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत			कुल व्यय			राजस्व की प्रतिशतता	पूर्ण करने का माह व वर्ष
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग		
(ब) रद्द किये गये क्लस्टरों का विवरण-पत्र									
1.	जैसलमेर स्टोन क्लस्टर, जैसलमेर	27.36	00.00	27.36	00.00	00.00	00.00	0	
2.	टाई-डाई क्लस्टर, जोधपुर	46.72	00.00	46.72	14.65	00.00	14.65	31.36	
3.	सेण्डस्टोन कार्विंग क्लस्टर, पिचूपाड़ा, दौसा	69.91.	अनुपलब्ध	69.91	10.25	00.00	10.25	14.66	
योग		143.99	00.00	143.99	24.90	00.00	24.90	17.29	
(स) प्रगति में चल रहे क्लस्टरों का विवरण-पत्र									
1	चर्म क्लस्टर किशनगढ़-रेनवाल, जयपुर	26.13	00.00	26.13	23.73	00.00	23.73	90.81	
2	कशीदाकारी एवं हस्तशिल्प क्लस्टर, चौहटन, बाडमेर	31.71	00.00	31.71	21.64	00.00	21.64	68.24	
3	कशीदाकारी एवं हस्तशिल्प क्लस्टर, शिव, बाडमेर	42.35	00.00	42.35	29.25	00.00	29.25	69.06	
4	बांस क्लस्टर, मालीखेड़ा, बांसवाड़ा	56.88	00.00	56.88	5.65	00.00	5.65	9.93	
5	टेराकोटा क्लस्टर, सागवाड़ा, डूंगरपुर	61.03	00.00	61.03	1.70	00.00	1.70	2.78	
6	चर्म क्लस्टर, सावरदा, दूदू, जयपुर	124.28	00.00	124.28	35.98	00.00	35.98	28.95	
योग		342.38	0.00	342.38	117.95	00.00	117.95	34.45	
कुल योग (अ+ब+स)		2,528.72	448.15	2,976.87	1,015.11	434.32	1,449.43		

नोट : अनुपलब्ध = लेखापरीक्षा को विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया

*विस्तृत अध्ययन हेतु चयनित

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.10.12; पृष्ठ 103)

बाट एवं माप अनुभाग से सत्यापित टैक्सी मीटर दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	वर्ष	राज्य में टैक्सी परमिटों की जिलेवार संख्या		सत्यापित किए गए टैक्सी मीटर्स की संख्या	सत्यापित किए गए टैक्सी मीटर्स की प्रतिशतता
		जिला/राज्य	संख्या		
1.	2008-09	1. जयपुर	10103	4195	41.52
		2. जोधपुर	6847	1752	25.58
		योग	16950	5947	35.08
2.	2009-10	1. जयपुर	11991	9291	77.48
		2. जोधपुर	5975	1760	29.45
		योग	17966	11051	61.51
3.	2010-11	1. जयपुर	11306	5673	50.17
		2. जोधपुर	5966	1785	29.91
		योग	17272	7458	43.18
4.	2011-12	1. जयपुर	11909	9964	83.66
		2. जोधपुर	6317	450	7.12
		योग	18226	10414	57.14
5.	2012-13	1. जयपुर	11862	6257	52.75
		2. जोधपुर	7162	67	0.94
		योग	19024	6324	33.24

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.1.4; पृष्ठ 112)

आवंटित स्थान के अतिरिक्त स्थान पर कम्प्यूटर हार्डवेयर के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

सुपुर्दगी स्थल	आवंटित स्थान	उपयोग स्थल	कारण
सहायक निदेशक, बेगू, चित्तौड़गढ़	सहायक कृषि अधिकारी, भैसरोड़गढ़	सहायक निदेशक, बेगू	भवन की कमजोर हालत
सहायक निदेशक, कपासन, चित्तौड़गढ़	सहायक कृषि अधिकारी, भोपाल सागर	कृषि पर्यवेक्षक के निवास पर	विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
उप निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा	सहायक कृषि अधिकारी, सुवाना	सहायक निदेशक, भीलवाड़ा	कारण उल्लेखित नहीं
	सहायक कृषि अधिकारी, रायपुर	सहायक निदेशक, भीलवाड़ा	विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, माण्डल	सहायक निदेशक, भीलवाड़ा	विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, सहाड़ा	सहायक निदेशक, भीलवाड़ा	विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
सहायक निदेशक, कोटड़ी	सहायक कृषि अधिकारी, जहाजपुर	कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर स्थापित	पर्याप्त सुरक्षा की कमी के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, माण्डलगढ़	कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर स्थापित	पर्याप्त सुरक्षा की कमी के कारण
उप निदेशक कृषि (विस्तार), बीकानेर	सहायक कृषि अधिकारी, बीकानेर	सहायक निदेशक, बीकानेर	विद्युत कनेक्शन का अभाव, स्थान की अनुपलब्धता और कम्प्यूटर कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति के अभाव के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, डूंगरगढ़	उप निदेशक, बीकानेर	
	सहायक कृषि अधिकारी, खाजूवाला	सहायक निदेशक, छत्तरगढ़	
	सहायक कृषि अधिकारी, कोलायत	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीकानेर	
	सहायक कृषि अधिकारी, लूनकरणसर	सहायक निदेशक, बीकानेर	
	सहायक कृषि अधिकारी, नौखा	सहायक निदेशक, बीकानेर	
उप निदेशक कृषि (विस्तार), दौसा	सहायक कृषि अधिकारी, सिकराय	सहायक निदेशक, दौसा	कारण उल्लेखित नहीं
उप निदेशक कृषि (विस्तार), झालावाड़	सहायक कृषि अधिकारी, झालरापाटन	कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर स्थापित	रिक्त पद और विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, खानपुर	सहायक निदेशक, झालावाड़	रिक्त पद और विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण

सुपुर्दगी स्थल	आवृत्त स्थान	उपयोग स्थल	कारण
सहायक निदेशक, भवानीमंडी	सहायक कृषि अधिकारी, पीरवा	कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर स्थापित	रिक्त पद और विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, डग	कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर स्थापित	रिक्त पद और विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, बकानी	कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर स्थापित	रिक्त पद और विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
उप निदेशक कृषि (विस्तार), करौली	मिट्टी प्रयोगशाला	उप निदेशक, करौली	कारण उल्लेखित नहीं
	सहायक कृषि अधिकारी, टोडाभीम	सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर बेकार रखा हुआ	कार्यालय अस्तित्व में नहीं होने के कारण। सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर विद्युत कनेक्शन और टेलिफोन कनेक्शन भी उपलब्ध नहीं था इसलिए इन उपकरणों को इन्टरनेट से नहीं जोड़ा जा सका। किराये के भवन पर विद्युत और इन्टरनेट कनेक्शन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये।
संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) कोटा	सहायक कृषि अधिकारी, सांगोद	सहायक निदेशक, सांगोद	रिक्त पद और पृथक भवन के अभाव के कारण
उप निदेशक कृषि (विस्तार), कोटा	सहायक कृषि अधिकारी, इटावा	उप निदेशक, कोटा	पद स्वीकृत नहीं होने के कारण, कार्यालय का अस्तित्व में नहीं होना
	सहायक कृषि अधिकारी, खेरबाद	उप निदेशक, कोटा	रिक्त पद और विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण
उप निदेशक कृषि (विस्तार), राजसमंद	सहायक कृषि अधिकारी, रेलमगरा	सहायक निदेशक, नाथद्वारा	पर्याप्त सुरक्षा की कमी के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, खमनोर	सहायक निदेशक, नाथद्वारा	पर्याप्त सुरक्षा की कमी के कारण
	सहायक कृषि अधिकारी, देवगढ़	सहायक निदेशक, देवगढ़	पृथक कार्यालय का अस्तित्व नहीं होने के कारण
सहायक निदेशक, श्रीमाधोपुर	सहायक कृषि अधिकारी, खण्डेला	सहायक कृषि अधिकारी, रीगंस के निवास पर स्थापित	सहायक कृषि अधिकारी, रीगंस ने सूचित किया कि ना तो वह कम्प्यूटर कुशल है ना ही किसी कम्प्यूटर कुशल व्यक्ति को काम में लगा रखा है। केवल प्रिंटर को फोटोकॉपी के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। किसान सेवा केन्द्र का निर्माण बस्ती से दूर था जहाँ विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।
	सहायक कृषि अधिकारी, नीमकाथाना	ना तो सहायक कृषि अधिकारी के कार्यालय पर ना ही सहायक कृषि अधिकारी के निवास पर उपलब्ध लेकिन उक्त स्थान के अतिरिक्त रखा हुआ है, प्रिंटर उपलब्ध नहीं था।	ना तो सहायक कृषि अधिकारी कम्प्यूटर कुशल था ना ही दक्ष कर्मचारी की व्यवस्था की गई और विद्युत कनेक्शन का अभाव। किसान सेवा केन्द्र का संचालन किराये के भवन पर था। कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी ने सूचित किया कि पूर्व सहायक कृषि अधिकारी द्वारा प्रिंटर भ्रमत्त हेतु ले जाया गया।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.4; पृष्ठ 118)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी गयी अधिक चौड़ाई की सड़कों का विवरण

क्रम संख्या	सड़क का नाम	मोटर वाहन प्रतिदिन	अनुमानित वाणिज्यक वाहन प्रतिदिन	2001 की जनसंख्या	प्रशासनिक स्वीकृति संख्या, दिनांक एवं राशि	तकनीकी स्वीकृति संख्या, दिनांक एवं राशि	कार्यदिश संख्या व दिनांक	बाउचर संख्या व कार्य समाप्ति दिनांक	इस सड़क के लिए किया गया भुगतान (₹ लाख में)
1	कानिवारा हरजी सड़क किमी 5 से राजावारी	18	13	317	डी-2762/14.2.08 ₹ 34.90 लाख	अ.अ., जालोर टीएस सं. 125/18.2.08 ₹ 33.41 लाख	अ.अ., जालोर, 748/12.5.08	वा.सं. 17/30.3.10 20.12.08	31.23
2	स्टेट हाइवे-16 से रतनपुरा	28	13	490	डी -2089/21.7.07 ₹ 55.00 लाख	एस.ई., जालोर, टीएस सं.57/24.7.07 ₹ 55.00 लाख	अनुपलब्ध	वा.सं. 12/17.7.08 25.5.08	47.11
3	भड़वाल से कैलाशनगर	16	13	480	डी -2089/21.7.07 ₹ 63.17 लाख	एस.ई., जालोर, टीएस सं. 53/24.7.07 ₹ 63.17 लाख	अ.अ., सांचौर 552/18.10.07	वा.सं. 8/15.9.10 27.5.08	51.26
4	पंचला से वंडिओं	16	13	481	डी -2089/21.7.07 ₹ 67.52 लाख	एस.ई., जालोर, टीएस सं.52/24.7.07 ₹ 67.52 लाख	अ.अ., सांचौर 552/18.10.07	वा.सं. 8/15.9.10 27.5.08	59.52
5	सरवाना रोड़ से रघुनाथपुरा	16	13	454	डी -2089/21.7.07 ₹ 23.32 लाख	अ.अ., भीनमाल, टीएस सं.108/16.7.07 ₹ 23.32 लाख	अ.अ., भीनमाल, 552/18.10.07	वा.सं. 8/15.9.10 27.5.08	20.43
6	गलीफा से ताम्बी	16	13	404	डी -2089/21.7.07 ₹ 91.91 लाख	एस.ई., जालोर, टीएस सं.54/24.7.07 ₹ 91.91 लाख	अ.अ., सांचौर 930/28.11.07	वा.सं. 23/28.2.09 6.5.08	98.08
7	सुनथाना से जैयसला	16	13	465	डी -2089/21.7.07 ₹ 48.90 लाख	अ.अ., भीनमाल, टीएस सं. 106/16.7.07 ₹ 48.90 लाख	अ.अ., सांचौर 930/28.11.07	वा.सं. 23/28.2.09 6.5.08	51.69

क्रम संख्या	सड़क का नाम	मोटर वाहन प्रतिदिन	अनुमानित वाणिज्यक वाहन प्रतिदिन	2001 की जनसंख्या	प्रशासनिक स्वीकृति संख्या, दिनांक एवं राशि	तकनीकी स्वीकृति संख्या, दिनांक एवं राशि	कार्यदेश संख्या व दिनांक	बाउचर संख्या व कार्य समाप्ति दिनांक	इस सड़क के लिए किया गया भुगतान (₹ लाख में)
8	बांकली से टोरनी	28	13	401	डी-2089/21.7.07 ₹ 41.20 लाख	अ.अ., जालोर, टीएस सं 46/ 17.7.07 ₹ 41.20 लाख	अ.अ., जालोर, 6218/26.10.07	वा.सं. 40/31.12.08 4.6.08	43.75
9	रेवरा कलां से रातानाड़ा	28	13	314	डी-2762/14.2.08 ₹ 53.01 लाख	एस.ई., जालोर, टीएस सं.77/ 18.2.08 ₹ 50.75 लाख	अ.अ., जालोर, 711/12.5.08	वा.सं. 2/5.5.09 21.10.08	51.00
10	सांडेराव मोकलसर से केरल	20	9	255	डी-2762/14.2.08 ₹ 12.90 लाख	अ.अ., जालोर, टीएस सं.124/ 18.2.08 ₹ 12.35 लाख	अ.अ., जालोर, 711/12.5.08	वा.सं. 2/5.5.10 21.10.08	11.72
11	कांवला से छावरडा	29	13	287	डी-2762/14.2.08 ₹ 41.76 लाख	अ.अ., जालोर, टीएस सं.123/ 18.2.08, ₹ 39.98 लाख	अ.अ., जालोर, 711/12.5.08	वा.सं. 2/5.5.10 21.10.08	39.67
12	दुधवा से बड़सल की बेरी	-	11	325-499	डी-2089/21.7.07 ₹ 139.09 लाख	एस.ई., जालोर, टीएस सं.49/ 24.7.07 ₹ 139.09 लाख	एस.ई., सांचौर 925/28.11.07	24/28.2.09 डब्ल्यू.आई.पी.	146.38
13	सांचौर बाखासर रोड से गोदारों की दाणी	16	13	296	डी-2762/14.2.08 ₹ 125.36 लाख	एस.ई., जालोर, टीएस सं.73/ 16.2.08 ₹ 102.02 लाख	अ.अ., सांचौर 916/11.6.08	01/6.7.09 डब्ल्यू.आई.पी.	95.32
14	अकाली से सीयागो और राडो की दाणी	40	15	624	डी-2762/14.2.08 ₹ 70.40 लाख	एस.ई., जालोर, टीएस सं.74/ 16.2.08 ₹ 67.40 लाख	अ.अ., सांचौर 916/11.6.08	01/6.7.09 डब्ल्यू.आई.पी.	66.64
15	उखरदा से मनडिया	28	13	363	डी-2089/21.7.07 ₹ 27.80 लाख	अ.अ., जालोर, टीएस सं. 49/17.7.07 ₹ 27.83 लाख	Ag no. 78/0708	40/31.12.08 4.6.08	29.52
16	चांदराई से प्रतापगढ़	26	11	469	डी-2089/21.7.07 ₹ 27.60 लाख	अ.अ., जालोर, टीएस सं.48/ 17.7.07 ₹ 27.83 लाख	उपरोक्त	उपरोक्त	28.06
योग					₹ 923.84 लाख	₹ 891.68 लाख			871.38

अ.अ.- अधीशाषी अभियन्ता एस.ई.- अधीक्षण अभियन्ता टीएस- तकनीकी स्वीकृति वा.सं.- वाउचर संख्या

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.4; पृष्ठ 118)

अधिक मात्रा के निष्पादन पर किये गये अपरिहार्य व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	कार्य का नाम	आइटम का नाम	निष्पादित मात्रा	आइटम की दर	राशि	
1.	आर.जे.-18-41 कानीवारा हरजी रोड कि.मी. 5 से राजावरी कि.मी. 0/0 से 2/525 कि.मी.	जी.एस.बी.	168.67 घन मी.	172.60	29113	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	118.07 घन मी.	495.95	58558	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	118.07 घन मी.	754.40	89072	
		प्राईम कोट	1686.75 वर्ग मी.	24.50	41325	
		टैक कोट	1686.75 वर्ग मी.	8.90	15012	
		पी.एम.सी.	1686.75 वर्ग मी.	85.80	144723	
		सील कोट	1686.75 वर्ग मी.	31.70	53470	
			योग			431273
			टीपी @ 2.97%			12808
			योग			444081
2.	आर.जे.-18-38 (बी) एस एच 16 से रतनपुरा कि.मी. 0/0 से 4/500	जी.एस.बी.	284.45 घन मी.	147	41815	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	213.33 घन मी.	430	91736	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	213.33 घन मी.	653.80	139475	
		प्राईम कोट	2844.52 वर्ग मी.	18.50	52681	
		टैक कोट	2844.52 वर्ग मी.	6.50	18489	
		पी.एम.सी.	2844.52 वर्ग मी.	70.80	201392	
		सील कोट	2844.52 वर्ग मी.	25.60	72820	
			योग			618408
			टीपी @ 6.87%			42485
			योग			660893
3.	आर.जे.-18-35 (1) भड़वाल से कैलासनगर कि.मी. 0/0 से 4/025	जी.एस.बी.	249.22 घन मी.	355.80	88674	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	186.92 घन मी.	613.60	114694	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	186.92 घन मी.	808.60	151144	
		प्राईम कोट	2492.25 वर्ग मी.	18.50	46107	
		टैक कोट	2492.25 वर्ग मी.	6.50	16200	
		पी.एम.सी.	2492.25 वर्ग मी.	70.80	176451	
		सील कोट	2492.25 वर्ग मी.	25.60	63802	
			योग			657072
			टीपी @ 2.49%			16361
			योग			663433
4.	आर.जे.-18-35 (2) पंचला से वंडियो कि.मी. 0/0 से 4/430	जी.एस.बी.	309.00 घन मी.	269.40	83245	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	231.75 घन मी.	527.20	122179	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	231.75 घन मी.	722	167370	
		प्राईम कोट	3090 वर्ग मी.	18.50	57165	
		टैक कोट	3090 वर्ग मी.	6.50	20085	
		पी.एम.सी.	3090 वर्ग मी.	70.80	218772	
		सील कोट	3090 वर्ग मी.	25.60	79104	
			योग			747920
			टीपी @ 2.49%			18623
			योग			766543

क्रम सं.	कार्य का नाम	आइटम का नाम	निष्पादित मात्रा	आइटम की दर	रशि	
5.	आर.जे.-18-35 (3) सांचौर, सरवाना रोड-19 से रघुनाथपुरा कि.मी. 0/0 से 1/150	जी.एस.बी.	77.625 घन मी.	337.80	26222	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	58.218 घन मी.	595.60	34675	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	58.218 घन मी.	790.60	46027	
		प्राईम कोट	776.25 वर्ग मी.	18.50	14360	
		टैक कोट	776.25 वर्ग मी.	6.50	5046	
		पी.एम.सी.	776.25 वर्ग मी.	70.80	54959	
		सील कोट	776.25 वर्ग मी.	25.60	19872	
		योग				201161
		टीपी @ 2.49%				5009
		योग				206170
6.	आर.जे.-18-36 (1) गलीफा से ताम्बी कि.मी. 0/0 से 6/00	जी.एस.बी.	447.75 घन मी.	402.60	180264	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	335.81 घन मी.	660.40	221770	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	335.81 घन मी.	855.40	287252	
		प्राईम कोट	4477.5 वर्ग मी.	18.50	82833	
		टैक कोट	4477.5 वर्ग मी.	6.50	29104	
		पी.एम.सी.	4477.5 वर्ग मी.	70.80	317007	
		सील कोट	4477.5 वर्ग मी.	25.60	114624	
		योग				1232854
		टीपी @ 8.89%				109601
		योग				1342455
7.	आर.जे.-18-36 (2) सुनथाना से जायसला कि.मी. 0/0 से 2/925	जी.एस.बी.	215.25 घन मी.	373.80	80460	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	161.43 घन मी.	631.60	101964	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	161.43 घन मी.	826.60	13438	
		प्राईम कोट	2152.5 वर्ग मी.	18.50	39821	
		टैक कोट	2152.5 वर्ग मी.	6.50	13991	
		पी.एम.सी.	2152.5 वर्ग मी.	70.80	152397	
		सील कोट	2152.5 वर्ग मी.	25.60	55104	
		योग				577175
		टीपी @ 8.89%				51310
		योग				628485
8.	आर.जे.-18-39 बांकली से दोरनी कि.मी. 0/0 से 4/100	जी.एस.बी.	310.37 घन मी.	154.20	47860	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	232.78 घन मी.	401.20	93392	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	232.78 घन मी.	689.80	160571	
		प्राईम कोट	3103.75 वर्ग मी.	18.50	57419	
		टैक कोट	3103.75 वर्ग मी.	6.50	20174	
		पी.एम.सी.	3103.75 वर्ग मी.	70.80	219745	
		सील कोट	3103.75 वर्ग मी.	25.60	79456	
		योग				678617
		टीपी @ 6.99%				47435
		योग				726052

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र)

क्रम सं.	कार्य का नाम	आइटम का नाम	निष्पादित मात्रा	आइटम की दर	राशि	
9.	आर.जे.-18-43 रेवराकलां से रातानाड़ा कि.मी. 0/0 से 3/80	जी.एस.बी.	283.92 घन मी.	172.60	49004	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	212.94 घन मी.	420.90	89626	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	212.94 घन मी.	786	167370	
		प्राईम कोट	2839.2 वर्ग मी.	24.50	69560	
		टैक कोट	2839.2 वर्ग मी.	8.90	25269	
		पी.एम.सी.	2839.2 वर्ग मी.	85.80	243603	
		सील कोट	2839.2 वर्ग मी.	31.70	90002	
					योग	734434
					टीपी @ 2.99%	21960
			योग	756394		
10.	आर.जे.-18-43 सांडेराव-मोकलसर ओ.डी.आर.-7 कि.मी. 24 से केरल (कि.मी. 0/0 से 1/0) 1 कि.मी.	जी.एस.बी.	75 घन मी.	160.75	12056	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	56.25 घन मी.	468.30	26342	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	56.25 घन मी.	746.30	41980	
		प्राईम कोट	750 वर्ग मी.	24.50	18375	
		टैक कोट	750 वर्ग मी.	8.90	6675	
		पी.एम.सी.	750 वर्ग मी.	85.80	64350	
		सील कोट	750 वर्ग मी.	31.70	23775	
					योग	193553
					टीपी @ 2.99%	5787
			योग	199340		
11.	आर.जे.-18-43 कनवला से चावरडा कि.मी. 0/0 से 3/0	जी.एस.बी.	224.1 घन मी.	172.60	38680	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	168 घन मी.	503.85	84647	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	168 घन मी.	758.35	12740	
		प्राईम कोट	2241 वर्ग मी.	24.50	54905	
		टैक कोट	2241 वर्ग मी.	8.90	19945	
		पी.एम.सी.	2241 वर्ग मी.	85.50	192278	
		सील कोट	2241 वर्ग मी.	31.70	71040	
					योग	474235
					टीपी @ 2.99%	14180
			योग	488415		
12.	आर.जे.-18-34 दुथवा से भडसल की बेरी 0/0 से 9/750 कि.मी.	जी.एस.बी.	728.40 घन मी.	435	316854	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	546.30 घन मी.	692.80	378477	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	546.30 घन मी.	887.80	485005	
		प्राईम कोट	7284 वर्ग मी.	18.50	134754	
		टैक कोट	7284 वर्ग मी.	6.50	47346	
		पी.एम.सी.	7284 वर्ग मी.	70.50	515707	
		सील कोट	7284 वर्ग मी.	25.60	186470	
					योग	2064613
					टीपी @ 8.39%	173221
			योग	2237834		

क्रम सं.	कार्य का नाम	आइटम का नाम	निष्पादित मात्रा	आइटम की दर	राशि	
13.	आर.जे.-18-42 सांचौर-बक्सर रोड कि.मी. 20 से गोदारों की ढाणी 0/0 से 7/900 कि.मी.	जी.एस.बी.	482.25 घन मी.	428.71	206745	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	361.69 घन मी.	851.60	308013	
		डब्ल्यू.बी.एम.जी-III	361.69 घन मी.	896.60	324291	
		प्राईम कोट	4822.5 वर्ग मी.	24.50	118152	
		टैक कोट	4822.5 वर्ग मी.	8.90	42720	
		पी.एम.सी.	4822.5 वर्ग मी.	85.80	413770	
		सील कोट	4822.5 वर्ग मी.	28.00	135030	
		योग				1548921
		टीपी @ 3.97%				6492
		योग				1600413
14.	आर.जे.-18-42 अकोली से सीयागो और राडो की ढाणी किमी. 0/0 से 5/0	जी.एस.बी.	348.22 घन मी.	393.20	136922	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	216.17 घन मी.	816.05	213126	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	216.17 घन मी.	861.05	224880	
		प्राईम कोट	3482.25 वर्ग मी.	24.50	85315	
		टैक कोट	3482.25 वर्ग मी.	8.90	30992	
		पी.एम.सी.	3482.25 वर्ग मी.	85.80	298777	
		सील कोट	3482.25 वर्ग मी.	31.50	109690	
		योग				1099704
		टीपी @ 3.97%				43658
		योग				1143362
15.	उखरदा से मनडिया	जी.एस.बी.	199.72 घन मी.	168.60	33673	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	149.79 घन मी.	430	64410	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	149.79 घन मी.	646.60	96854	
		प्राईम कोट	1997 वर्ग मी.	18.50	36945	
		टैक कोट	1997 वर्ग मी.	6.50	12980	
		पी.एम.सी.	1997 वर्ग मी.	70.80	141388	
		सील कोट	1997 वर्ग मी.	25.60	51123	
		योग				437373
		टीपी @ 6.99%				30572
		योग				467945
16.	चांदराई से प्रतापगढ़	जी.एस.बी.	189.45 घन मी.	193.60	36715	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-II	142.08 घन मी.	397.6	56491	
		डब्ल्यू.बी.एम. जी-III	142.08 घन मी.	628.6	89311	
		प्राईम कोट	189.40 वर्ग मी.	18.50	35039	
		टैक कोट	189.40 वर्ग मी.	6.50	12311	
		पी.एम.सी.	189.40 वर्ग मी.	70.80	134095	
		सील कोट	189.40 वर्ग मी.	25.60	48486	
		योग				412448
		टीपी @ 6.99%				28830
		योग				441278
कुल योग				12773093		

